

वर्ष : 7, अंक : 26

अप्रैल-जून 2023

हिन्दुस्तानी भाषा भारती

(भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार और संवर्धन को समर्पित त्रैमासिक पत्रिका)




हिंदी



विशेष
गौरवपूर्ण एवं समृद्ध है गुजराती भाषा गुजराती साहित्य पर गाँधी का प्रभाव

हिन्दुस्तानी भाषा भारती (त्रैमासिक पत्रिका) के प्रकाशित अंक

क्षेत्रीय भाषा, साहित्य, संस्कृति और लोक कलाओं पर केंद्रित विशेषांक



अकादमी अपनी एक त्रैमासिक पत्रिका 'हिन्दुस्तानी भाषा भारती' का प्रकाशन करती है जिसमें हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं के लेखों और अन्य भारतीय भाषाओं की अनुदित रचनाओं को प्रमुखता दी जाती है। अब तक बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, कुमाऊँनी, भोजपुरी, पंजाबी, पूर्वोत्तर, सिन्धी, नेपाली, मैथिली, अवधी, डोगरी, संस्कृत, संथाली, तमिल, कश्मीरी, बघेली, गढ़वाली, मराठी, बंगाली, हरियाणवी, पहाड़ी, कोंकणी और पवारी/पोवारी आदि भाषाओं को ध्यान में रखते हुए इनसे संबन्धित साहित्य, संस्कृति, लोक कला आदि को समेटे विशेषांक निकाले जा चुके हैं।



वर्ष : 7, अंक : 26

हिन्दुस्तानी भाषा भारती

मूल्य : 30 रुपये

(भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार और संवर्धन को समर्पित त्रैमासिक पत्रिका)

सम्पादक

सुधाकर बाबू पाठक

प्रबन्ध सम्पादक	: विजय कुमार शर्मा
परामर्श सम्पादक	: सुरेखा शर्मा
संयुक्त सम्पादक	: राजकुमार श्रेष्ठ
सह सम्पादक	: सागर समीप
उप सम्पादक	: सरोज शर्मा
	: सुषमा भण्डारी
	: डॉ. सोनिया अरोड़ा
	: शशि प्रकाश पाठक
सम्पादकीय सलाहकार	: डॉ. वनीता शर्मा
	: गरिमा संजय
	: विनोद पाराशर
वित्तीय सलाहकार	: राम सिंह मेहता

कार्यालय :

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी

3675, राजा पार्क, रानी बाग, दिल्ली-110034

ई-मेल : info@hindustanibhashaakadami.comhindustanibhashabharati@gmail.comवेबसाइट : www.hindustanibhashaakadami.com

सम्पर्क सूत्र : 09873556781, 09968097816

- पत्रिका में प्रकाशित लेखों में लेखकों के अपने विचार हैं । प्रकाशक का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है ।
- सभी विवादों का निपटारा दिल्ली/नई दिल्ली की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरमों में ही किया जाएगा ।
- सम्पादन एवं संचालन पूर्णतः अवैतनिक और अव्यावसायिक है ।

प्रकाशक, सम्पादक व मुद्रक सुधाकर बाबू पाठक द्वारा स्वामी हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी ट्रस्ट, 3675, राजा पार्क, शकूर बस्ती, दिल्ली-110034 के लिए प्रकाशित और सन्नी प्रिन्टर्स, बी-234, नारायणा इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110028 से मुद्रित ।

विषय सूची

सम्पादकीय :	
हिन्दी में हैं रोजगार की अपार संभावनाएँ और उज्वल भविष्य	04
साक्षात्कार :	
प्रो. पूरनचन्द टंडन, सीनियर प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय एवं वरिष्ठ समीक्षक, मीडिया विश्लेषक	05
चमत्कार लोक भाषाओं का - रामकृष्ण वाजपेयी	08
चमत्कार लोक भाषाओं का :	
गौरवपूर्ण एवं समृद्ध है गुजराती भाषा - गौरी शंकर वैश्य 'विनम्र'	11
गुजराती साहित्य पर गाँधी का प्रभाव - डॉ. मीनाक्षी जोशी	13
युवाओं में पनपती हिंगलिश मानसिकता - शिवाली ठाका	16
हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं की अस्मिता - डॉ. सुस्मिता घोष दास	18
चैट- जीपीटी से हिन्दी बातचीत - विजय प्रभाकर 'नगरकर'	21
हिन्दी का बढ़ता वैश्विक प्रभाव - दिनेश प्रताप सिंह 'चित्रेश'	23
पेशेवर पढ़ाई अब हिन्दी भाषा में - श्रीमती संतोष बंसल	25
सिंधी भाषा का महत्व तथा वर्तमान स्थिति - डॉ. वन्दना गोसाई	27
हिन्दी की राष्ट्रीय स्वीकार्यता-समस्या एवं संभावनाएँ - डॉ. दीन दयाल साहू	28
हिन्दी और गुजराती भाषा का तुलनात्मक अध्ययन - सुजाता भट्टाचार्या	32
हिन्दी का रोमनीकरण : कितनी सुविधा कितना खतरा ? - माणक तुलसीराम गौड़	33
हिन्दी भाषा के संवर्धन में हमारा योगदान - डॉ. संध्या शुक्ल 'मृदुल'	35
भारतीय भाषाओं को कितना खतरा - डॉ. जोगा सिंह विर्क	36
पुस्तक समीक्षा	
हिन्दी के नवोन्मेषी आयामों पर केंद्रित महत्वपूर्ण कृति - डॉ. राहुल मिश्र	43
आगामी आयोजन	
द्वितीय 'हिन्दुस्तानी भाषा काव्य प्रतिभा-सम्मान' एवं 'गुलदस्ता-ए-गज़ल' 'गज़ल संग्रह' पुस्तक प्रकाशन योजना - विनोद पाराशर	45
दिल्ली प्रदेश एवं गुरुग्राम 'हरियाणा' के विद्यालयों के लिए 'मेधावी छात्र एवं भाषा गौरव शिक्षक सम्मान' योजना - सरोज शर्मा	46
हिन्दी साहित्य में दैनिक समाचार-पत्रों की उपादेयता एवं प्रासंगिकता : एक विवरण - कृष्णवीर सिंह सिकरवार	47



हिन्दी में हैं रोजगार की अपार संभावनाएँ और उज्ज्वल भविष्य



सुधाकर पाठक

सम्पादक एवं अध्यक्ष,
हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी

कोई भाषा कितनी वैज्ञानिक है अथवा उसके पास कितना शब्द भण्डार है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस भाषा में निहित ज्ञान। किसी भी भाषा की सम्पन्नता उस भाषा में निहित ज्ञान से ही है, ना कि उसके बोलने वालों की संख्या से। यदि भाषा की सम्पन्नता का सूचक लिपि की वैज्ञानिकता, शब्द भण्डार, व्याकरण और बोलने वाले जनसमूहों का जनाधार होता तो हिन्दी का स्थान अग्रपंक्ति में होता। इसका आशय यह नहीं है कि हिन्दी में ज्ञान की कमी है। हिन्दी भाषा में अथाह ज्ञान होते हुए भी उसे समाज से धीरे-धीरे विस्थापित किया जाता रहा है और उसके स्थान पर अंग्रेजी को एक समृद्ध एवं प्रभावशाली भाषा के रूप में स्थापित किया गया है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजी भाषा को एक अतिरिक्त कौशल के रूप में देखा जाता है। भारतीय समाज में अंग्रेजी को मेधा और प्रतिभा से जोड़ दिया गया है, जिसे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हो उसे बौद्धिक माना जाने लगा। अंग्रेजी बोलने वाले को प्रकाण्ड विद्वान के रूप में देखा जाने लगा। समाज के हर वर्ग तक इस धारणा को स्थापित किया गया कि अंग्रेजी ही प्रतिष्ठा और सम्पन्नता की निशानी है। सामान्य रूप से सतही तौर पर यह धारणा सही लगती हो, किन्तु इसकी गहराई में जाएँ तो यह अनर्थक प्रतीत होती है। एक सामान्य नागरिक के पास भी भाषा कौशल होना आवश्यक है। यदि आप एक से अधिक भाषाएँ जानते हों तो यह आपके व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होती है। भाषा चाहे कोई भी हो, उसमें इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो किसी व्यक्ति को प्रतिभा सम्पन्न बना सके, बल्कि भाषा में निहित ज्ञान ही व्यक्ति के विचारों को प्रभावित करता है। इसी तरह किसी भी भाषा को बोल लेने मात्र से कोई विद्वान नहीं बनता। यदि ऐसा होता तो अमेरिका की गलियों में झाड़ू लगाने वाले भी सभी विद्वान की श्रेणी में आते। वहाँ तो कारखानों में काम करने वाले श्रमिक एवं मजदूर भी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, क्या इससे वे सभ्य व ज्ञानी मान लिए जाते हैं? क्या फ्रांस में फ्रेंच बोलने वाले सभी नागरिक प्रतिभाशाली हैं? क्या जर्मन में सभी बौद्धिक व्यक्ति होते हैं? मूल अर्थ यह है कि बोलना आना ही किसी भी भाषा की विद्वता नहीं है। भाषा शिक्षण के अनिवार्य तत्व हैं- लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना। जब तक इन चारों तत्वों का समिश्रण नहीं हो जाता तब तक किसी भी

व्यक्ति का भाषा शिक्षण अपूर्ण ही रहता है। सामान्यतया किसी भी भाषा को छह महीने में सीखा जा सकता है। जापान, कोरिया जैसे विकसित देशों में बीजा लेने के लिए छह महीने का कोर्स करना अनिवार्य होता है। विचारणीय यह है कि जब किसी भी भाषा को छह महीने में सीखा जा सकता है तो हमारी शिक्षा प्रणाली में ऐसी व्यवस्था क्यों है कि बच्चों को नर्सरी से ही अंग्रेजी का तनाव सहना पड़ता है? अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और आज के समय में इसकी महत्ता को नकारा नहीं जा सकता, किन्तु अंग्रेजी के बलबूते ही विकास के कार्य हो सकते हैं अथवा देश निर्माण के सभी पूर्वाधार अंग्रेजी में ही सिद्ध होते हैं, ऐसा कतई नहीं है। विश्व की जितनी भी विकसित अर्थव्यवस्थाएँ हैं, वे अपनी भाषा में ही सभी कार्य करती हैं। चीन, जापान, रूस, इजराइल, फ्रांस, कोरिया आदि इसके उदाहरण हैं, जिन्होंने अपनी भाषा के दम पर आज विश्व कीर्तिमान स्थापित किए हुए हैं। विश्व के अनेकों शोधों में यह पाया गया है कि बच्चों को उसकी मातृभाषा में शिक्षा देना शिक्षा का सबसे सुलभ और सरल माध्यम है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों को उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। हम विश्व की किसी भी भाषा में बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं किन्तु उस भाषा में कतई सोच नहीं सकते। हम अपनी संवेदनाओं और भावनाओं को अपनी मातृभाषा में ही स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाते हैं। मनुष्य का चिंतन और रचनात्मकता उसकी मातृभाषा में ही सम्पन्न होती है। अक्सर यह भ्रम भी फैलाया जाता है कि हिन्दी में रोजगार नहीं है अथवा हिन्दी में पढ़ने से भविष्य सुरक्षित नहीं है। हिन्दी में रोजगार की असीम संभावनाएँ हैं। 2022 बैच के सिविल सेवा परीक्षा (यूपीएससी) में हिन्दी माध्यम से 54 छात्रों का चयन होना यह बताता है कि हिन्दी में उज्ज्वल भविष्य है। यूपीएससी के इतिहास में यह हिन्दी का सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन है। विशेष बात यह है कि 54 छात्रों में से 29 छात्रों ने वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी साहित्य को चुना था। 2021 के बैच में हिन्दी माध्यम से 24 छात्रों का चयन हुआ था। इससे यह ज्ञात होता है कि हिन्दी का ग्राफ बढ़ रहा है। आने वाले समय में स्थिति में और सुधार होगा और समाज में हिन्दी को लेकर जागृति बढ़ेगी। हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी की ओर से सिविल सेवा में सफल होने वाले समस्त छात्रों को हार्दिक बधाई और उन सभी बच्चों को शुभकामनाएँ जो भारतीय भाषाओं को केंद्र में रख कर अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हम उन सभी बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं।



साक्षात्कार :

प्रो. पूरनचन्द टंडन

भाषा संस्कृति की वाहिका होती है, भाषा भ्रष्ट होगी तो संस्कृति निश्चित तौर पर भ्रष्ट हो जायेगी।

दिल्ली विश्वविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर, वरिष्ठ समीक्षक, मीडिया विश्लेषक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुवादविद् तथा विशेषज्ञ एवं हिन्दी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में प्रो. पूरनचंद टंडन जी एक चर्चित नाम हैं। उच्च शिक्षा के क्रम में आपने एम.फिल एवं पीएचडी दिल्ली विश्वविद्यालय से की। डी.लीट की उपाधि आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। आपने श्री अरविंदो महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में तथा इग्नू में प्राध्यापक तथा वरिष्ठ प्रोफेसर के रूप में शिक्षण कार्य किया। आपने अनेक हिन्दी सेवा संस्थाओं में कार्य किया जैसे- भारतीय अनुवाद परिषद् के निदेशक के रूप में, नई दिल्ली सांध्यकालीन हिन्दी संस्थान के अध्यक्ष, नव उन्नयन सोसाइटी के अध्यक्ष व अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों के हिन्दी सलाहकार के रूप में आपने कार्य किया है। यूजीसी द्वारा संचालित सीईसी प्रोग्राम में आपके भाषा, साहित्य, अनुवाद, काव्यशास्त्र, जनसंचार जैसे विषयों से संबंधित 400 से अधिक वीडियो आज यूट्यूब के माध्यम से विद्यार्थियों व शोधकर्ताओं के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। आपके निर्देशन में लगभग 75 पीएचडी व 150 के लगभग एम.फिल की उपाधियां सम्पन्न करवायी जा चुकी हैं। आपके उल्लेखनीय कार्यों को रेखांकित करते हुए उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा आपको साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त आपको दिल्ली सरकार द्वारा हिन्दी अकादमी का श्रेष्ठ सम्पादन का सम्मान, 'डॉ. विजयेंद्र स्नातक सम्मान', 'डॉ. बद्रीनाथ कपूर स्मृति साहित्य भूषण सम्मान', दिल्ली हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा 'साहित्य श्री सम्मान', संसदीय भाषा परिषद् द्वारा 'राष्ट्रीय भाषा गौरव सम्मान' व 'साहित्य महोपाध्याय सम्मान' से विभूषित किया है। आपने मॉरिशस में भी चार साल तक हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार में अमूल्य योगदान दिया है।



प्रो. पूरनचन्द टंडन

साक्षात्कारकर्ता : शशि प्रकाश पाठक

प्रश्न : आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर के साथ कई अन्य महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया है, कृपया आप अब तक के अपने यात्रा अनुभव के विषय में बताएं ?

उत्तर : नमस्कार, मेरा साहित्यिक यात्रा में लगभग 40 वर्षों से अधिक का समय हो गया है और इस दौरान मैंने अध्ययन के प्रति, पठनीयता के प्रति जो अभिरुचि में बदलाव देखा, वो जरूर विचारणीय है। मुझे लगता है कि आज के समय में विद्यार्थियों में भाषा को लेकर उसकी मानकता, एकरूपता और उसकी शुद्धता को लेकर जो चिंता होनी चाहिए, वो नहीं है। भाषा के प्रति एक उदासीनता का भाव है और उसका मुख्य कारण मुझे लगता है कि हम सब त्वरित गति से उपाधि हासिल करके रोजगार की तरफ बढ़ना चाहते हैं। मेरे अनुसार इसके अन्तर का मूल कारण है कि हम जिस दौर, जिस वर्ग से, जिस पीढ़ी से सम्बद्ध रहे, उसमें और आज की पीढ़ी में अगर एक स्थूल रूप से अन्तर देखें, तो कह सकता हूँ कि हम साधन जीवी पीढ़ी से सम्बद्ध है और आज की पीढ़ी साधन जीवी बन गई है। उसे सब कुछ तैयार मिलता है। स्थिति यह हो गई है कि अब बच्चे अपना मूल पाठ तक भी जानना नहीं चाहते और उसकी जानकारी भी हासिल करना नहीं चाहते, चाहे सन्दर्भ ग्रन्थ हों, चाहे पाठ्य-पुस्तकें हों। अब गाइड और कुंजी जीवी मानसिकता बन गई है। इससे भी अधिक चिंता का विषय यह है कि कोरोना काल ने हम सब को मोबाइल जीवी भी बना दिया। कक्षा में भी बच्चे अब पाठ्य-पुस्तक लेकर नहीं बैठते, स्क्रीन पर टेक्स्ट खोल लेते हैं और उसी को देखकर बात करते हैं। भाषा की दृष्टि से यह गम्भीर बात है, उसी का परिणाम है कि विद्यार्थियों के लेखन में भयंकर अशुद्धियां

देखने को मिलती हैं। वाक्य विन्यास हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल नहीं मिलता, अंग्रेजी भाषा बाहुल्य दिखता है। किन्तु फिर भी अच्छे विद्यार्थी भी मिलते हैं, जो बहुत साधना सापेक्ष उपलब्धि की ओर अग्रसित होते हैं और व्यवस्था में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं।

प्रश्न : आप हिन्दी साहित्य के गहन अध्ययता हैं। आप वर्तमान हिन्दी परिदृश्य को कैसे देखते हैं? क्या वर्तमान में हिन्दी की स्थिति से आप संतुष्ट हैं?

उत्तर : जो बच्चे हिन्दी में अध्ययन कर रहे हैं, हिन्दी ऑनर्स या एम. ए., या पी.एच.डी. वगैरह कर रहे हैं, उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। हिन्दी में पढ़ना-पढ़ाना उनकी विवशता भी है और अभिरुचि भी। एक वर्ग इसमें, अध्ययन से केवल रोजगार के अवसर तलाशते हुए दिखाई देता है और एक वर्ग वह है, जो उच्च उपाधि प्राप्त करके सामाजिक प्रतिष्ठा लेना चाहता है। लेकिन जो अन्य अनुशासनों के बच्चे हैं, जैसे वाणिज्य, विज्ञान, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर, तकनीक, प्रौद्योगिकी या चिकित्सा के इन विद्यार्थियों में हिन्दी पठनीयता के प्रति उदासीनता है। इसके अतिरिक्त हिन्दी क्षेत्र के विद्यार्थियों में भी अपनी भाषा के प्रति, साहित्य के प्रति समर्पण कम दिखाई पड़ता है। इसका कारण है कि अब एक विषय केंद्रित भाषाजर्न या ज्ञानार्जन कम दिखाई पड़ता है, बच्चे अब बहु-आयामी बन गए हैं। यही कारण है, जो विद्यार्थी शिक्षण क्षेत्र में जा रहे हैं, उनमें भी वह एक प्रौढ़ शिक्षक या समर्पित शिक्षक दिखाई नहीं दे रहा, ये थोड़ी चिन्ता का तो विषय है। इन सब के बावजूद भी निरंतर बदलाव और सुधार



के कार्य किए जा रहे हैं, जो भविष्य के लिए सकारात्मक प्रयास के रूप में देखे जा सकते हैं।

प्रश्न : आज हिन्दी और इंग्लिश को मिलाकर एक नई भाषा हिंग्लिश तैयार की जा रही है, क्या इस मिश्रण से हिन्दी भाषा को बड़ी चुनौती मिल रही है ?

उत्तर : हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि अंग्रेजी के कुछ शब्द या वाक्य गलत या व्याकरण विरुद्ध बोलकर हम एक छद्म प्रतिष्ठा का शिकार हो रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी हिन्दी और अंग्रेजी का एक मिश्रित रूप प्रयोग कर रही है। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। हालांकि प्रशासनिक व्यवस्था में, विज्ञान-तकनीकी में हिन्दी शिक्षण-प्रशिक्षण की बात को राजभाषा के तमाम प्रावधान भी संविधान में किए लेकिन बहानेबाजी ज्यादा हुई कि हमें कम्प्यूटर पर काम करना नहीं आता, की-बोर्ड की समझ नहीं है, हिन्दी की वर्तनी, हिन्दी का मात्रा ज्ञान नहीं है। ये सब बहानेबाजी हुई लेकिन उसका भी समाधान, भारत सरकार ने किया, जैसे-टेक्स्ट-टू-स्पीच, स्पीच-टू-टेक्स्ट। ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू हुए कि आप कम्प्यूटर पर या मोबाइल पर बोलते जाइए, अपने आप टाइप होता चला जायेगा या सुनना चाहें तो वह तकनीक भी आज आ गई है। आज जो पाठ्य पुस्तकें लिख रहे हैं, उनकी भाषा भी शुद्ध या मानक नहीं है, वर्तनी की अशुद्धियां वो भी कर रहे हैं। हिन्दी समाचार-पत्रों में पहले सम्पादक साहित्यकार या हिन्दी का ज्ञाता होता था, जैसे- अक्षय कुमार जैन, विद्यानिवास मिश्र या जनसत्ता के प्रभास जोशी को देखें तो ऐसे अनेक बड़े नाम थे। अब दुर्भाग्य यह है कि राष्ट्रीय समाचार-पत्रों के सम्पादक हैं, वो एमबीए हो गए हैं, अब साहित्यकार सम्पादक नहीं हैं, अब अखबारों का मूल ध्येय है, उसकी बिक्री कैसे बढ़े, और बिक्री बढ़ाने के लिए वह हिंग्लिश भाषा को समाचार पत्र में प्रमोट कर रहा है। आज की युवा पीढ़ी के बच्चे मातृभाषा में बात करके गौरवान्वित नहीं अपितु लज्जित हो रहे हैं, संकोच का अनुभव कर रहे हैं। हमने एक ऐसी पृष्ठभूमि बना दी कि कान्वेंट स्कूल, पब्लिक स्कूल ये जो एक कल्चर है, जिसने केक कल्चर और चॉकलेट कल्चर को विकसित किया, इससे हमारे बच्चे अपनी जड़ों और संस्कृति से कट गए। लॉर्ड मैकाले द्वारा हमारी भाषा को नष्ट करने का दुष्प्रभाव आज दिखाई भी दे रहा है। अब बच्चों में अपनी भाषा के प्रति केवल दिखावटी दौत जैसा भाव प्रकट हो रहा है, जो निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव है, जो समाज और संस्कृति, राष्ट्र और राष्ट्रीयता के लिए चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि भविष्य में इसके लिए कुछ गंभीर रचनात्मक प्रयास करने होंगे।

प्रश्न : आजकल देश में राष्ट्रीयता की विचारधारा अधिक सक्रिय है, तो ऐसे में राष्ट्रभाषा का प्रश्न स्वतः उठ जाता है।

आज तक हम अपनी किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं कर पाए हैं, इस विषय पर आपकी क्या राय है ?

उत्तर : दरअसल, हम सब चाहते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा घोषित की जाए, लेकिन भारत एक बहु-भाषी और बहुसांस्कृतिक देश है। आठवीं अनुसूची में संविधान की 22 भाषाएँ हैं, वो सभी 22 भाषाएँ राष्ट्र की भाषाएँ हैं, राष्ट्रभाषा नहीं है। यदि राष्ट्रभाषा किसी एक भाषा को घोषित करते हैं, तो अन्य राज्यों के जो भाषा-भाषी लोग हैं, उनके मन में यह भाव कहीं न कहीं आ जाता है कि हिन्दी यदि राष्ट्रभाषा है, तो दूसरी भाषाएँ राष्ट्रभाषा क्यों नहीं हैं। यह भावना एक तरह की रहती है। यह निश्चित है कि आज 75 वर्ष की आजादी के बाद भी और आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के समय भी हम अपनी एक भी भारतीय भाषा को संयुक्त राष्ट्रसंघ की भाषा नहीं बना सके हैं, क्योंकि पूरा देश भाषाई रूप से विभक्त है। हिन्दी को जब राजभाषा घोषित किया गया तो अनेक स्वर उठे कि क्या बाकी सब भाषाएँ गुलाम भाषाएँ हैं। जबकि ऐसा नहीं था, राज-काज को प्रतिनिधित्व देने वाली केन्द्र सरकार की एक भाषा हिन्दी घोषित की गई, लेकिन विभिन्न राज्यों का बंटवारा भी हमारे यहाँ भाषा के आधार पर है और वहाँ पर काम करने की उनकी अपनी राज्य की भाषा है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती लेकिन केन्द्र से जब राज्य बात करता है, तो उसमें हिन्दी की अनिवार्यता होनी चाहिये, ये बात प्रावधान के तहत की गई है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि देश की सबसे बड़ी सत्ता राष्ट्रपति का आदेश है कि हिन्दी में काम होना चाहिए, फिर भी हिन्दी में कामकाज नहीं हो रहा है और सरकारी स्तर पर भी यह आदेश एक रस्म -अदायगी बनकर रह गया है।

प्रश्न : आजकल शहरी युवावर्ग में हिन्दी को लेकर हीनभावना और वितृष्णा का भाव नजर आ रहा है। इसको कैसे कम किया जा सकता है ?

उत्तर : इसको कम करने का एक तरीका तो यह है कि घर और हमारे घरों में जो निरक्षर माता-पिता हैं, वो भी अपने बच्चे को मौसा-मौसी, चाचा-चाची बोलने से रोकते हैं। वो भी बच्चों को अंकल- आंटी बोलने को कहते हैं। इस संस्कृति से यह संदेश गया कि जो अंग्रेजी पढ़ लेगा वही समाज में प्रतिष्ठा पाएगा, वही नौकरी पाएगा। अंग्रेजी का यह परिणाम हुआ कि अंग्रेजी ने या अंग्रेजी के आतंक ने लाखों करोड़ों कालिदास, तुलसीदास को खेतों में गाय-भैंस चराने तक सीमित कर दिया। प्रशासनिक व्यवस्था जिसने अंग्रेजी की अनिवार्यता आरोपित कर दी, उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि हिन्दी के प्रति, भारतीय भाषाओं के प्रति जो गर्व का, स्वाभिमान का जो भाव था, वह खत्म हो गया। सपनों की भाषा रोने और हसने की भाषा हमारी अपनी भाषा है, फिर ये छद्म भाषा प्रदर्शन अंग्रेजी में, जो



वर्तनी की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से गलत है। पुरानी कॉपियों और फाइलों से नकल मार-मार कर देश चल रहा है, कोई पत्र बनाना हो, कोई प्रारूप बनाना हो, पुरानी फाइलें देखो कॉपी कर लाओ। देश में मात्र 8% लोग हैं जो अंग्रेजी का परचम उठाए हुए हैं और पूरे देश को हांक रहे हैं और शेष 92% भारतीय भाषाओं के लोग इन 8% लोगों के आगे हथियार डाल देते हैं। यह दुर्भाग्य है। अंग्रेजी मानसिकता को बदलने में समय तो लग रहा है, लेकिन वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, उसने इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। अब यह बात धीरे-धीरे जा रही है या विस्तार पा रही है कि हम मातृभाषा और भारतीय भाषा में शिक्षा अर्जन भी कर सकते हैं और शिक्षा अर्जन करके रोजी-रोटी की तरफ भी बढ़ सकते हैं, इसकी संभावना धीरे-धीरे बढ़ रही है।

प्रश्न : इन दिनों प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा और अंग्रेजी भाषा को लेकर द्वंद्व बना हुआ है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम के विषय में आपके क्या विचार हैं ?

उत्तर : मुझे लगता है कि जो प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था होती है, विद्यार्थी के लिए वह एक कच्चे घड़े की तरह होती है, उसको जैसा ढालोगे वैसा ढलता चला जाएगा। हमने दुर्भाग्य से प्राथमिक शिक्षा में भी अखिल भारतीय स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य कर दी और हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं को वैकल्पिक बना दिया। आठवीं कक्षा के बाद तो लगभग पब्लिक और कॉन्वेंट स्कूलों ने हिन्दी का विकल्प देना ही बंद कर दिया। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि विद्यार्थियों को मजबूरन अंग्रेजी माध्यम से तकनीकी शिक्षा और ज्ञान विज्ञान की तमाम अनुशासन में जाना पड़ा। नई शिक्षा नीति जो आई है, उसने यह अनिवार्यता की है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में मिलनी चाहिए। प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में होनी ही चाहिए। उसके बाद माध्यमिक स्तर पर मुझे लगता है विद्यार्थी के पास विकल्प होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।

प्रश्न : आप उच्च शिक्षा से जुड़े रहे हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किए गए बदलावों से आप कितना संतुष्ट हैं ?

उत्तर : मुझे लगता है कि उच्च शिक्षा में एक तो हिन्दी भाषा को माध्यम बनाना एक स्वागत योग्य कदम है। किसी भी आजाद देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि 75 साल बाद भी वहाँ के नागरिकों को वहाँ की भाषा में चिकित्सा सेवा नहीं मिल रही है और वहाँ की भाषा में न्याय नहीं मिल रहा है। कोई भी डॉक्टर हिन्दी में या अन्य मातृभाषा में दवाइयाँ नहीं लिखता, कोई जज या वकील हिन्दी या अन्य मातृभाषा में चर्चा-परिचर्चा नहीं करता। आने वाले समय में यह जो नई शिक्षा नीति है, विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, वाणिज्य, बीमा में, बैंक में, इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आदि में, यह जो सब रोजगार के क्षेत्र हैं, इन सब में यदि हिन्दी माध्यम से या भारतीय

भाषाओं के माध्यम से युवा पीढ़ी आयेगी तो निश्चित रूप से परिदृश्य बदलेगा। अगर विधि के पाठ्यक्रम, एमबीए के पाठ्यक्रम, इंजीनियरिंग या एमबीबीएस के पाठ्यक्रम जैसा कि हमारे देश में इन सबका पाठ्यक्रम अब हिन्दी में हुआ है, वह आज से 50 साल पहले हो जाना चाहिए था। उसमें विलंब हुआ, अब हम शुरू कर रहे हैं, तो इसमें समय लगेगा। अब आवश्यकता है कि भाषा और विषय विशेषज्ञ मिलकर लिखें या मिलकर अनुवाद करें, इसे युद्ध स्तर पर अपनाया होगा। साथ ही जरूरत आज यह है कि भारत सरकार को गंभीरता से इस विषय में सोचना होगा कि यदि हम इस परिदृश्य को बदलना चाहते हैं तो हर राज्य में एक अनुवाद अकादमी अनिवार्यतः बननी चाहिए और इससे भी बढ़कर देश में कम-से-कम एक विश्वविद्यालय अनुवाद का बनाना चाहिए। मुझे लगता है नई शिक्षा नीति इस दिशा में बहुत तेजी से काम कर रही है, इसके कार्यान्वयन के लिए उसके पास एक विजन है।

प्रश्न : मातृभाषा में शिक्षा और मातृभाषा में रोजगार इन दोनों में बहुत बड़ी खाई है। आपके अनुसार इसके क्या कारण हैं ? क्या भारत की वर्तमान शिक्षा नीति इसे लेकर गंभीर है ? आपके विचार इस विषय में क्या हैं ?

उत्तर : मातृभाषा में जब तक शिक्षा नहीं होगी तो रोजगार भी पैदा नहीं होंगे। अब यह सरकार निज भाषा में विकास की परिकल्पना कर रही है, हिन्दी वाले या भारतीय भाषाओं वाले लोग अपनी भाषाओं के प्रति एक व्यावहारिक समदृष्टि भाव रखेंगे, प्रयोग-अनुप्रयोग के माध्यम से अर्जन और प्रोत्साहन करेंगे तो निश्चित रूप से यह परिदृश्य बदलेगा और आने वाले समय में हमारे बच्चों के मन-मस्तिष्क में, हमारे अभिभावकों के मन-मस्तिष्क में यह बात आयेगी कि अपनी भाषा का सम्मान अत्यंत आवश्यक है। तब निश्चित है मातृभाषा में रोजगार के अवसर भी अवश्य सुलभ होंगे।

प्रश्न : आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया इसके लिए आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं! अंत में आप हिन्दी और भारतीय भाषाओं को केंद्र में रखते हुए हमारी युवा पीढ़ी एवं हमारे पाठकों को क्या संदेश देना चाहेंगे ?

उत्तर : मैं सभी विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों, शोधार्थियों और शिक्षकों से यह आग्रह और अनुरोध करना चाहूंगा कि अपनी भाषा के प्रति सम्मान घर से ही शुरू करें। हमें अपनी समेकित संस्कृति को और मजबूत बनाने के लिए भारत की समस्त भाषाओं को मजबूत बनाना होगा और हिन्दी को पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाएँ क्योंकि हिन्दी अखिल भारतीय स्तर पर सर्वाधिक भारतीयों के माध्यम से प्रयुक्त होने वाली, प्रयोग में आने वाली व संवाद में आने वाली भाषा है। फिर हम एक-एक कर दूसरी, तीसरी, चौथी अन्य भारतीय भाषाओं को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थापित करें। तब निश्चित रूप से हम अपनी भारतीय भाषाओं को वैश्विक भाषाएँ बनाने में सफल हो पाएँगे।

चमत्कार लोक भाषाओं का

नातू नातू ने रच दिया इतिहास : सफलता के शिखर को छूते हुए, एसएस राजामौली की आरआरआर फिल्म ऑस्कर घर लायी है। नातू-नातू ने 95 वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत पुरस्कार जीता है। इस गाने में 'नातू-नातू' शब्द का काफी इस्तेमाल किया गया है। जिसका हिन्दी में मतलब है 'नाचना' या नाचो-नाचो होता है। इस गीत को हिन्दी में 'नाचो-नाचो', कन्नड़ में 'हल्ली नातू', तमिल में 'नट्टू-कूथु' और मलयालम में 'करिन्थोल' के रूप में गाया गया है।

लखनऊ विश्व विद्यालय के हिन्दी तथा आधुनिक भाषा विभाग के प्रोफेसर पवन अग्रवाल ने लोकभाषा का स्वरूप बताते हुए कहा है लोकभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जो लोक मानस द्वारा निर्मित है और लोक प्रवृत्ति के अनुरूप ढलती रही है। इसकी कोई वैयाकरणिक, निरुक्ति या उत्पत्ति सिद्ध नहीं की जा सकती केवल लोकमानस में उसे ढूँढा जा सकता है। लोकभाषा के अन्तर्गत देशज शब्दों के अतिरिक्त तद्भव शब्द भी आते हैं क्योंकि इनके निर्माण में लोक प्रवृत्ति ही कार्य करती है जैसे- अंग्रेजी का 'लार्ड' शब्द लोक में आकर घिसते-घिसते 'लाट' बन गया। प्रोफेसर पवन अग्रवाल के मुताबिक लोकभाषा में नामवाची शब्दावली का विशेष महत्व है क्योंकि इनके मूल में लोक जीवन के अनेक लोक विश्वास संयुक्त हैं। इन नामवाची शब्दों के अध्ययन से एक विशेष प्रदेश की संस्कृति और शब्द निर्माण की प्रवृत्ति का अध्ययन किया जा सकता है। जैसे कि ननकू या ननक नाम घर में छोटे बच्चे का होता है और बड़े का बड़कऊ। कल्लू बालक के काले होने पर रखा जाता है तो गुड़िया, कोमल और सुन्दरता के आधार पर। इसी प्रकार हजारीलाल (हजार रूपये के लिए), माणिकचंद, राम भरोसे, गुरुबख्श आदि। कुछ नाम विकृत होकर प्रचलित हैं जैसे- कृष्ण-किशन और कन्हैया, इंद्राणी का इन्दरानी, गणेश को गनेश, ब्रह्मा को बरहमा। लोकभाषा में सबसे अधिक महत्व देशज शब्दावली का होता है। क्योंकि यह लोक की निजी सम्पत्ति है और इसका व्यवहार तत्सम-तद्भव की अपेक्षा अधिक होता है। यह देशज शब्द कहीं पारिवारिक वातावरण से सम्बन्ध रखते हैं तो कहीं संस्कार, त्यौहार या व्यवसाय से। देशज शब्दों की निर्माण प्रवृत्ति के आधार पर उनकी विशेषताएँ निम्नवत् देखी जा सकती हैं-

ध्वन्यात्मक- यह लोकभाषा के सबसे प्राचीन शब्द हैं। सबसे पहले मानव ने इन्हीं शब्दों द्वारा अपने भावों को अभिव्यक्त किया होगा। भाषा विज्ञान के इन शब्दों को 'डिंग-डांग सिद्धान्त' के अन्तर्गत रखते हैं। इस सिद्धान्तानुसार विभिन्न ध्वनियों को सुनकर उन्हीं ध्वनियों के आधार पर इन शब्दों का निर्माण हुआ होगा। जैसे- खनकार, हहरात, अरहर, सन सन आदि। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी की स्थापनाओं में से एक महत्वपूर्ण स्थापना यह भी है कि

भारतीय आर्य भाषाओं का विकास संस्कृत-पालि- प्राकृत-अपभ्रंश के क्रमिक विकास के रूप में (वंशवृक्ष की तरह) नहीं हुआ है और ना तो संस्कृत, सारी भारतीय आर्य भाषाओं की जननी ही है। वास्तव में भाषाओं का विकास नदी की धारा की तरह होता है, जैसे गंगा के समुद्र में मिलने से पूर्व मार्ग में बहुत-सी छोटी-बड़ी नदियाँ मिलती जाती हैं, उसी तरह से छोटी-छोटी भाषाएँ भी बड़ी भाषाओं में समाहित होती जाती हैं। दुनिया में भाषाएँ सिर्फ मर रही हैं। समाज के ऐतिहासिक विकास-क्रम में लघु जातियों की भाषाएँ महाजातियों की भाषाओं में समाहित होती जाती हैं। रामविलास शर्मा ने अपनी स्थापना की पुष्टि में आचार्य किशोरीदास वाजपेयी को उद्धृत किया है। वे लिखते हैं, "1953 में प्रकाशित एक लेख में मैंने संस्कृत-प्राकृत-अपभ्रंश वाली मंजिलों का विरोध किया था। इस सिलसिले में नामवर सिंह ने अपने गवेषणापूर्ण ग्रंथ 'हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग' में लिखा है, "किन्तु कुछ विद्वानों को भारतीय आर्यभाषा के विकास में संस्कृत-प्राकृत-अपभ्रंश वगैरह इतनी मंजिलें गिनाना असंगत प्रतीत होता है। डॉ. चाटुर्ज्या से जो उद्धरण पहले दिए गए हैं, उनसे स्पष्ट है कि इन मंजिलों की असंगति स्वीकृत पद्धति के भाषा-वैज्ञानिकों को भी मालूम हुई है। श्री वाजपेयी ने अपने ग्रंथ हिन्दी शब्दानुशासन में इस मंजिल को स्वीकार नहीं किया। इस विद्वानों के ग्रंथ पढ़ने के बाद मेरी यह धारणा और भी दृढ़ हो गयी कि यह मंजिलों की कल्पना अवैज्ञानिक है (भाषा और समाज, पृष्ठ-203)।

आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने दक्षिणी भाषाओं को दो भागों में देखा। वह देहली (दिल्ली) से जो दिशा पकड़ कर आगे बढ़े, उस हिसाब से 'मध्य प्रदेश' में बोली जाने वाली 'छत्तीसगढ़ी' 'मालवी' और 'अनामिका' आदि भाषाओं को 'दक्षिणी' कहा और घुर दक्षिण की तमिल, तेलगू, कन्नड़ तथा मलयालम तो दक्षिणी भाषाएँ हैं ही। ये 'तमिल' आदि भाषाएँ हमारे महान धर्माचार्य रामानुज और शंकर भगवान् की मातृभाषाएँ हैं। इसलिए हमारे हृदय में इन के प्रति विशेष सम्मान-भावना स्वाभाविक है। वेद-व्याख्याता सायण आदि भी वहाँ के थे। जो भाषाएँ जगतगुरु रामानुजाचार्य और भगवान शंकराचार्य आदि अपने कुटुम्ब में बोलते थे, उनके प्रति हमारा आकर्षण स्वाभाविक है, भले ही उन तक हमारी पहुँच न हो। यह अध्याय बहुत बड़ा हो गया है और कुछ थोड़ा आगे भी कहना है। इसलिए, अपनी उन 'तमिल' आदि भाषाओं की चर्चा एक अलग अध्याय में करेंगे। वे सब 'द्रविड़ परिवार' की भाषाएँ कहलाती हैं, जो वस्तुतः 'द्रविण' भाषाएँ हैं। 'द्रविण' शब्द का प्रयोग



रामकृष्ण वाजपेयी



हमने 'तान्' अर्थ में किया है ; जैसे कि संस्कृत में 'दुःखः संसर्गो दुर्जनानाम्' और 'सुखः संगः सतो मतः' आदि में 'दुःख' 'सुख' आदि का होता है। हम उन्हें 'द्रविण' भाषाएँ कहते हैं, एक उपपत्ति से। इसका खुलासा वहीं उनके प्रसंग में होगा। समृद्ध भाषाएँ हैं। उड़िया भाषा का एक छोर मध्य प्रदेश की छत्तीसगढ़ी भाषा से मिलता है।

आचार्य किशोरीदास वाजपेयी अगले अध्याय में कहते हैं पिछले अध्याय में भारत की जिन भाषाओं की संक्षेप में चर्चा की गई है, वे सब आपस में किसी न किसी अंश में बहुत कुछ मिलती हैं। परन्तु दक्षिण के चार राज्यों की तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम, ये चार भाषाएँ अपनी भिन्न प्रकृति रखती हैं। इन चारों का परस्पर कुछ मेल-सादृश्य है परन्तु पिछले अध्याय में वर्णित भाषाओं से इनका कैसा कोई मेल नहीं। यो, भारतीय भाषाओं के दो महावर्ग हो गए। एक है दक्षिण की इन चार भाषाओं का और दूसरा है, उन भाषाओं का, जो शेष भारत में फैली हुई हैं। इन दोनों ही महावर्गों को एक सूत्र में लाने वाली संस्कृत भाषा है, जिसमें भारतीय संस्कृति भरी हुई है। दोनों को मिला कर भारतीय संस्कृति है। वह भारतीय संस्कृति दक्षिण भारत में बने महान् संस्कृत-साहित्य में और काश्मीर में बने संस्कृत-साहित्य में एक ही है, एकरूप है। बंगाल में निर्मित संस्कृत-साहित्य में जो चीज है, वही पंचनद के संस्कृत-साहित्य में है। वही संस्कृत भाषा भारत की सभी भाषाओं को अनुप्राणित करती है, सभी की वह उपजीव्य है। वही सब में एकता का सूत्र है।

1. अन्तर का कारण क्या है ?

दक्षिणी भाषाओं में और भारत की अन्य आधुनिक भाषाओं में ऐसा अन्तर क्यों है ? अन्य भाषाएँ अपनी भिन्न स्थिति रखते हुए भी परस्पर मिलती हैं। परन्तु दक्षिण भारत की ये भाषाएँ भिन्न प्रकृति की हैं। इन के धातु, सर्वनाम, विभक्तियाँ, प्रत्यय और अव्यय एक पृथक धारा के हैं। इनके एक ओर पूर्वी वर्ग की 'उड़िया' भाषा है दूसरी ओर मराठी है और तीसरी ओर छत्तीसगढ़ी आदि भाषाएँ हैं, जो परस्पर मिलती-जुलती हैं परन्तु बीच में दक्षिणी भाषाओं का यह संघ अलग क्यों है? इतना भेद क्यों है ? एक मत यह है कि भारतीय भाषाओं का मूलतः उद्भव और विकास दो प्रकार का है। एक प्रकार वह है और दूसरा यह। विकास होते-होते अपना-अपना रूप बन-बदल गया। दूसरे लोग कहते हैं कि बात ऐसी नहीं है। वे कहते हैं कि आर्य लोग कहीं बाहर से आये और द्रविड़ लोग मूल निवासी थे जिनकी ये चार दक्षिणी भाषाएँ हैं। उनका कहना है कि आर्य लोग आगे बढ़ते गए और वह द्रविड़ लोगों को पीछे धकेलते गए परन्तु समुद्र तट पर ले जाकर छोड़ दिया। जबरदस्ती न तो समुद्र में ही डुबोया और न ही वहाँ से भाग जाने को ही विवश किया। तीन ओर

आर्य और एक छोर पर द्रविड़ लोग। अतः वे भाषाएँ आर्यों की और ये द्रविड़ों की। इस कहानी की परीक्षा करनी है। पहली बात तो यह समझ लीजिए कि शताब्दियों पहले के दक्षिणात्य संस्कृत के विद्वानों ने बड़े गौरव के साथ अपने को आर्य कहा है और सम्मानार्थ अपने से बड़ों का आर्य पद से स्मरण किया है। यदि पुरखों में कहीं कभी वैसा धकेला धकेली का किस्सा हुआ होता, तो लोग भूल न जाते। वैसे जातीय संघर्ष का कहीं उल्लेख भी नहीं मिलता है। ईरान के और भारत के पुराने आर्य भारत वैदिक युग में हुआ था, उसका खूब वर्णन है। देवासुर संग्राम शताब्दियों तक चलता रहा। सब जानते हैं। परन्तु 'आर्य-द्रविड़' संघर्ष का कहीं उल्लेख नहीं। द्रविड़ों में आर्य गए ही नहीं बस गए हैं आकर। यदि वैसा संघर्ष हुआ होता, तो वेदों में, पुराणों में और द्रविड़-साहित्य में अवश्य वर्णन होता रामायण काल में भी संघर्ष जैसी कोई बात नहीं। यहाँ तक कि निर्वासित वनवासी आर्य राम जब लंका जाने की तैयारी करते हैं, तब भी कहाँ द्रविड़ लोग छेड़छेड़ा नहीं करते हैं। जब राम जी कुछ दिन समुद्र तट पर डरे डाल कर पुल बनवाने की तैयारी करते हैं, तब भी द्रविड़ लोग कोई प्रतिक्रिया नहीं प्रकट करते। चुपचाप उदासीन भाव से अपना काम करते हैं। जब राम ने लंका से दुष्ट शासन समाप्त किया पर वे स्वयं वहाँ के शासक नहीं बने और अपने उज्ज्वल चरित्र का परिचय दिया, तो लंका भी भारत की मैत्री में बंध गया। उस समय लंका में भारतीय संस्कृति पहुँच चुकी थी, रावण जैसा शासक भी वेदों का पण्डित था वहाँ वर्ग-व्यवस्था भी भारत की ही तरह थी परन्तु ब्राह्मण शासन भी सँभालते थे। भारत के परशुराम जैसे वीर दुष्ट-दमन करके शासन दूसरों को सौंप देते थे। यों कुछ विचार-भेद था पर वर्ण-व्यवस्था लंका तक पहुँच गई थी। तब समुद्र के इसी पार द्रविड़ जनों की संस्कृति भारतीय संस्कृति से सर्वथा भिन्न होगी। ऐसा नहीं कहा जा सकता। संस्कृति आज भी भारत और नेपाल की एक ही है परन्तु शासन व्यवस्था अलग है। लंका की ही तरह दक्षिण भारत की भी शासन व्यवस्था भिन्न होगी। परन्तु लंका की तरह ये लोग शेष भारत के शत्रु न हो गए थे। राम ने तो फिर सब को एक ही कर दिया। रामेश्वर मन्दिर की स्थापना का भी उद्देश्य था। मूलतः शिव उपासना दक्षिण भारत की ही चीज है, जिसे राम जी ने स्वीकार किया। वस्तुतः वैष्णव धर्म भी नए रूप में दक्षिण भारत से ही शेष भारत में पहुँचा। रामानुज तमिल भाषाभाषी थे और शंकर केरल के मलयालम भाषी थे। ये तो बाद की बातें हैं। प्रारम्भ में अगस्त्य ऋषि ने दक्षिण भारत को शेष भारत से मिलाने का यत्न किया और उनके अनुष्ठान को पूर्व तक राम जी ने, राम भारत के प्राण हैं केवल आर्यावर्त के ही नहीं ये, संघर्ष की बात से गलत है पर वस्तुस्थिति क्या है?



2. द्रविड़ कहीं बाहर से तो नहीं आए ?

हम दो संभावनाएँ करते हैं। एक तो यह कि इस महादेश के उत्तर में एक भाषा का उद्भव और विकास हुआ, जो ईरान आदि तक व्याप्त थे और जिसने पूर्व तथा अन्य बहुत से देशों को प्रभावित किया। इसी भाषा की शाखा प्रशाखाएँ आज वे हैं, जिनका उल्लेख पीछे हुआ है। इसी भाषा के मूल रूप को परिष्कृत करके उसने वेद-जैसा अमर साहित्य दिया। आगे जनभाषा के रूप में विकास होते-होते उस मूल आर्य भाषा का भी उतना विस्तार हुआ। संस्कृत का भी विकास हुआ और वह अपने युग की जनभाषाओं (प्राकृतों) से प्रभावित भी होती रही और उन्हें अनुप्राणित भी करती रही। जनभाषाएँ (विभिन्न 'प्राकृत' भाषाएँ) प्रदेश-भेद से भिन्न-भिन्न हुईं। परन्तु संस्कृत सर्वत्र एक रूप रहा। यद्यपि शैली-भेद हुआ, जिन्हें 'पांचाली' 'गोड़ी' 'बेदभाँ' आदि नाम मिले। कुछ उच्चारण-भेद और शब्दों में रूप-भेद हुआ, जैसा कि पाणिनि के प्रायाम् श्रुतीचाम्श आदि शब्दों से स्पष्ट है। व्यापक भाषा में यह सब होता ही है। अंग्रेजी का एक ही शब्द कहीं किसी रूप में उच्चरित होता है, अन्यत्र किसी दूसरे ही रूप में। यही स्थिति संस्कृत की थी, जो भारत भर में ही नहीं, बाहर दूर-दूर के देशों में भी शिक्षित जनों की व्यवहार भाषा थी- शिक्षा का माध्यम थी। भारत पर आक्रमण की सदा तैयारी करते रहने वाला लंकाधिपति भी संस्कृत भाषा का उपासक था। सो, सर्वत्र देश-भेद से और प्रदेश-भेद से अपनी-अपनी भाषाएँ थीं, जिनका अनुप्राणन संस्कृत से होता था जिस मूल भाषा का शिष्टजन गृहीत और परिष्कृत रूप संस्कृत भाषा, उसी के जनता गृहीत साधारण रूपों से विभिन्न धाराएँ निकल कर देश भर में फैली दक्षिण का कोना छोड़कर। इसे आप आर्यभाषा वर्ग कह सकते हैं। भाषाओं का पृथक् अस्तित्व आगे चलते-चलते इनके रूप कुछ और भिन्न हो जैसे उत्तर में आर्यभाषा का उद्भव और विकास हुआ, उसी तरह दक्षिण में द्रविड़ गए। इन भाषाओं में उच्च कोटि का साहित्य बना ये भाषाएँ भी संस्कृत से प्रभावित हुईं। संस्कृत का प्रभाव दक्षिण भारत में इतना बढ़ा कि जिसकी तुलना में शेष भारत का शायद दिया हुआ सर्वोच्च है और व्याकरण तथा काव्य-साहित्य आदि का मन्थन काश्मीर में ही कोई प्रदेश ठहरे। काश्मीर ठहर सकता है। दार्शनिक साहित्य संस्कृत में दक्षिण का सबसे अधिक हुआ है। सो, दक्षिण की भाषाओं का या स्वतंत्र उद्भव इसी देश के अपने क्षेत्र में हुआ और उत्तर तथा दक्षिण को जोड़ने वाली कड़ी संस्कृत। यह एक सम्भावना है। दूसरी संभावना यह है कि द्रविड़ भाषा-भाषी जनता अति प्राचीन काल में कदाचित् कहीं बाहर से आकर समुद्री रास्ते आकर इस देश के दक्षिणी समुद्र-तट पर बस गई। इसी समूह के कुछ लोग समुद्र के दूसरे तट पर उत्तरी लंका में बस गए जान पड़ते हैं। कभी-कभी पूरी जाति की जाति उखाड़ दी जाती है और कहीं अन्यत्र जा कर बस जाती है। यहूदी जाति का

उदाहरण सामने है... उधर भारत का एक भाग शासन-दृष्टि से 'पाकिस्तान' बना और तब वहाँ के सिन्धी, पंजाबी, पख्तून और बंगाली हिन्दू सामूहिक रूप से उजाड़ दिए गए। कोटि-कोटि जनता बेघरवार हो गई जिसमें गरीब-अमीर व्यापारी मजदूर शिक्षित सभी थे वे सब लोग यदि कोई उपजाऊ और जन-हीन बड़ा भू-भाग कहीं अन्यत्र पा जाते और वहाँ जाकर सब बस जाते, तो इनके सिन्धी, पंजाबी, बंगाली और पख्तून वर्ग होते हुए भी सब एक रहते। बहुत कुछ समानता हिन्दूपन की और सब के सब उजड़े हुए। उस समय भारत का दक्षिणी समुद्र तट खाली पड़ा था। आर्य जन वहाँ न पहुँचे थे। बीच में भयंकर और दुर्गम जंगल सहस्रों मील का रास्ता रोके था, जहाँ खूंखार जंगली लोग रहते थे। आज के मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग उसी महारण्य की भूमि पर बसा हुआ है। उस समय वह महारण्य नाम लेते ही डर पैदा करता था। राम जी जब वन चलने लगे, तो लोगों ने उनसे कहा कि दक्षिण की ओर न जाइए अन्य किसी ओर चले जाइए। दक्षिण की ओर पैर करने को आज भी उत्तर भारत में अशुभ मानते हैं, मृत्यु की दिशा मानते हैं। यह उसी भयानक महारण्य का प्रभाव आर्यों को इधर बसने फैलने को पर्याप्त क्षेत्र था ही। सो, दक्षिण (समुद्र तट) की लहलहाती स्वर्ण-भूमि पर वह उजड़ी हुई जाति आ जमी, निश्चय ही वे लोग बहुत बुद्धिमान और शान्ति प्रिय थे। युद्ध करके इधर-उधर के भू-भागों पर अधिकार जमाने का प्रयत्न उन्होंने नहीं किया। अपने क्षेत्र में चतुर्धा विभक्त होकर जम गए। ये चारों वर्ग या तो किसी एक ही देश के चार प्रदेशों के निवासी होंगे या फिर पड़ोसी देशों के होंगे। राजा राज करने लगे, व्यापारी व्यापार करने लगे, किसान खेत जोतने लगे देश बस गया।

उधर लंका में भी कुछ लोग बस गए। इन दक्षिणात्यों का शेष भारत के लोगों से न कोई बैर था, न विशेष लगाव ही, एकता तो बाद में हुई। जब राम जी वह दुर्गम वन पार कर के पंचवटी पहुँचे, तो वहाँ रावण के प्रतिनिधियों ने तंग किया। रावण ने समुद्र-तट पर अपना अड्डा बना लिया था और खर-दूषण को वहाँ का अधिकार सौंप रखा था। ये लोग महारण्य के अविकसित जनों को मिलाना सिखाना चाहते थे और उन पर अधिकार करके उत्तर भारत तक पहुँचने की सोच रहे थे। जब राम जी 'पंचवटी' (आज के नासिक नगर के समीप) उस महारण्य में पहुँचे, तो रावण के प्रतिनिधियों ने उत्तर-भारत का सब भेद लेने के लिए अपनी बहन शूर्पणखा को प्रेरित किया कि प्रेम-प्रदर्शन करे और दो में से किसी एक से विवाह कर ले। वह गई पर असफल रही खर-दूषण अपनी टुकड़ी के साथ सामने आए और मारे गए। इस समाचार से और अपनी बहन की नाक काट लेने को युद्ध की ललकार समझ कर रावण ने भी सीता को ले जाकर कैद कर दिया। हिम्मत हो, तो ले जाओ। छेड़-छाड़ बहुत दिन से चल रही थी। बीच के महा में उन दस्युओं को मानव आय बनाने के लिए अनेक ऋषि अपनी जान हथेली पर रख कर जाते थे



गौरवपूर्ण एवं समृद्ध है गुजराती भाषा

गुजरात का नाम लेते ही प्रत्येक भारतवासी को उन महापुरुषों का स्मरण हो आता है, जिनका नाम भारत के निर्माताओं की सूची में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। वे हैं - श्रीकृष्ण, स्वामी दयानंद और महात्मा गाँधी। भारतीय एकता का स्वप्न देखने वाले शंकर ने चार मठों में से एक शारदा मठ की स्थापना इसी प्रदेश के अंतर्गत द्वारका में की थी। यहीं पर सोमनाथ मंदिर है। प्राचीनकाल से लेकर अब तक इस प्रदेश के अनेक नाम रहे हैं, जैसे - लाट प्रदेश, अनूप, आवर्त और शुर्पारक। 16 वीं शताब्दी में यह प्रदेश गुर्जर देश कहलाने लगा और सत्रहवीं में गुजरात। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार, गुजरात शब्द गुर्जरत्र से बना है। इसका अर्थ है - गुर्जरों से रक्षित भूमि। यह गुर्जर जाति संभवतः मध्य एशिया से आई थी जो देश के अनेक भागों में बस गई थी, पाकिस्तान में 'गुजरात-वाला' स्थान इस बात का प्रमाण है। गुजरात की भाषा 'गुजराती' कहलाई। इसे 'गुजराती' नाम सत्रहवीं शदी में कवि प्रेमानंद ने दिया। इससे पूर्व यह भाषा अपभ्रंश के रूप में रही, जिसका एक उदाहरण इस प्रकार है - पुत्ते जाएँ कवणु गुणु अवगुणु कवणु मुएण । जा बप्पीकी भूँहिडी चंपिज्जई अवरेण। अर्थात् ऐसे पुत्र के जन्म से क्या लाभ और मृत्यु से क्या हानि है, जिसके रहते हुए भी शत्रुओं द्वारा बाप-दादों की भूमि दबा ली जाए।

01 मई, 1960 को गुजरात अलग राज्य बना। पिछली जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या तीन करोड़ उनतालिस लाख इकसठ हजार (3,39,61,000) है। कुल जनसंख्या का 90 प्रतिशत गुजराती भाषा-भाषी है। विदेशों में बसे हुए गुजराती भाषा-भाषियों को मिलाकर लगभग साढ़े तीन करोड़ लोगों की यह मातृभाषा है। गुजरात राज्य की स्वीकृत राजभाषा गुजराती है। शिक्षा और प्रशासन में यही भाषा चलती है। मध्य गुजरात या अहमदाबाद के निकट की गुजराती परिनिष्ठित या मानक गुजराती है। नगरों में नागरिक मानक गुजराती का ही अधिक प्रयोग करते हैं। गुजराती भाषा का उद्भव और विकास गुजराती मूलतः आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। हिन्दी, बंगला, मराठी आदि आर्य भाषाओं की भाँति इसका मूल स्रोत भी संस्कृत है। वैदिक संस्कृत के साथ-साथ ही बोलचाल की संस्कृत विकसित हुई। संस्कृत के पश्चात क्रमशः पाली, प्राकृत और अपभ्रंश का विकास हुआ। अपभ्रंश का एक रूप शौरसेनी अपभ्रंश से एक ओर हिन्दी (ब्रजभाषा आदि) और दूसरी ओर राजस्थानी और गुजराती का जन्म हुआ। गुजराती और राजस्थानी दोनों भाषाओं के प्राचीन रूपों में साम्य है तथा दोनों का प्राचीन साहित्य भी लगभग समान है। गुजराती का शब्द - समूह मूलतः संस्कृत के स्रोतों पर आधारित है। इसमें संस्कृत की शब्दावली के साथ, अन्य भारतीय आर्यतर भाषाओं और विदेशी भाषाओं के शब्दों की भी भरमार है।

अतः संस्कृत तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों से गुजराती की शब्द-संपदा का भंडार भरा हुआ है। कुछ उदाहरण दृष्टव्य हैं- गुजराती में संस्कृत शब्द-पुस्तक, वचन, वायु, आत्मा आदि। तद्भव शब्द - पोथी, वेण आदि। अर्धतत्सम शब्द-धरम, करम, मरम, भरम आदि। देशज शब्द- झड़ी, बाय, डुंगर, पेट, बादली, लाकडु आदि। समुद्री यात्रियों से संबंधित शब्दावली-लंगर, सद्, तोतिंग, हलेसां, बंदर आदि। विदेशों के साथ व्यावसायिक शब्द प्रयोग-उम्दा, इल्म, जरूर, दलील, दुनिया, सलाह, दीनार आदि। मुस्लिम शासन में कोर्ट-कचहरी में प्रयुक्त फारसी के शब्द-गरीब, अमीर, हवा, जमीन, जानवर, दगो आदि। अंग्रेजी के शब्द-कोर्ट, टिकिट, स्कूल, बैंक, ट्रेन आदि। मराठी शब्द-आई, निदान, ताबड़ तोब, खटपट, वाटाघाट आदि। पुर्तगाली शब्द-पगार, पलटण, पिस्तोल, तमाकु, मेज, पादरी, चावी आदि। कन्नड़ भाषा शब्द-वकट, मूठ, नार, बंको, ओड आदि। बंगला भाषा के शब्द-श्रीयुत, महाशय, अपरूप आदि। इसके अतिरिक्त हिन्दी, तुर्की, ब्रजभाषा आदि भाषाओं के आम बोलचाल के अनेक शब्द भी गुजराती में घुलमिल गए हैं। गुजराती का मानक रूप ही राजभाषा के रूप में व्यवहृत है जो शिक्षा, प्रशासन एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में प्रयुक्त हो रहा है।



गुजराती भाषा की बोलियाँ

गुजरात में स्वीकृत बोलियाँ अधिक नहीं हैं। कुछ के नाम इस प्रकार हैं-

सुरती - दक्षिण गुजरात की बोली है, इसमें 'स', 'श' के स्थान पर 'ह' ध्वनि का प्रयोग होता है। जैसे ससरो को हहरो और शाक को हाक बोला जाता है।

चरोत्तरी - चरोतर की बोली चरोत्तरी है। इसमें क, ख, ग, घ को क्रमशः च, छ, ज और झ उच्चारण होता है। जैसे क्यां को च्यां, काकी को काची, खेतर को छेतर, घाभड़ी को झाभड़ी।

पट्टणी - यह उत्तर गुजरात की बोली है, जिसका प्रभाव ठेठ आबू तक पाया जाता है। इसमें क्रिया-रूपों में भूतकाल में विपथन ध्यान देने योग्य है। जैसे आव्यो को आवियो आदि। कहने के अर्थ में 'पूछने' का प्रयोग जैसे तने पूछ्युं। इन बोलियों के अतिरिक्त कुछ जातियों की भी अपनी विशिष्ट बोलियाँ हैं जो उन्हीं तक सीमित हैं, जैसे मुसलमान, पारसी, चारण, भील, डांगी, खारवा, चोधरा, वाघेर, मेर, भरवाड़ आदि जातियों की अपनी-अपनी बोलियाँ हैं।



पृष्ठ संख्या 10 का शेष

लिपि- गुजराती लिपि मूलतः देवनागरी लिपि ही है, किंतु किंचित परिवर्तित रूप है। गुजराती लिपि शिरोरेखाविहीन लिपि है। ज्ञातव्य है कि सौ-डेढ़ सौ वर्ष पहले उस पर शिरोरेखा लगाई जाती थी परंतु बाद में यह प्रचलन बंद हो गया। वणिकों के बही-खाते में आज भी शिरोरेखा लगाई जाती है। गुजराती में 'अ' स्वर देवनागरी से भिन्न है। इस भाषा के स्वर-व्यंजन वृत्ताकार और घुमावदार हैं। इस लिपि में चंद्रविंदु का प्रयोग न होकर केवल अनुस्वार प्रयोग होता है, जैसे चंद्र, चांद। इस लिपि में उर्दू शब्दों में नीचे लगने वाला नुक्ता लगाना अब प्रयोग में नहीं है।

गुजराती भाषा का राष्ट्रीय महत्त्व

गुजराती भाषा का साहित्यिक, प्रशासनिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध भाषा है जिसमें पिछले एक हजार वर्ष से लेकर अब तक विपुल साहित्य रचा गया है और अब भी रचा जा रहा है। इसको सहस्त्रों साहित्यकारों ने समृद्ध किया है। राष्ट्रीय दृष्टि से गुजराती का महत्त्व इसी से सिद्ध है कि राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने अपनी आत्मकथा, 'हरिजन' पत्र तथा अन्य पुस्तकें गुजराती में लिखी थीं। राष्ट्र कवि झवेर चंद मेघाणी ने अपने शौर्य गीतों से देश में राष्ट्र-भावना जगाई थी। काका कालेलकर, महादेव भाई देसाई आदि महान नेताओं और साहित्यकारों ने अपना साहित्य इसी भाषा में सृजित किया। वर्तमान में भी अनेक स्वनामधन्य साहित्यकार गुजराती भाषा में कविता, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध, आत्मकथा, समीक्षा एवं भाषा विज्ञान आदि विधाओं में सतत साहित्य-सर्जना में रत हैं। इस प्रकार गुजराती भाषा एवं उसके साहित्य का भविष्य अत्यंत समुज्ज्वल है।

-गौरीशंकर वैश्य 'विनम्र'

117, आदिल नगर, विकासनगर लखनऊ-226022

और वहीं रह कर अपने चरित्र का प्रभाव डालते थे। उधर इन वनवासियों पर डोरे डाल रहा था और उसके आदमी इनको मार देते थे। वह सब चल ही रहा था। तभी तो राम जो लोगों के मना करने पर भी उसी ओर गए।

सीता हरण के अनन्तर राम जी लंका की ओर चले तो कई जगह से उन्हें सहायता मिली। वह स्थान आज-कल मराठी भाषी क्षेत्र है, जहाँ राम जी ने अपने एक मित्र से सेना प्राप्त की थी जब सेना सहित राम जी दक्षिण समुद्र तट पर पहुँचे तो वहाँ के निवासियों ने न तो इनका स्वागत किया, न ही विरोध। स्वागत करने की कोई बात ही नहीं थी क्योंकि तब तक वैसी एकता पैदा ही न हुई थी कि वे राम को अपना समझते। दूसरे, स्वागत करके पड़ोसी राज्य लंका से बैर कौन मोल लेता ! रावण भी इन दक्षिण भारतीयों को न छोड़ता था। जानता था कि ये तो बाहर से आए तटस्थ लोग हैं और इन्हीं के भाई बिरादरी लंका में भी है। संभव है, हमारी सहायता ही करें। रावण के भारत भेजे हुए अधिकारी भी उन दक्षिण भारतीयों को न छोड़ते थे। वे तो वनवासियों को साथ लेकर उत्तर भारत पर अधिकार करना चाहते थे। सो पूरा स्थान उस समय दक्षिण प्रदेश ने बरता। यदि कभी आर्यों से संघर्ष हुआ होता, तो कम से कम इस समय तो बदला निकालने का पूरा अवसर था और वे चूकते भी नहीं।

3. एकता की सम्पन्नता

आगे चलकर जब लंका का डर जाता रहा और आर्य-प्रकृति का पूरा परिचय मिल गया, तो मेल-मिलाप बढ़ा और दोनों महावर्ग मिल कर एक हो गए। बाहुल्येन व्यपदेशा भवन्ति बहुतायत से शब्द व्यवहार होता है। आर्य अधिक थे, द्रविड़ थोड़े थे, इसलिए सर्वत्र आर्य-व्यवहार हुआ। द्रविड़ भी आर्य और शेष भारत के जन भी आर्य। यदि द्रविड़ अधिक होते, तो कदाचित्त सब लोग 'द्रविड़' ही कहलाते क्योंकि सभी बातों में दोनों महावर्गों का बराबरी से आदान-प्रदान हुआ है। अन्य देशों में भी शब्द व्यवहार इसी तरह हुए है। इंग्लैंड में कितने ही वर्ग आ-आ कर बसे मिले परन्तु इंग्लिश सब कहलाए। वे नाम इतिहास में ही हैं। सो, आर्य कहाँ से आए द्रविड़ कहाँ से आए या यहाँ दोनों पैदा हुए ये सब बातें साफ नहीं हैं। तरह-तरह की संभावनाएँ हैं। साफ बात यह है कि हम सब पहले आर्य कहलाते थे अब भारतीय कहलाते हैं। हम एक संस्कृति के हैं और संस्कृत भाषा हम सब लोगों की भाषाओं में व्याप्त है। इन्हें अनुप्राणित करती है। तत्व इतना है। आचार्य वाजपेयी ने सालों पहले जिस एकता का सूत्रपात किया था। आज राजामौलि की फिल्म आरआरआर के गीत नातू-नातू ने उसे सही साबित कर दिया। भाषा का इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा।

-रामकृष्ण वाजपेयी, एसोसिएट प्रोफेसर
जागरण इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मॉस कम्प्युनिकेशन
साकेत नगर, कानपुर

हिन्दी मात्र एक भाषा ही नहीं है
अपितु एक संस्कृति है, संस्कार है।
देश-दुनिया की प्रगति और
सभ्याचार में इसका
महत्वपूर्ण योगदान है ॥

सुधाकर पाठक

अध्यक्ष, हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी
विकासनगरी लखनऊ

गुजराती साहित्य पर गाँधी का प्रभाव

आप सब जानते ही हैं कि पूरे देश में वर्ष 2009 गाँधी जी की पुस्तक 'हिन्द स्वराज' के शताब्दी वर्ष के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस साहित्यिक हलचल के अवसर पर गाँधी जी एवं हिन्द स्वराज की विवेचना, विश्लेषण, विचार-विमर्श और मंथन अनेक रूपों में किया गया किन्तु इतिहास के इस दर्पण में एक पुस्तक तथा एक व्यक्ति अतीत की घटनाओं की पुनरावृत्ति का केंद्र बना रहा या कहें कि चर्चा केवल हिन्द स्वराज तक ही सीमित रही तो अनुचित न होगा। निश्चित ही अब तक गाँधी जी को महात्मा, समाज-सुधारक, स्वतन्त्रता सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ आदि रूपों में व्याख्यात किया गया है। लेखक के रूप में गाँधी जी का मूल्यांकन अब भी अधूरा लगता है, यद्यपि वे स्वयं को साहित्यकार नहीं मानते पर यह भी सच है कि इस महान विश्ववन्द्य विभूति तथा युग पुरुष ने अपने लेखन से भी समूचे राष्ट्र में मानवोचित उच्च भावना और आदर्शों की लहर उत्पन्न कर दी थी। इस प्रकार वे अनेक साहित्यकारों के प्रेरणा स्रोत भी बने। गाँधी जी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ में राष्ट्रीय शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का बल्कि कहें तो रचनाकारों का एक ऐसा समूह तैयार हुआ जिसने कई प्रकार से गुजराती साहित्य को समृद्धि प्रदान की।

माना जाता है कि सन् 1914 तक गुजराती साहित्य में दो सबल व्यक्तित्व हुए- गाँधी जी और कन्हैयालाल मुंशी। दोनों ने साहित्य में नए प्राण फूँके, उसे नई शक्ति और नई दिशा दी, भाषा को सरलता प्रदान की। नई पीढ़ी के रचनाकारों ने गाँधी जी के जीवन तथा जनता को एक नवीन दृष्टि से देखना आरंभ किया। उनके प्रभाव के कारण ही लेखकों का ध्यान निर्धनों और दलितों की ओर गया। एक ओर गाँधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन तथा दूसरी ओर विश्व युद्ध, पश्चिमी विचारधारा, रूस का समाजवाद व साम्यवाद, पुरानी गुजराती, संस्कृत और अंग्रेजी का अध्ययन, अन्य प्रांतीय साहित्य का प्रभाव आदि के कारण भी गुजराती साहित्य में अनेक परिवर्तन आए। कविता को नया रूप मिला। भाषा में प्रसाद गुण और वाक छटा आई। छंदों का प्रयोग हुआ, विषयों का विस्तार हुआ। सबसे बड़ी बात यह हुई कि गुजराती साहित्य में लोक भाषा और लोक साहित्य को महत्ता मिली। गाँधी जी ने उन युवा लेखकों को प्रोत्साहन दिया जिनकी शैली सीधी, सरल और प्रभावपूर्ण थी, जो कोरे पांडित्य से दूर थे। गाँधी जी स्वयं आलंकारिक भाषा की अपेक्षा छोटे-छोटे सादे वाक्यों में भाव व्यक्त करते थे। इसलिए उस समय के कई साहित्यकारों में पंडित युग की गंभीर और विद्वतापूर्ण दृष्टि का अभाव दिखाई पड़ता है। परिवर्तन का यह दौर 1920 से अधिक तीव्र हुआ जब गाँधी जी अफ्रीका से वापस आए। साहित्य जगत की इस नई हलचल में अनेक रचनाओं का सृजन हुआ। समयजीवी और आवश्यक चिंतन मूल्यों का समावेश किया गया। 1940 के बाद एक ओर जहां पंडित युग की रचनाएँ दिव्यलोक भव्यलोक की बातें

करते हुए व्यक्ति चेतना में डूब जाती है वहीं दूसरी ओर गाँधी युग की कविता समकालीन जीवन की विषमताओं और देश प्रेम की बातें करती हैं। गुजरात के सुप्रसिद्ध कवि उमाशंकर जोशी की ये पंक्तियाँ देखिए- “भारत नी जीवन-गंगा मां, भड़ी जई हूं थाउँ अशेष भारत नी माटी मा मणू, लहरों मुज स्वप्न नो देश” गाँधी जी से प्रभावित गुजराती साहित्य को हम निम्नलिखित कालखण्डों में आसानी से समझ सकते हैं-



डॉ. मीनाक्षी जोशी

- 1) 1915 से 1945 - काका कालेलकर, रामनारायन पाठक, स्वामी आनंद, उमाशंकर जोशी, सुंदरम, झवेरचंद मेघाणी, पननलाल पटेल, ज्योतिन्द्र दवे, चंद्रवदन मेहता, झिनाभाई देसाई, मनुभाई पंचोली, ईश्वर पटेल।
- 2) 1945 से 1955 - राजेंद्र शाह, निरंजन भगत, बेनिभाई पुरोहित, प्रह्लाद पारेख, बालमुकुंद दवे, सुरेश दवे आदि।
- 3) 1955 से 1985 - गुलाबदस ब्रोकर, मनसुखलाल जोशी, गुलाम मुहम्मद शेख, हरेन्द्र दवे, चिनु मोदी, नलिन रावल, आदिल मंसूरी, रघुवीर चौधरी।
- 4) 1985 से अब तक- लाभशंकर ठाकर, मनीलाल पटेल, रमेश पारेख, भगवती कुमार शर्मा, गुणवंत शाह, योसेफ मेकवान, एवं अन्य अनेक।

उपरोक्त कालसीमा में बंधकर विषय का मूल्यांकन करना मुश्किल है क्योंकि गाँधी जी का प्रभाव तो युगों-युगों तक साहित्य में किसी-न-किसी रूप में अमर रहेगा। बहरहाल इनमें से कुछ उन साहित्यकारों की बात करना उचित होगा जो गाँधी-विचारों के प्रभाव की दृष्टि से गुजराती साहित्य में मील के पत्थर माने जाते हैं। यून तो गाँधी जी के सबसे निकट सहयोगी कन्हैयालाल मुंशी (1912) ने गुजराती साहित्य में जो क्रांतिकारी परिवर्तन किए, उसकी चर्चा के लिए एक पूरी स्वतंत्र पुस्तक लिखी जा सकती है, फिर भी यहाँ इतना कहना तो आवश्यक है कि लगभग 50 वर्षों तक किए गए उनके लेखन ने गद्य विधाओं के विषय और भाषा शैली की रूढ़ परम्पराओं को तोड़ने तथा नवीन पद्धतियों को स्थापित करने का साहस किया है। 1915 में इन्होंने 'यंग-इंडिया' पत्र आरंभ किया और 1938 में भारतीय विद्या भवन की नींव रखी जिसके परिणामस्वरूप साहित्य, संस्कृति, राष्ट्र प्रेम, सामाजिकता एवं मानव जीवन के आदर्शों को अद्भुत प्रवाह मिला। गाँधी युग के प्रथम गुजराती हास्य-व्यंग्यकार काका कालेलकर ने मराठी भाषी होते हुए भी गुजराती साहित्य को अमूल्य योगदान दिया है। 1917 में कालेलकर जी ने गाँधी जी के सत्याग्रह आश्रम में प्रवेश किया।



पश्चात् गुजरात विद्यापीठ के आचार्य एवं गाँधी जी के शिष्य बनकर उन्होंने गाँधीवादी दर्शन को अपना लिया जिसका प्रभाव उनकी रचना 'स्मरणयात्रा', कालेलकर नां लेखों, 'जीवन भारती', जीवन नो आनंद' तथा ओतराती दीवाल्लों' में देखा जा सकता है। जीवन भारती में तत्कालीन सामाजिक और ग्राम्य जीवन का गहन विवेचन है। ओतराती दीवाल्लों में उन्होंने जेल में काटे गए दिनों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। भारतीय संस्कृति, कला, एवं नैतिकता के समर्थक कालेलकर जी की यद्यपि अपनी मौलिक दृष्टि थी फिर भी वे गाँधीवादी दृष्टि को नहीं छोड़ते। गुजराती गद्य लेखन में निबंध और आत्मचरित विधाओं की अभिवृद्धि में कालेलकर जी का योगदान गाँधी जी के प्रभाव का ही नतीजा है।

डायरी लेखन में महादेव भाई देसाई की डायरी (5 खंडों में) न केवल गुजराती साहित्य में अपितु विश्व साहित्य में अपनी महत्ता दर्ज कराती है। प्रायः डायरी लिखने वाले के विचार, भाव, व्यक्तित्व, पसंद-नापसंद आदि उनके लेखन में दिखाई देते हैं, किन्तु महादेव भाई का स्वयं को सर्वथा एक ओर रख गाँधी जी के अनुभव और उनके संपर्क में आने वाले अनेक छोटे-बड़े महानुभावों की एक-एक घटनाओं का चित्रण करना इस डायरी की सबसे बड़ी खासियत है। प्रवाहमयी भाषा, सत्य का आग्रह और आलेखन शैली भी कम विशिष्ट नहीं। गुजराती के श्रेष्ठ अनुवादकों में इनकी गणना होती है। रवीन्द्रनाथ टैगोर की 'चित्रांगदा' तथा गाँधी जी के अनेक अंग्रेजी लेखों का गुजराती अनुवाद भी उदाहरणस्वरूप देखे जा सकते हैं। 'बारडोलीसत्याग्रह नो इतिहास' उनके गाँधी विचारों के समर्थन का प्रमाण माना जाता है।

भारतीय अध्यात्म, संस्कृति और साहित्य को गाँधी की नजरों से वर्णित करने वाली अन्य डायरी लेखन में मनुबेन गाँधी की 'बिहार नी कौमी आग मां' (1956), वीणाबेन शाह की 'वर्धा डायरी' (1959), काका कालेलकर की 'संध्या-छाया' (1979), और चंदुभाई दलाल की 'गाँधी जी नी दिनवारी' उल्लेखनीय है। गाँधी जी ने साहित्य में जिस लोक भाषा का आरंभ किया था उसे परवान चढ़ाया झवेरचंद मेघाणी ने। उन्होंने सौराष्ट्र के लोक साहित्य के गहन अध्ययन के बाद गुजराती लोक कथा, लोक गीत एवं लोक जीवन पर आधारित अनेक कहानियों-कविताओं के संग्रहों के ग्रंथ तैयार किए। पत्रकार के रूप में मेघाणी ने 'जन्मभूमि' (मुंबई) तथा 'फूल-छाब' (राणपुर) पत्र को सजीवता प्रदान की। यद्यपि साहित्य की सभी विधाओं में मेघाणी जी की कलमकारी की दक्षता उल्लेखनीय है फिर भी विषय के संदर्भ अनुसार इनकी लिखी 'युग-वंदना', 'किल्लोल', 'वेणी नां फूल' आदि काव्य-संग्रह की चर्चा आवश्यक है। इन संकलित कविताओं में स्वतन्त्रता आंदोलन, देश-प्रेम एवं वीरता के भावों को प्रेरणात्मक, सबल तथा प्रवाहपूर्ण शैली में व्यक्त किया गया है। इन काव्य-संकलनों का महत्त्व इसलिए भी है कि इनमें से अधिकांश रचनाएँ लोकगीतों की धुन पर

लोकभाषा में ही लिखी गई है। राष्ट्रकवि माने जाने वाले मेघाणी ने बोलचाल की भाषा, शब्द और मुहावरों के प्रयोग से गुजराती साहित्य को समृद्ध बनाया। 1931 में जब गाँधी जी को वायसराय से बात करने दिल्ली बुलवाया गया तब जनता में जागरूकता लाने के लिए मेघाणी ने लिखा- "शी रीते जाग्यों आ अजगर सरिखों सुप्त आपणों देश कोणी फूके रुझाया दिल भरिया क्लेश धिक्कार द्वेष कोने आ भस्म पूजे अमर जीवन नी चेतना छोट-छोट मुर्दा मां प्राण फूक्या युवक-युवक नी फाटी आँख"।

1931 में प्रकाशित उमाशंकर जोशी के ग्रंथ 'विश्वशान्ति' ने आधुनिक गुजराती काव्य में एक नई आधारभूमि और नए युग का आरंभ किया। गाँधी विचार एवं पश्चिम के नवीन आदर्शों के फलस्वरूप इनके लेखन से भारतीयों में जन जागरण, देश-प्रेम, स्वतन्त्रता की चाह, शिक्षा, मानवता, सेवा, निर्धनों के प्रति सहानुभूति आदि भावनाओं की उत्पत्ति हुई। वस्तुतः 6 खंडों में रचित 'विश्वशान्ति' अहिंसा और शांति के लिए गाँधी जी द्वारा किए गए प्रयासों का सजीव ऐतिहासिक ग्रंथ है। छंदों का गाम्भीर्य और भव्य कल्पना इसे अधिक विशिष्ट बनाते हैं। विश्वशान्ति की भूमिका उनके गुरु कालेलकर जी ने लिखी है। 1969 में उन्होंने 'गाँधी कथा' लिखकर गुजराती साहित्य में जीवन चरित विधा का आरंभ किया जिसका आगे चलकर विकास किया रघुवीर चौधरी ने। मोरारी बापू की जीवन कथा के माध्यम से पत्रकार के रूप में भी उमाशंकर जोशी ने लगभग 38 वर्षों तक 'संस्कृति' का सम्पादन किया जिसके माध्यम से गाँधी युग से प्रभावित रचनाकारों को समाज के समक्ष अपने विचार अभिव्यक्त करने के सुअवसर प्राप्त हुए। महादेव भाई देसाई एवं गाँधी जी के चरित्र को उन्होंने लाक्षणिकताओं और गुण समृद्धि से मूर्त किया। गाँधी विचारधारा के प्रबल समर्थक नारायण भाई देसाई ने गुजराती जीवन चरित साहित्य को असाधारण ऊंचाई और गहराई प्रदान की। उनके लिए चरित्र लेखन चुनौती भरा कार्य था क्योंकि वे गाँधी जी के अभिन्न तो थे ही, उच्च कोटी के लेखक भी थे। गाँधी जी स्वतन्त्रता आंदोलन तथा नए जीवन-मूल्यों के नायक थे अतः उनके विश्वव्यापी असंख्य पढ़ावों को पूर्ण रूप से चित्रित कर नारायण देसाई ने गुजराती साहित्य को उपकृत किया है। इस संदर्भ में उनकी 'अग्निकुंड मां उगेलु गुलाब' और 'मारू जीवन एज मारी वाणी' कृतियाँ भी उल्लेखनीय हैं। काव्य क्षेत्र में कवि सुंदरम का आगमन भी उमाशंकर के साथ 1931 में हुआ। उनकी दीर्घ रचना 'चक्रदत्त गाँधी जी के सत्य, अहिंसा और प्रेम के मंत्रों को देश के कोने-कोने तक ले जाती है। 'चक्रदत्त' के केंद्र में गाँधी के रचनात्मक कार्यों का प्रतीक चरखा है। राष्ट्र उद्धार एवं स्वराज का संदेश देती इस कविता की ये पंक्तियाँ देखिए- "दरिद्रियों ना दनुज हणतो शांति ना तीक्ष्ण दँते / हिंसा दाज्यू जग प्रणय ना सींचने ठारनारों"। 'साबरमती' पत्र के सम्पादन के साथ असहयोग आंदोलन के सहभागी सुंदरम ने गाँधी विचारों को गुजराती साहित्य में एक



महत्त्वपूर्ण मुकाम पर पहुँचाया। अरविंद आश्रम में रहकर 'दक्षिणा' पत्रिका द्वारा भी गाँधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन को आम जनता तक पहुँचाया। सुंदरम का सर्वोत्तम ग्रंथ 'अर्वाचीन कविता' माना जाता है। गाँधी जी हमेशा कहा करते थे कि भारत अपने चंद शहरों में नहीं बल्कि सात लाख गाँवों में बसा है, लेकिन हम शहरवासियों का खयाल है कि गाँवों का निर्माण शहरों की जरूरत पूरी करने के लिए ही हुआ है। हमने कभी यह सोचने की तकलीफ ही नहीं उठाई कि उन गरीबों को पेट भरने जितना अन्न और शरीर ढकने जितना कपड़ा मिलता है या नहीं ... (हरिजन, 4/4/36)। नगरवासियों की इसी संवेदनहीनता को कवि जयंत पाठक इस तरह कहते हैं- "बार वास ने अंते जोयु गाम / एनु नवू पड्यु छे नाम / आंगण मां उभेलो वगड़ो / उगमनि पर टेकरियों नि छोड़े" या फिर "बन्यो डैम ने नदी सुकाई, ग्राम जावा नि हट छोड़ी दे / खेतर वृक्षो कपाई, ग्राम जावा नि हट छोड़ी दे"।

1975 के पश्चात गुजराती साहित्य में दलितों पर लिखी गई कविता मराठी कविता के प्रभाव से आई। इसके बाद दलित कहानियाँ एवं उपन्यासों का आरंभ हुआ। गाँधी जी और मुंशी जी के बाद हरिजनों की प्रगति मानवोचित समभाव को गुजराती साहित्य में सर्वप्रथम चित्रित करने वाले रचनाकार हैं- योसेफ मेकवान। 'व्यथा न वीतक'(1984), 'वलखा' (1987) तथा 'प्रीत प्रमाणी पगले पगले' (1987) में इन्होंने दलित समाज की व्यथा और उनकी समस्याओं पर कलम चलाकर गुजराती रेखाचित्र साहित्य को भी दिशा प्रदान की। इसके पूर्व मुंशी जी ने अपनी कृति 'कुरुक्षेत्र' में गाँधी जी की सामाजिक समानता के समर्थन में जो विचार व्यक्त की हैं वही बात मनुभाई के शब्दों में प्रस्तुत है- "एक ही बात कहूँ कि हिंदुस्तान में एक ही आवाज उठनी चाहिए कि जन्मगत वर्ण व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ईश्वर माथे पर लिख कर नहीं देता कि तुम ब्राह्मण हो, तुम ये या वो हो। जन्म के समय सभी शूद्र होते हैं। संस्कारों से ही दूसरा जन्म होता है और दूसरा जन्म यही है- स्वराज"। सुंदरम की '13:7 लोकल' तो पूरे विश्व साहित्य में महत्ता प्राप्त करती है जिसमें सामाजिक जीवन की विषमता को अत्यंत बारीकी से चित्रित किया गया है। मोहन परमार की भी अनेक कहानियों में ग्रामीण समाज और दलित चेतना का चित्रण मिलता है। सच यह है कि गुजराती साहित्य में गाँधी के प्रभाव को व्यक्त करने वाले साहित्य और साहित्यकारों की सूची बहुत बड़ी है। विषय की दृष्टि से कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण रचनाओं का नामोल्लेख करना आवश्यक है-

- 1) अमारा बा- वनमाला देसाई, 1945
- 2) सोरठ तारा वहेता पाणी- झवेरचंद मेघाणी, 1937
- 3) मानवी नी भवाई- पन्नालाल पटेल, 1947
- 4) बापुजी, मुकुल भाई कलार्थी- 1951
- 5) मानवता नी महक- विपिन भाई आजाद, 1957
- 6) गाँधी कथा- उमाशंकर जोशी, 1969

- 7) मूण सोता उखड़ेला- कमलाबेन पटेल, 1979
- 8) परिवर्तन- दिनकर मेहता, 1968
- 9) गाँधी जी- उषा बेन मेहता, 1987
- 10) बक्षीनामा- चंद्रकांत बक्षी, 1988
- 11) सद माता नो खांचों- उशनस, 1988
- 12) प्रकाश नो परछायों- दिनकर जोशी, 1988
- 13) सत्य (चार खंड)- जयंत गाडीत, 2009

हरी अनंत हरी कथा अनंता की तरह इस विषय के साथ न्याय करने में मेरी कलम निश्चित ही अक्षम है और निसंदेह इसमें अनेक महत्त्वपूर्ण नाम मुझसे छूटे हैं फिर भी इतना कहना अवश्य चाहूँगी कि गाँधी साहित्य और उसका प्रभाव गुजराती साहित्य के लिए गौरव का विषय था, है और सदियों तक रहेगा। इसमें सर्जन और चिंतन दोनों हैं। आशा है भविष्य में इसकी और समृद्धि होगी।

-डॉ. मीनाक्षी जोशी

9, 'मधुरा', रामायण नगरी, भंडारा-441904 (महाराष्ट्र)

विशेष सूचना

'हिन्दुस्तानी भाषा भारती' त्रैमासिक पत्रिका के आगामी अंक हेतु लेख आमंत्रित हैं।

'हिन्दुस्तानी भाषा भारती' पत्रिका के आगामी अंक हेतु हिन्दी भाषा से सम्बंधित विविध विषयों पर लेख/आलेख, निबंध एवं शोध सामग्री भेजें। पत्रिका के स्थायी स्तम्भ 'साक्षात्कार' में वरिष्ठ साहित्यकारों, पत्रकारों, भाषाविदों, शिक्षाविदों, सरकारी कार्यालयों के उच्चाधिकारियों, प्रशासनिक सेवा अधिकारियों, विभिन्न देशों के राजनयिकों आदि के भाषा पर केंद्रित साक्षात्कारों को सम्मिलित किया जाता है। इसी तरह 'लोक भाषाओं का चमत्कार' स्तम्भ में किसी एक भारतीय भाषा/उपभाषा एवं बोलियों पर केंद्रित लेखों को सम्मिलित किया जाता है जिसे विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया जाता है। अब तक बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, कुमाऊंकी, भोजपुरी, पंजाबी, अवधि, नेपाली, मैथिली, डोगरी, संस्कृत, संथाली, तमिल, कश्मीरी, मालवी, बघेली, हरियाणवी, बंगाली एवं पूर्वोत्तर भारत के भाषाओं के विशेषांक प्रकाशित हो चुके हैं। 'युवा मत' स्तम्भ में देश के विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत शोधार्थियों एवं युवा लेखकों के भाषा पर केंद्रित शोधपरक लेखों को सम्मिलित किया जाता है। पत्रिका के आगामी अंक हेतु कृपया तुलुगु/कन्नड़/मलयालम भाषा और उसका साहित्य, गुजराती भाषा का इतिहास और विकास, हिन्दी और तुलुगु/कन्नड़/मलयालम भाषाओं के बीच तुलनात्मक अध्ययन, आधुनिक हिन्दी साहित्य में तुलुगु/कन्नड़/मलयालम भाषा की उपस्थिति, मातृभाषा शिक्षा और तुलुगु/कन्नड़/मलयालम की स्थिति, तुलुगु/कन्नड़/मलयालम भाषा के संरक्षण में सरकार एवं समुदाय की भूमिका आदि से सम्बंधित सारगर्भित लेख 20 अगस्त, 2023 तक नीचे दिए गए ई-मेल पर भेजें।

E-mail : hindustanibhashabharati@gmail.com



युवाओं में पनपती हिंगलिश मानसिकता

“निज भाषा उन्नति अहै, सब भाषा को मूल,
बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटै न हिय को शूल।”

—भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

भारत में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाएँ औपनिवेशिक काल से ही सह-अस्तित्व में रही हैं, लेकिन हाल के दशकों में वैश्वीकरण की गतिशील आँधी अंग्रेजी भाषा के दबाव के चलते हिन्दी को धूमिल करती प्रतीत होती है। जिस वजह से एक नई भाषा 'हिंग्लिश' का उद्भव हुआ। 'हिंग्लिश' हिन्दी और अंग्रेजी का एक जोड़ है, जो भारतीय भाषाओं में बेजोड़ रूप से शामिल हो चुकी है। अध्ययन से ज्ञात होता है कि दो भाषाओं का एक संलयन 'हिंग्लिश' कोई आधुनिक परिघटना नहीं है, बल्कि इसका प्रारम्भ भारत के औपनिवेशीकरण से हो चुका था। जब अंग्रेजी को भारतीय भाषाओं की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण माना जाने लगा था। समय के लम्बे अंतराल के बावजूद भी भारतीय मानसिकता में आज भी अधिक परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता है। युवाओं की रोजमर्रा की बातचीत और संचार में हिन्दी और अंग्रेजी के संयोजन का उपयोग भारत में तेजी से आम होता जा रहा है। आज हिंग्लिश भारत की सड़कों और कॉलेज परिसरों पर सबसे ज्यादा प्रचलित बातचीत का माध्यम बन गया है।

हम सभी को ज्ञात है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और विकास की प्रक्रिया में भी निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए युवाओं ने भी अच्छे और बुरे दोनों पक्षों के साथ प्रभावशाली तरीके से विकसित होकर खुद को बदला है। उन्होंने स्वयं को और अपनी जीवन शैली को नए स्वरूप में बहुत तेजी से ढाला है, जो कल्पना से भी परे है। हमारे दैनिक जीवन में हिन्दी और अंग्रेजी के उपयोग के संदर्भ में हम जिस परिवर्तन से गुजरे हैं, उसके चलते हुए हिंग्लिश युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो गया है। अगर कहें कि यह सब परिवर्तन हिन्दी की कीमत पर आया है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। युवा समझते हैं कि समाज में उन्हें या उनके ज्ञान को अंग्रेजी के मापदंड से परखा जा रहा है, वो अंग्रेजी के शब्दों का उपयोग हिन्दी के वाक्यों में करने लगते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि में इसे शिक्षितों की भाषा माना जाता है। परिणामस्वरूप वर्तमान पीढ़ी न तो हिन्दी और न ही अंग्रेजी में कुशल रही। शायद इसलिए दोनों का मिश्रण अब बातचीत का तरीका बन गया है। इस संकर भाषा के अधिकतम उपयोग और लोकप्रियता के दो कारण माने जा सकते हैं— आधुनिक बनने की प्रतिस्पर्धा, फिर भी स्थानीय रूप से अपने लोगों के बीच अपनी मिट्टी से जुड़े रहना। भारत में अंग्रेजी में बात करने योग्य होना प्रतिष्ठित माना जाता है। यही कारण है कि हिंग्लिश में धाराप्रवाह बोलने वाला सबसे बड़ा भारतीय समूह समाज के युवा सदस्य हैं।

हमारी हिन्दी का इतिहास तो सदियों पुराना है जिसने अपनी लम्बी यात्रा के दौरान अब तक न जाने कितनी भाषाई प्रभावों को समेटा है जैसे संस्कृत, प्राकृत, पाली, फारसी, अरबी और तुर्की

इत्यादि। विकिपीडिया के अनुसार भाषाई मिश्रण को लगभग 15वीं से 17वीं शताब्दी के आसपास भक्ति कवियों ने 'खिचड़ी बोली' के रूप में उपयोग किया। 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिपत्य के कारण भारत की भाषाओं को विदेशी अंग्रेजी के संपर्क में लाया गया। उपनिवेशित भारत में ब्रिटिश संस्कृति का प्रचार करने के लिए अंग्रेजी एक प्रकार से अधिकार का प्रतीक बन गई थी। अंग्रेजी ने दुनिया भर में आधुनिकीकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण का प्रतिनिधित्व करना शुरू कर दिया, जिसके चलते अधिक से अधिक नौकरियों में अंग्रेजी के बुनियादी ज्ञान की आवश्यकता थी। भारत में विशेष रूप से अंग्रेजी भाषा ने एक सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल की, जिसने देश के लोगों को द्विभाषी बनने के लिए विवश कर दिया। हिंग्लिश एक प्रकार से अंग्रेजी का भारतीय रूपांतरण है, या फिर हिन्दी का विदेशी रूपांतरण।

20 वीं सदी के अंत तक, संगीत और मनोरंजन चैनलों के आगमन के साथ, युवाओं में इस तरह के मिश्रण का उपयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। आजकल सिनेमा और टेलीविजन के साथ एक और संचार का माध्यम जुड़ गया है, इंटरनेट, जो कि हिंग्लिश के उपयोग का आदर्श स्थान बन गया है, विशेषतया उन संदर्भों में जहां मध्यम वर्ग को एक विकासशील समुदाय के भीतर अपनी सदस्यता प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी का प्रयोग आवश्यक लगने लगता है। हाल के वर्षों में नई पीढ़ी में साक्षरता और संपर्क-साधनों में वृद्धि होने के कारण भाषाओं का आदान-प्रदान नई ऊँचाइयों पर पहुँच गया है। इंटरनेट पर सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली भाषा अंग्रेजी है, और कहीं-न-कहीं यह देशी हिन्दी भाषी युवाओं को संचार-संपर्क के लिए हिंग्लिश के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है। हिंग्लिश न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी युवाओं की आवश्यकता बनकर उनकी मानसिकता पर हावी होती जा रही है, जिसमें एक बड़ा दक्षिण एशियाई समुदाय सम्मिलित किया जा सकता है। 2008 में इंग्लैंड में बलजिंदर महल नाम के एक भारतीय शिक्षक ने 'द क्वीन्स हिंग्लिश' नामक एक शब्दकोश भी प्रकाशित किया था।

किसी व्याकरण या शब्दकोश के निर्धारित नियम का पालन न करने वाली हिंग्लिश वर्तमान में युवाओं को सरल लगने लगी है और तेजी से उनकी नई भाषा बनती जा रही है। इसका उपयोग न केवल दिन-प्रतिदिन की बातचीत में बल्कि विज्ञापन और मीडिया जैसे क्षेत्रों में भी किया जा रहा है, क्योंकि हिन्दी भले ही भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हो, परन्तु व्यापार की भाषा पूरी तरह से हिंग्लिश हो चुकी है। हर क्षेत्र में तकनीकी घुसपैठ होने के फलस्वरूप युवा वर्ग तकनीक के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए अपने लिखने-बोलने में हिंग्लिश की आवश्यकता अनुभव करने लगे हैं क्योंकि प्रायः अपनी संस्कृति के किसी विचार या अवधारणा को शुद्ध हिन्दी या फिर अंग्रेजी में व्यक्त करने में कठिनाई होती है।



प्रतीत होता है कि आज के युवा के पास हिंग्लिश का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया है। सिनेमा हो या विज्ञापन, हर जगह हिंग्लिश का प्रयोग समाज में युवाओं को आकर्षित करने के लिए अहम् भूमिका निभाता है, विशेषकर विज्ञापनों में, जहाँ कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय बाजार में उत्पादों को पेश करते समय अपने विज्ञापनों के लिए हिंग्लिश का उपयोग करना पसंद करती हैं। पेप्सी का नारा 'ये दिल मांगे मोर' या फिर लेज का नारा 'पल बनाएं मैजिकल' जैसे प्रचार के रूप में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों से हम सभी परिचित हैं जो इस बात के आदर्श उदाहरण हैं कि कैसे अंतरराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए हिंग्लिश प्रवृत्ति का उपयोग करती हैं। अन्य उदाहरण भारत में एक शैंपू का विज्ञापन है जहाँ अभिनेत्री अपने चमकदार बालों को लहराते हुए कहती है 'कम ऑन गर्ल्स, वक्त है शाइन करने का'।

इसके अलावा, उभरती हुई तकनीक ने हिन्दी या किसी भी अन्य भारतीय भाषा में ऐसे शब्दों को जन्म नहीं दिया जो तकनीकी शब्दों को भली-भाँति अभिव्यक्त करते हों। उदाहरण के लिए, दूरसंचार की उन्नति के कारण 'रिचार्ज', 'प्री-पेड', 'टॉप-अप', 'मिस्ट कॉल' आदि जैसे शब्दों के स्थान पर भारतीय भाषाओं में समानार्थ शब्द खोजने का प्रयास निश्चित रूप से कठिन होगा। जिसकी वजह से देखा जाए तो न केवल युवा वर्ग बल्कि अन्य आयु वर्ग भी हिंग्लिश के संक्रमण से अब अछूते नहीं रहे। अंग्रेजी बोलने की इच्छा, अंग्रेजी का सीमित ज्ञान और नौकरी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तो नई पीढ़ी का भाषामयी संघर्ष समझ में आता है। हिंग्लिश आज सिनेमा, विज्ञापन, आम बोलचाल एवं संचार का एक स्वीकृत रूप बन गया है, जिसका श्रेय मोटेतौर पर सोशल मीडिया जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप के विकास को भी दिया जा सकता है जो आज के दिन युवाओं की दैनिक दिनचर्या का अभिन्न अंग बन चुका है। देश में युवाओं की बड़ी संख्या है, क्योंकि फिल्मों पर ज्यादा पैसा खर्च करने वाले युवा हैं, युवा की बात उसी की भाषा में कहने के लिए युवा फिल्मकार भी ऐसे लेखक ढूँढते हैं जो हिंग्लिश में लिख सकें। आश्चर्य तो तब होता है जब काम करने वाली बाई कहती है, "सॉरी मैडम आज मैं लेट आऊँगी"। इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि हिंग्लिश किस तरह से हमारे जीवन में रच-बस गई है।

प्रारंभिक दौर में हिंग्लिश केवल अनौपचारिक संदर्भों और विज्ञापनों तक सीमित हुआ करता था, लेकिन समय के साथ इसकी उपस्थिति स्कूल एवं विश्वविद्यालय की कक्षाओं में भी पैर पसार चुकी है। हिंग्लिश बोलने की नींव और मानसिकता कहीं-न-कहीं समाज और परिवार द्वारा बचपन से ही विकसित कर दी जाती है। माता-पिता अक्सर अंग्रेजी पर अधिक जोर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि उनके बच्चे वैश्विक भाषा में धाराप्रवाह बन जाते हैं तो वे आगे जीवन में किसी अंतरराष्ट्रीय कंपनी की नौकरी कर

सफलतापूर्वक जीवनयापन करने योग्य बन सकेंगे। एक और महत्वपूर्ण कारण यह है कि हिन्दी भाषी लोगों को अक्सर हीन दृष्टि से देखा जाता है और अंग्रेजी अभिजात्य वर्ग का प्रतिनिधित्व को दर्शाती है, यही कारण है कि अधिकांश भारतीय माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे बाहर समाज में और घर पर उनके साथ संवाद करते समय भी अंग्रेजी में बात करें।

चिंतनीय बात यह है कि युवाओं द्वारा संकर भाषा हिंग्लिश के निरंतर उपयोग करने के परिणामस्वरूप अपनी हिन्दी भाषा के अस्तित्व को खतरा न हो जिसके आसार स्पष्ट नजर आ रहे हैं। भले ही इसका उपयोग किया जाए, परन्तु इसकी सुंदरता व शुद्धता आने वाली पीढ़ी से कोसो दूर हो सकती है। 'हिन्दी दिवस' जैसे आयोजन भाषा को बचाने के लिए किए जाते हैं परन्तु हिन्दी दिवस को भी हिंग्लिश का जामा पहना दिया जाता है। इस प्रकार अपनी मातृभाषा को पीछे छोड़ना औपनिवेशिक मानसिकता का लक्षण ही दृष्टिगत होता है। यहाँ तक कि समाचार पत्र-पत्रिकाएँ भी हिंग्लिश के प्रभाव से अछूते नहीं रहे हैं। हिन्दी के समसामयिक युवा लेखकों द्वारा रचित काव्य, कहानियों, लेख व अन्य रचनाओं में भी हिंग्लिश की उपस्थिति नकारी नहीं जा सकती। मुख्यधारा के कुछ प्रकाशन सुर्खियों और लेखों में समयानुसार वाक्यों के सरलीकरण के लिए भी अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे भाषा प्रदूषित होती है। देश में आज अधिकांश युवा स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए अंग्रेजी शब्दों का उपयोग किए बिना स्वच्छ हिन्दी नहीं बोल सकते। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उभरती हुई हिंग्लिश स्वयं में एक सम्पूर्ण भाषा का रूप ले चुकी है। भाषा का यह संकर रूप वर्तमान समय में महानगरों के साथ-साथ कस्बों और गाँव में भी हिन्दी के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है, जिसके परिणामस्वरूप भारत में लोगों को जोड़ने वाली हिन्दी भाषा के कद को भी नुकसान हुआ है। आजकल भाषा का हिंग्लिश रूप भारत की संस्कृति और भाषाओं के लिए खतरा पैदा कर रहा है, परन्तु युवाओं ने हिंग्लिश को शुद्ध हिन्दी और शुद्ध अंग्रेजी के बीच एक रिक्त स्थान भरने के लिए विकसित कर लिया है, क्योंकि यह बोलने में आधुनिक होते हुए भी उनकी स्थानीय भाषा की आवश्यकता को पूर्ण करती है। आजकल के युवाओं के बीच ब्लॉग, फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया में इसके व्यापक उपयोग के साथ जहाँ अंग्रेजी का उपयोग बढ़ रहा है, वहीं शुद्ध हिन्दी की तुलना में लोग हिंग्लिश में अधिक धारा प्रवाह हैं।

भाषा में नए शब्दों का आना और भाषा को सुलभ, सक्षम बनाना उत्तम है, लेकिन उसको हेय दृष्टि से देखना स्वीकार्य नहीं है। अतः कह सकते हैं कि हिंग्लिश की शुरुआत तो 19वीं शताब्दी से ही हो गई थी, जब तकनीक ने हमारे जीवन में प्रवेश करना शुरू कर दिया था, जो कि पश्चिम की देन थी, इसलिए इसमें इंग्लिश शब्दों का आना स्वाभाविक था जैसे- टेलीग्राम, टेलीफोन, रेल और वर्तमान



हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं की अस्मिता

“प्राणी मात्र के भाव प्राकट्य की भाषा ही उसकी अस्मिता है।” मानव मन के बिना अधूरा। मन भाव के बिना अधूरा है। जहाँ भाव है वहाँ भाषा है। मूक व बधिर भी सांकेतिक भाषा के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। अतः उनकी भी अपनी भाषाई अस्मिता है। भारतीय भाषा दर्शन यह बताता है कि व्यवहार में ही नहीं मनुष्य के अंतःकरण में भी भाषा निहित होती है। आन्तरिक एवं बाह्य स्तरों पर मानव की अस्मिता भाषा से ही सृजित और अभिव्यक्त होती है। हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं की अस्मिता के विषय पर चर्चा करने से पहले समझना अति आवश्यक है कि भाषाई अस्मिता का तात्पर्य क्या है?—भाषाई अस्मिता भाषा बोलने वालों की पहचान है।

सैकड़ों बोलियों और भाषा वाले इस देश में हिन्दी का स्थान अद्वितीय है। हजारों साल पुरानी हिन्दी भाषा ने न केवल पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया है, बल्कि आजादी की लड़ाई के दिनों में सबसे मुखर और मजबूत सम्पर्क भाषा के रूप में भी विकसित हुआ। धीरे-धीरे हिन्दी फलती-फूलती रही और आज दुनिया की चौथी सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा बन गई है। अंग्रेजी, स्पेनिश और मंदारिन के बाद हिन्दी दुनिया की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हमारे देश में ही करीब 77 प्रतिशत लोग हिन्दी पढ़ते, बोलते और समझते हैं। हिन्दी का स्वरूप निरंतर बदल रहा है। एक जमाने में जिस तरह की हिन्दी बोली और लिखी जाती थी वो अब चलन से बाहर हो गई है। जरूरत के हिसाब से इसमें कई परिवर्तन आए हैं। यही हिन्दी की खूबसूरती है। यह निरंतर बहती नदी के समान है जो युगों से अपने सम्पर्क में आने वाली भाषाओं के शब्दों को भी अपने में समेटते चलती रहती है। “हिन्दी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द का बहिष्कार नहीं किया।”— राजेंद्र प्रसाद

हिन्दी का इतिहास— भाषा वैज्ञानिकों के आधार पर हिन्दी साहित्य का इतिहास वैदिक काल से आरम्भ होता है। समय-समय पर इसका नाम बदलता रहा। कभी वैदिक, कभी संस्कृत, कभी प्राकृतिक, कभी अपभ्रंश और अब हिन्दी। हिन्दी भाषा के उद्भव और विकास की प्रचलित धारणाओं के मुताबिक प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिन्दी का उद्भव माना जाता है। हिन्दी साहित्य का आरम्भ 8वीं शताब्दी से माना जाता है। 11वीं सदी में देसी भाषा हिन्दी का रूप साफ हुआ। इस काल में राजाओं के संरक्षण में चारणों और भाटों ने रासो के रूप में प्रचलित वीर गाथा लिखी। इसी दौरान विद्यापति हुए। अमिर खुसरो का भी यही समय

रहा। 13वीं सदी में धर्म के क्षेत्र में फैले अंधविश्वास को तोड़ने के लिए भक्ति आंदोलन के रूप में भारत व्यापी सांस्कृतिक आंदोलन शुरू हुआ। 18वीं सदी के आसपास हिन्दी कविता में नया मोड़ आया जो रीतिकाल के नाम से मशहूर हुआ। वहीं आधुनिक काल यानि 19वीं सदी में भारतीयों का यूरोपीय संस्कृति से सम्पर्क हुआ। नए युग के साहित्य की प्रमुख रचनाएँ खड़ी बोली पद्य के साथ-साथ गद्य में भी लिखा गया। अमिर खुसरो से लेकर भारत भूषण तक के काव्य में इसके उदाहरण हैं। अतः हिन्दी अपनी उत्पत्ति के बाद से लगातार समृद्ध होती गई। सोशल मीडिया और नई-नई तकनीकों में हिन्दी का उपयोग किया जा रहा है। इससे न सिर्फ हिन्दी का दायरा बढ़ रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर ज्यादा-से-ज्यादा लोग इससे जुड़ रहे हैं। आजादी के बाद के सात दशकों में संचार माध्यमों में हिन्दी बहुत मजबूत हुई है।

“भाषा कभी साम्प्रदायिक अथवा आंचलिक नहीं होती उदाहरण स्वरूप अल्लाह कृष्ण आदि साम्प्रदायिक लगने पर भी उनका अर्थ परमात्मा है और परमात्मा हर धर्म का आराध्य है। परमात्मा कभी सांप्रदायिक नहीं होते वैसे ही आंचलिक भाषा क्षेत्रीय भाषा अर्थवाची होने पर भी सार्वजनिक बन जाती है।”—

(‘भारतीय भाषाएँ और राष्ट्रीय अस्मिता’ संपादक डॉ राम चरण गौड़ पृष्ठ संख्या 14, हिन्दी अकादमी दिल्ली प्रबंध संस्करण 2021)

हिन्दी की अस्मिता की झलक— हिन्दी में देश को एकता की डोर में बाँधने की अद्भुत क्षमता है। आजादी के संघर्षों से लेकर आज तक हिन्दी ने भारतवासियों को एक साथ जोड़ने का काम किया है। आज एक प्रांत का व्यक्ति जब दूसरे प्रांत में जाता है तो वह वहाँ की क्षेत्रीय भाषा नहीं समझ पाता। तब वह हिन्दी में ही बात करता है। राजनेता देश के सभी भागों में जाते हैं। उन्हें सभी क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान नहीं होता। वे वहाँ की जनता से हिन्दी में ही संवाद करते हैं। हिन्दी को राजभाषा बनाने में साहित्यकारों का योगदान अतुलनीय है। मूर्धन्य साहित्यकार व्यौहार राजेंद्र सिंह ने दूसरे साहित्यकारों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, सेठ गोविंद दास के साथ मिलकर हिन्दी को देश की आधिकारिक भाषा बनवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1917 में आयोजित हिन्दी साहित्य सम्मेलन में महात्मा गाँधी जी ने हिन्दी को आम जनमानस की भाषा बताते हुए इसे राजभाषा बनाने की अपील की थी। तत्पश्चात् 26 जनवरी, 1950 को संविधान में हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तीन साल



बाद 1953 में राजेंद्र सिंह के जन्मदिवस 14 सितंबर के दिन पहला हिन्दी दिवस मनाया गया। इसके बाद पूरे देश में 14 सितंबर को हर वर्ष हिन्दी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय अस्मिता, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय स्वाभिमान को एक सूत्र में पिरोने वाली हिन्दी आत्मनिर्भरता का एक सशक्त आधार भी है। पूर्वोत्तर रेलवे के पूर्व मुख्य राजभाषा अधिकारी रणविजय सिंह ने कहा कि, “भाषा केवल संप्रेषण का ही माध्यम नहीं अपितु संस्कृति का वाहक भी है। भाषा के जीवित रहने की प्रमुख शर्त उसका आजीविका से जुड़े रहना है। आजीविका से न जुड़े होने के कारण प्रतिवर्ष 35 भाषाएँ प्रचलन से बाहर हो रही हैं। उन्होंने कहा कि हिन्दी की रक्षा तभी संभव है जब उसे आजीविका की भाषा बनाया जाए।”

सोशल मीडिया पर हिन्दी का बढ़ता वर्चस्व प्रशंसनीय है। आज का युवा सोशल मीडिया के युग में जी रहा है। सोशल मीडिया में सर्वत्र हिन्दी का प्रयोग किया जा रहा है। नई-से-नई तकनीकों का प्रयोग हिन्दी में भी उपलब्ध हो रही है। आजकल अधिकतर काम इंटरनेट के माध्यम से होता है। इंटरनेट साइट पर हिन्दी में भी काम करने की सुविधा उपलब्ध है जो हिन्दी के वर्चस्व को बढ़ाता है

क्षेत्रीय भाषाओं का इतिहास- भारत विविधताओं का देश है। यहाँ विविधता केवल भौगोलिक नहीं बल्कि भाषाई, सांस्कृतिक, आचार-विचार, वेश-भूषा, खान-पान, रहन-सहन इत्यादि अनेक क्षेत्रों में दृश्यमान है। भारत जैसे बहुभाषी, बहुसंस्कृति वाले देश के लिए यह कहावत ‘कोस-कोस पर बदले पानी और चार कोस पर वाणी ..’ उचित है। क्षेत्रीय भाषाओं का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव जीवन। क्षेत्रीय भाषा से आशय क्षेत्र में प्रचलित उन भाषाओं से है, जिनका उद्गम एवं विकास प्राकृत अथवा अपभ्रंश से हुआ हो अथवा जिनका उद्भव स्थानीय बोलियों के आधार पर प्रायः स्वतंत्र रूप से हुआ हो। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में इस तरह की बीसों देशी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। इनमें से हिन्दी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, उड़िया आदि प्रथम (आर्यभाषाओं) के वर्ग में तथा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि द्वितीय (द्राविड़) वर्ग में आती हैं। वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार भारत में 1652 भाषाएँ बोलती जाती थीं। अब भारत में फिलहाल 1365 मातृभाषाएँ हैं, जिनका क्षेत्रीय आधार अलग-अलग है।

क्षेत्रीय भाषाओं की अस्मिता की झलक- एक राष्ट्र का विकास वहाँ के व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास से जुड़ा है और व्यक्तित्व का विकास व्यक्ति के मौलिक चिंतन से जुड़ा है। मौलिक चिंतन क्षेत्रीय/मातृभाषा में ही हो सकता है। क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकों का बड़ी संख्या में अनुवाद अन्य भाषाओं में किया जा रहा है। हिन्दी

के वे लेखक जिनकी मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा है वे अपने लेखन में क्षेत्रीय लोकोक्तियों और शब्दों का प्रयोग बखूबी कर रहे हैं। इससे क्षेत्रीय भाषा की परिधि का विस्तार हो रहा है। आजकल स्वरोजगार और वोकल फॉर लोकल जैसे सरकारी प्रयासों के अंतर्गत क्षेत्रीय लोग आपस में मिलकर स्थानीय कलाकृतियों का विकास कर उसका व्यापार कर रहे हैं। क्षेत्रीय गायक गायन मंडली तैयार कर देश-विदेश में आपने कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इससे क्षेत्रीय भाषा का प्रचार-प्रसार हो रहा है। ऐसे ही प्रयासों से भाषा पुनर्जीवित हो रही है। लोक कलाकारों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है जिससे भी क्षेत्रीय भाषा की कहानियों, कलाकृतियाँ व गीत-संगीत का परिचय सामान्य जन मानस तक पहुँच रहा है। यदि स्थानीय भाषा को संरक्षण मिलता है तो उन आदिवासी लोगों के अधिकार को भी संरक्षित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्षेत्रीय भाषाओं को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2019 को ‘देशीय भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष’ (International Year of Indigenous Languages) के रूप में घोषित किया गया है। वर्तमान में विश्व की लगभग 6700 भाषाओं में से 96 प्रतिशत, विश्व की मात्र 3 प्रतिशत जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। ऐसा अनुमान है कि विश्व की आधी से अधिक भाषाएँ वर्ष 2100 तक विलुप्त हो जाएँगी। यूनेस्को का उद्देश्य स्वदेशी भाषाओं के नुकसान की ओर ध्यान आकर्षित करना है और स्वदेशी भाषाओं को संरक्षित, पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता पर बल देना है।

भाषा किसी भी सभ्यता व संस्कृति तथा उसके रहन-सहन की पहचान होती है। यदि किसी समुदाय की भाषा ही न बचे तो उसके बारे में जानना असंभव हो जाता है। जैसे- ईसाइयों और यहूदियों के धर्मग्रन्थों की मूल भाषा हिब्रू थी जो अब इस्तेमाल में नहीं है, इसी तरह पाली, प्राकृत सहित कई भारतीय भाषाओं ने अपना अस्तित्व खो दिया है। इन्हें संरक्षित नहीं करने का ही परिणाम है कि इनके मूल ग्रन्थों में क्या कहा गया है यह जानना कठिन है। भारत में अभी भी कई ऐसे समुदाय हैं जिनकी भाषा को सही तरीके से समझा नहीं गया है। यदि वे विलुप्त हो जाती हैं तो उनके बारे में जानना असंभव हो जाएगा। अतः इन भाषाओं का संरक्षण आवश्यक है। एथनोलॉग कहता है कि- “आज दुनिया में लगभग 7000 से अधिक भाषाएँ बोलती जाती हैं। इनमें से लगभग एक तिहाई लुप्तप्रायः हैं। दुनिया की आधी से अधिक आबादी केवल 23 भाषाएँ बोलती है। यूनेस्को के अनुसार, पिछली सदी में लगभग 600 भाषाएँ गायब हो गई हैं और वे हर दो सप्ताह में एक भाषा की दर से



पृष्ठ संख्या 17 का शेष

गायब होती रहती हैं। यदि वर्तमान रुझान जारी रहा तो इस सदी के अंत से पहले दुनिया की 90 प्रतिशत भाषाओं के गायब होने की संभावना है।”

लोकतंत्र के समुचित विकास के लिए विभिन्न भाषाओं का समृद्ध होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन भाषाओं के माध्यम से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक की समस्या को आसानी से जाना जा सकता है और उसके निराकरण के लिए कार्य किया जा सकता है। किसी भी देश की एकता और अखण्डता के लिए आवश्यक है कि वहाँ के लोग मिल-जुल कर रहें। इसके लिए भाषा सर्वोत्तम माध्यम है इसलिए भी भाषाओं को संरक्षित करना आवश्यक है। जब स्थानीय भाषा समृद्ध होती है तो उस क्षेत्र में विकास तीव्र गति से होता है और वहाँ के लोगों को रोजगार प्राप्त होता है जिससे कि शांति स्थापित होती है। इससे देश के विकास में सबका समान रूप से सहयोग प्राप्त होता है। भारत में त्रिभाषा सूत्रों के अनुसार शिक्षा दी जाती है। इससे हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं का सरलता से प्रसार हो रहा है। हिन्दी सभी प्रांतों में व्यवहार की जाती है। हिन्दी वहाँ के क्षेत्रीय भाषा के शब्दों को धारण करते हुए चलती है। यही कारण है कि प्रत्येक प्रांत में हिन्दी का स्वरूप भिन्न-भिन्न है। इससे हिन्दी की सुंदरता बढ़ती जा रही है और हिन्दी के शब्द भंडार में भी वृद्धि होती जा रही है। “राष्ट्रीय भाषा का क्षेत्रीय भाषा से कोई संघर्ष नहीं है।” –अनंत गोपाल शेवडे

पूरी दुनिया में ‘हिन्दी’ हमारी पहचान बन चुकी है। आज की हिन्दी में सभी क्षेत्रीय भाषाओं का योगदान है। हिन्दी भाषा हमारी संस्कृति का वाहक है। हमारे संस्कारों की जड़ है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हमें जो सम्मान मिल रहा है। क्षेत्रीय भाषा से हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है हिन्दी से आत्मविश्वास का। जो कामयाबी के पथ पर हमें अग्रसर करता है।

–डॉ. सुस्मिता घोष दास
सेवानिवृत्त शिक्षिका, डी.ए.वी. (हैदराबाद)

व्यक्तित्व निर्माण में मातृभाषा का योगदान अतुलनीय है।



सुधाकर पाठक
अध्यक्ष, हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी

में रिचार्ज, इंटरनेट, मिस्ड कॉल इत्यादि। इन शब्दों के बेहतर विकल्प नहीं है। अगर बात करें अपनी मातृभाषा हिन्दी की तो खतरा किसी दूसरी भाषा को सीखने से नहीं, अपितु हमारे अपने ही व्यवहार से होता है। अगर कोई अच्छी हिन्दी बोलता है तो उसे महत्त्व नहीं दिया जाता। कोई अच्छी अंग्रेजी बोलता है तो बुद्धिजीवी माना जाता है। इसी अंधी दौड़ में भटक कर युवा पीढ़ी न तो स्थानीय भाषा की शुद्धता को महत्त्व देती है और न ही अंग्रेजी को सम्पूर्ण रूप से स्वीकार कर पाती है, इसी कारण आज के युवा के मुख से कोई भी भाषा शुद्ध रूप से बहुत कम सुनने को मिलती है।

युवाशक्ति देश और समाज की रीढ़ होती है। युवा देश और समाज को नए शिखर पर ले जाते हैं। गहन ऊर्जा और उच्च महत्वाकांक्षाओं से भरे हुए युवा देश का वर्तमान हैं, तो भूतकाल और भविष्य के सेतु भी हैं। परन्तु बदलते दौर में जिस कदर हिंग्लिश के मायाजाल ने युवा पीढ़ी को जकड़ रखा है, वह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। वैश्वीकरण ने बहुत सारे अवसर खोले हैं जिसके चलते अंग्रेजी की अनिवार्यता को युवा वर्ग नकार तो नहीं सकता, लेकिन हमें उस भाषा को हेय दृष्टि से नहीं देखना चाहिए जिसकी हमारे देश में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ें हैं और जो हमें अपने लोगों से भावनात्मक रूप से जोड़ने में सहायता करती है। आज हिन्दी को न्याय दिलाने हेतु वर्षभर न जाने कितने सम्मेलन और कार्यशालाएं आयोजित किए जाते हैं। लेकिन परिणाम हमेशा चिंताजनक ही आते हैं, क्योंकि यह युवाओं की मानसिकता को प्रदूषित कर रही है जिनका सोचना है कि हिंग्लिश बोलने वाला भाषाई और सामाजिक रूप से उच्च श्रेणी का हिस्सा बन जाता है। हिंग्लिश भाषा आज के युवा समाज की सच्चाई है। अगर हम परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं और यह परिवर्तन हर जगह है तो इससे भाषा भी कैसे अछूती रह सकती है? इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि सामाजिक अथवा व्यापारिक अनिवार्यता को देखते हुए अगर हम ‘हिंग्लिश’ का उपयोग स्वयं को बेहतर तरीके से अभिव्यक्त करने के लिए कर रहे हैं तब भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रक्रिया में हम भारतीय भाषाओं को नष्ट न करें, क्योंकि- ‘एक भाषा सिर्फ शब्द नहीं है। यह एक संस्कृति है, एक परंपरा है, एक समुदाय का एकीकरण है, एक पूरा इतिहास है जो एक समुदाय का निर्माण करता है। यह सब एक भाषा में सन्निहित है।’ –नोम चौमस्की

–शिवाली ढाका

2/3, माणिक्य (आचार्य भवन)

मालवीय नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी
जयपुर-302017 (राजस्थान)



चैट- जीपीटी से हिन्दी बातचीत

चैट-जीपीटी के कारण अब हिन्दी भी नई तकनीक की दिशा में अग्रसर हो रही है। आज मैंने कृत्रिम बुद्धि युक्त चैट-जीपीटी के साथ बात की। पहले मैंने उसे अंग्रेजी में पूछा 'क्या आप हिन्दी जानते हो? हिन्दी में बोल सकते हो?' तो उसने कहा कि, 'हाँ, मैं हिन्दी समझता हूँ, लिख बोल सकता हूँ'

Do you speak Hindi?

Yes, I can speak and understand Hindi- Is there anything specific you would like to know or discuss in Hindi?

यह सुनकर मुझे बहुत आनन्द हुआ। चैट-जीपीटी से जो सन्देश प्राप्त हुए हैं वह ठीक हैं, संक्षिप्त हैं, लेकिन बिल्कुल सही दिशा में उत्तर दिया गया है। कुछ प्रश्नों के उत्तर देते समय चैट-जीपीटी सही तरीके से उत्तर नहीं दे रहा है। अभी स्कूली बच्चा है लेकिन आने वाले दिनों में भारतीय भाषाओं में दक्ष होकर यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलर बनेगा। तकनीक के क्षेत्र में भाषा का प्रवेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। तकनीकी विकास के साथ भाषा का विकास सम्भव है। इसलिए आज के समय में कृत्रिम बुद्धि आधारित तकनीक के साथ सदैव बेहद बातचीत करनी चाहिए। तभी कृत्रिम बुद्धि संवाद और लिखने में सक्षम और सटीक त्रुटिहीन बनेगी। मैंने कृत्रिम बुद्धि चैट-जीपीटी से कुछ प्रश्न पूछे थे जिनके उत्तर नीचे दे रहा हूँ।

आज विश्व हिन्दी दिवस है। मैंने कृत्रिम बुद्धि आधारित चैट-जीपीटी को इस दिवस के बारे में प्रश्न पूछा था। इसके बारे में चैट-जीपीटी ने बहुत अच्छा सटीक उत्तर दिया है जो निम्नानुसार है:-

विश्व हिन्दी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है ?

हाँ, विश्व हिन्दी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस हिन्दी भाषा और हिन्दी साहित्य को समर्पित होने का एक अवसर है। इस दिवस पर हिन्दी भाषा और साहित्य के सम्मान में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जैसे हिन्दी काव्य प्रतियोगिताएं, हिन्दी साहित्य समारोह, हिन्दी कविता प्रतियोगिताएं और अन्य समारोह। इस दिवस का महत्त्व हिन्दी भाषा और साहित्य को समर्पित होने का मौका है और यह भारत में हिन्दी भाषा का सम्मान करने का एक अवसर है।

क्या हिन्दी फिल्मों गीतों से विश्व में हिन्दी के प्रति रुचि बढ़ रही है ?

हाँ, हिन्दी फिल्मों और गीतों के द्वारा हिन्दी भाषा और संस्कृति विश्व में बहुत लोकप्रिय हो रही है। हिन्दी फिल्मों के सुपरहिट गीत विश्व में बहुत लोकप्रिय हो चुके हैं और वह अपनी अनोखी संस्कृति और अनुभवों से अन्य देशों में भी बहुत लोकप्रिय हैं। हिन्दी फिल्मों के सुपरहिट गीत विश्व में अधिकांश देशों में बोले जाते हैं और वे विश्व में हिन्दी के प्रति रुचि बढ़ाने में मदद करते हैं।

क्या डिजिटल युग में हिन्दी ने अपना स्थान प्राप्त किया है ?

हाँ, डिजिटल युग में हिन्दी भाषा ने अपना स्थान प्राप्त किया है। आज के समय में सोशल मीडिया और इंटरनेट पर हिन्दी में विज्ञापन, ब्लॉग, वेबसाइट, ईमेल, और अन्य डिजिटल सामग्री बहुत प्रचलित हैं। हिन्दी भाषा के साथ ही, हिन्दी में लिखी गई किताबों और पत्रिकाओं को अपने मोबाइल




विजय प्रभाकर 'नगरकर'

फोन या टैबलेट पर पढ़ने के लिए ऑनलाइन स्थान प्राप्त किया है। हिन्दी भाषा के साथ ही, हिन्दी में ऑनलाइन सेवाओं और एप्लिकेशनों की महत्वपूर्णता भी बढ़ रही है। इसलिए, हिन्दी भाषा और साहित्य को डिजिटल युग में स्थान प्राप्त करने में सफलता हासिल

कृत्रिम बुद्धि तकनीक में हिन्दी की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करें।

हिन्दी भाषा में कृत्रिम बुद्धि और तकनीक से संबंधित अधिकांश सामग्री अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। हिन्दी में कृत्रिम बुद्धि और तकनीक से संबंधित काफी सामग्री उपलब्ध है, लेकिन उसमें अंग्रेजी सामग्री से कहीं अधिक अलगता नहीं है। भारत में हिन्दी भाषा को अधिक से अधिक लोग बोलते हैं, इसलिए हिन्दी में कृत्रिम बुद्धि और तकनीक से संबंधित सामग्री को तैयार करने और संचार करने की अधिक संभवता है।

एलन मस्क तथा सैम आल्टमेन द्वारा प्रवर्तित एक कंपनी है- ओपनएआई। सैनफ्रांसिस्को स्थित यह कंपनी सन् 2015 से कृत्रिम-बुद्धिमत्ता (AI & आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) विकसित करने के काम में लगी है। पिछले दिनों इसका एक उत्पाद- डाल-ई काफी चर्चा में आया था। चैट-जीपीटी में चैट का अर्थ है बातचीत और जीपीटी का अर्थ है- जेनरेटिंग प्री-ट्रेनिंग





क्या तमिलनाडु के लोग हिंदी पढ़ रहे हैं? क्या वे हिंदी पढ़ने में रुचि ले रहे हैं?

तमिलनाडु में हिंदी पढ़ाई की एक अधिकांश स्थानों पर रुचि है, लेकिन यह स्थान से भिन्न हो सकता है। तमिलनाडु में हिंदी भाषा के साथ अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं, जैसे तमिल, अंग्रेजी और मलयालम। तमिलनाडु में हिंदी पढ़ाई की रुचि भी स्थान से भिन्न हो सकती है, जिसमें कुछ लोग हिंदी पढ़ने में रुचि लेते हैं, जबकि अन्य लोग हिंदी पढ़ने में रुचि नहीं लेते।

कृत्रिम बुद्धि तकनीक में हिंदी की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करें

हिंदी भाषा में कृत्रिम बुद्धि और तकनीक से संबंधित अधिकांश सामग्री अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। हिंदी में कृत्रिम बुद्धि और तकनीक से संबंधित काफी सामग्री उपलब्ध है, लेकिन उसमें अंग्रेजी सामग्री से कहीं अधिक अलगता नहीं है। भारत में हिंदी भाषा को अधिक से अधिक लोग बोलते हैं, इसलिए हिंदी में कृत्रिम बुद्धि और तकनीक से संबंधित सामग्री को तैयार करने और संचार करने में अधिक संभवता है।

सोशल मीडिया में हिंदी और अंग्रेजी भाषा का अजीब मिश्रण क्यों हो रहा है?

सोशल मीडिया में हिंदी और अंग्रेजी भाषा का अजीब मिश्रण होना, बहुत से कारणों से हो सकता है। एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भारत में बोली जाने वाली भाषाएं हैं, जिनमें से हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भारत में अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हैं, इसलिए वे एक दूसरे से जुड़ी हुई

क्या हिंदी विश्व में बोली जाती है?

हिंदी भारत और नेपाल में बोली जाने वाली एक भाषा है। इसके अलावा, हिंदी को भारत के अन्य राज्यों में भी बोला जाता है जैसे कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और बंगाल। हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के साथ मिश्रण भाषाएँ भी बोली जाती हैं, जैसे हिंदी-अंग्रेजी और हिंदी-बंगाली। इसलिए, हिंदी विश्व में बोली जाने वाली एक महत्वपूर्ण भाषा है।

कृत्रिम बुद्धि तकनीक में हिंदी की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करें

हिंदी भाषा में कृत्रिम बुद्धि और तकनीक से संबंधित अधिकांश सामग्री अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। हिंदी में कृत्रिम बुद्धि और तकनीक से संबंधित काफी सामग्री उपलब्ध है, लेकिन उसमें अंग्रेजी सामग्री से कहीं अधिक अलगता नहीं है। भारत में हिंदी भाषा को अधिक से अधिक लोग बोलते हैं, इसलिए हिंदी में कृत्रिम बुद्धि और तकनीक से संबंधित सामग्री को तैयार करने और संचार करने में अधिक संभवता है।

क्या हिंदी विश्व में बोली जाती है?

हिंदी भारत और नेपाल में बोली जाने वाली एक भाषा है। इसके अलावा, हिंदी को भारत के अन्य राज्यों में भी बोला जाता है जैसे कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और बंगाल। हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के साथ मिश्रण भाषाएँ भी बोली जाती हैं, जैसे हिंदी-अंग्रेजी और हिंदी-बंगाली। इसलिए, हिंदी विश्व में बोली जाने वाली एक महत्वपूर्ण भाषा है।

आप भी इसे आजमाकर देखिए, उससे सदैव प्रश्न पूछिए, बात करें - <https://chat.openai.com/chat>

-विजय प्रभाकर 'नगरकर'
सेवानिवृत्त, राजभाषा अधिकारी
बीएसएनएल, अहमदनगर (महाराष्ट्र)

हिन्दी का बढ़ता वैश्विक प्रभाव

हिन्दी एक ऐसी भाषा है, जिसके सामने संघर्ष के दरवाजे न कभी बंद थे और न आज बंद हैं। फिर भी यह स्वस्फूर्त भाव से निरंतर प्रगतिमान है। वास्तव में भाषा कोई भी हो, केवल विचार विनिमय का माध्यम नहीं होती। वह अपने क्षेत्र की सांस्कृतिक चेतना की संरक्षक और संवाहक होती है। इसमें लोगों के सपने पलते हैं। इस तथ्य को भारतेन्दु हरिश्चंद्र ने उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में विधिवत पहचान लिया था। वह अपनी “निज भाषा” शीर्षक कविता में कहते हैं-

निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल,
बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय के सूल।
अंग्रेजी पढ़िके जदपि सब गुण होत प्रवीन।
पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन।

उनका आशय यह था कि अंग्रेजी पढ़ के सभा-संगोष्ठी और रोजी-रोजगार के स्तर पर हम सफल हो सकते हैं, लेकिन आत्मविश्वास, आत्मविकास और आत्मोत्कर्ष के धरातल पर कमजोर रह जाएंगे। भाषा ज्ञान का माध्यम है, पराये माध्यम से हमारा मानस कितना मजबूत बन सकता है? पराधीनता से मुक्त होने वाले देशों ने इसीलिए अपनी भाषा के लिए प्राण प्रण से संघर्ष किया। अपने देश में तो और भी जटिल स्थिति थी। यहाँ राजभाषा की राह में हिन्दी के मुकाबले में उर्दू एक तरह से बढ़त की स्थिति में थी। इसलिए महात्मा गाँधी, राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन, सेठ गोविंददास, पं. श्रीनारायण चतुर्वेदी जैसे हिन्दी सेवियों को इसे राजभाषा के दरवाजे तक पहुँचाने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी। अंततः संविधान सभा में यह बात मानी गई कि आजादी की लड़ाई के दिनों में ‘हिन्दी’ ही वह भाषा थी, जो पूरे देश के अन्दर स्वतंत्रता सेनानियों के बीच संपर्क का सेतु बनी थी। अस्तु 14 सितम्बर, 1949 को संविधान सभा ने हिन्दी को भारतीय गणराज्य के कामकाज की राजभाषा घोषित किया था। इतिहास में झँकने पर हम पाते हैं कि संविधान सभा में हिन्दी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव तमिलभाषी गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था। इसका समर्थन और अनुमोदन करने वालों में मराठी भाषी शंकरराव देव, तेलुगु भाषी दुर्गावती, उर्दू भाषी मौलाना अबुल कलाम आजाद, गुजराती भाषी के.एम. मुंशी और कन्नड़ भाषी कृष्णमूर्ति थे। इनका समेकित मत था कि राष्ट्रीय एकता और विकास का आधार हिन्दी ही हो सकती है।

हिन्दी राजभाषा बन तो गई, लेकिन कहा गया कि हिन्दी में अभी प्रशासनिक, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं विधि सम्बन्धी शब्दावली का अभाव है। साथ ही अहिन्दी भाषी क्षेत्र के कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच इसका जनाधार कमजोर है। इसलिए तत्काल हिन्दी नहीं लागू की जा सकती है। ऐसी स्थिति में हिन्दी के साथ अंग्रेजी भी सरकारी कामकाज की भाषा बनी रही। आगे चलकर कुछ नकारात्मक राजनीतिक कारक भी उभरने लगे, विशेषकर अहिन्दी भाषी क्षेत्र के राजनेता एवं स्थानीय राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं

ने वहाँ के लोगों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए हिन्दी विरोध को एक भावात्मक हथियार के रूप में अपना लिया। जबकि यही राजनेता अपने बच्चों को उन स्कूलों में पढ़ाते हैं, जहाँ हिन्दी भी सीखने की व्यवस्था होती है। क्षेत्रीय विरोध के कारण केन्द्रीय सत्ता भी खुलकर हिन्दी की



दिनेश प्रताप सिंह 'चित्नेश'

पक्षधरता का प्रदर्शन नहीं कर पाती है। इसके बाद भी हिन्दी की विकास यात्रा गतिमान है। आज स्थिति यह है कि प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, विधि, पुरातत्व, वाणिज्य, प्रशासन जैसे किसी भी क्षेत्र और विषय की तकनीकी शब्दावली की हिन्दी में कमी नहीं है। प्रतियोगी परीक्षा हो, या फिर शोध, न्यायालय, संसद और प्रशासन-तकनीकी रूप से सब जगह हिन्दी के लिए दरवाजे खुल चुके हैं। मगर इसके बाद भी अभी हिन्दी की राह में बड़ी रुकावटें हैं। मोरारजी देसाई की ‘जनता पार्टी’ की सरकार में अटल विहारी बाजपेयी विदेश मंत्री थे, तब संयुक्त राष्ट्रसंघ में उन्होंने अपना भाषण पहली बार हिन्दी में दिया था। इसकी खूब प्रशंसा हुई थी। बाद में सांसदों ने इसके लिए उनको बधाई दी थी, बाजपेयी जी ने कटाक्ष किया था- ‘आपकी बधाई मुझे तब स्वीकार्य होगी, जब आप संसद में अपना भाषण हिन्दी में देंगे।’

यह कटाक्ष दोहरी मानसिकता पर था। अभी सैद्धान्तिक रूप में भले ही हिन्दी के लिए कोई दरवाजा न बंद हो, मगर व्यावहारिक स्तर पर उच्च व उच्चतम न्यायालय, अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रबंधन शैक्षणिक संस्थान, शोध संस्थान और संसद से लेकर बड़े-बड़े सेमिनार में अंग्रेजी का दबदबा है। यहाँ तक कि हिन्दी बोलने वाला इन स्थानों पर स्वयं झेंप महसूस करने लगता है, यानि हिन्दी अपने ही घर में पिट रही है। सन् 2014 के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वैश्विक स्तर पर हिन्दी को पहचान दिलाने का काफी प्रयास किया है। परिणामस्वरूप अभी 10 जून, 2022 को हिन्दी, बांग्ला, उर्दू, पुर्तगाली, फारसी और स्वाहिली के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की कामकाज की आधिकारिक भाषा के रूप में चुनी गई हैं। उपर्युक्त तीनों भारतीय भाषा परिवार से जुड़ी भाषाएँ हैं। कुछ दिन पहले संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबूधावी में वहाँ की सरकार ने अरबी और अंग्रेजी के साथ ही हिन्दी को भी अपने यहाँ की आधिकारिक अदालती भाषा के रूप में शामिल किया है। विदेश में 150 मान्य विश्वविद्यालयों के अलावा सैकड़ों स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में शोध स्तर तक हिन्दी के पठन-पाठन की व्यवस्था है।

हिन्दी भाषा का निरंतर बढ़ता जनाधार भी इसका दबदबा बनाने में सहयोगी सिद्ध हो रहा है। सन् 1991 की जनगणना में हिन्दी को अपनी मातृभाषा बताने वालों की संख्या 33 करोड़, 72 लाख, 72 हजार, 114 थी, जबकि अंग्रेजी भाषी 33 करोड़, 70 लाख



थे। (स्रोत- 'राजभाषा भारती'-स्वर्ण जयंती अंक) इस प्रकार हिन्दी बोलने वाले अंग्रेजी भाषियों से अधिक थे। तब हिन्दी भाषियों की संख्या विश्व में दूसरे स्थान पर बताई गई थी। अभी जो तात्कालिक आँकड़े उपलब्ध हैं, सन् 2011 की जनगणना में देश की जनसंख्या 1.21 अरब थी, इनमें सर्वाधिक 41.03 प्रतिशत हिन्दी भाषी हैं। इस प्रकार इस भाषा समुदाय की संख्या 49 करोड़, 64 लाख, 63 हजार बनती है। इसके आधार पर कुछ विद्वान इसे चीन की मंदारिन से भी सघन जनाधार वाली भाषा मानते हुए हिन्दी को विश्व की प्रथम भाषा घोषित करते हैं। आज की तारीख में डेढ़ करोड़ से अधिक भारतीय अन्य देशों में कार्यरत हैं। यह वह लोग हैं, जो देश के अन्दर क्षेत्र, संप्रदाय और भाषा के स्तर पर भले ही बंटे रहते हैं; मगर विदेश में जाकर वहाँ की चमक-दमक के पीछे छिपी वास्तविकता को देखने और अकेले पड़ने की आशंका के बाद उनको भारतीयता, भारतीय संस्कृति और देश की राजभाषा हिन्दी पर बड़ा भरोसा बन जाता है।

यह देश-विदेश में फैला हिन्दीभाषी समुदाय अपने अन्दर एक बड़ा मध्यम वर्ग समेटे है। पिछले कुछ वर्षों में इस मध्यमवर्ग की क्रयशक्ति बहुत बढ़ गई है। इसे दुनिया एक मजबूत बाजार के रूप में देख रही है। इसे प्रभावित करना, इसके बीच पैठ बनाकर अपना माल बेचना-यह सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य है। यह तभी संभव है, जब उपभोक्ता की आवश्यकता और सोच को पहचानने और अपने उत्पादों के पक्ष में उसका मानस बनाने के लिए उसी की भाषा में संवाद स्थापित किया जाए। उदारीकरण के शुरुआती दिनों में जब विदेशी कंपनियाँ भारत में आयीं तो अपने साथ अंग्रेजी का तामझाम लायी थीं। मीडिया महारथी रूपर्ड मरडोक स्टार चैनल के साथ अवतरित हुए। यह धूमधाम से अंग्रेजी में चला। सोनी, डिस्कवरी, एनिमल वर्ल्ड अपने कार्यक्रम अंग्रेजी में लेकर आए। मगर इनको विवश होकर हिन्दी की तरफ मुड़ना पड़ा। क्योंकि इनको अपनी दर्शक संख्या बढ़ानी थी, लाभ और व्यापार आगे ले जाना था। आज टीवी चैनल, फिल्म और मनोरंजन की दुनिया में हिन्दी सबसे अधिक लाभ देने वाली भाषा है। कुल विज्ञापनों का लगभग 75 प्रतिशत हिन्दी माध्यम में होते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तंत्र हों या बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ, उनको अगर भारतीय परिक्षेत्र में अपनी जगह बनानी है, तो इसके लिए हिन्दी को अपनाना उनकी विवशता है। दूसरों की यह विवशता हिन्दी की शक्ति और सामर्थ्य की द्योतक है।

एक बार यह कहा गया था कि कंप्यूटर-इंटरनेट के मामले में हिन्दी पिट जाएगी। मगर सूचना प्रौद्योगिकी की दिशा में हिन्दी के बढ़ते कदम इसके विरोधियों को बेचैन करने के लिए काफी हैं। बस जरूरत है, हिन्दीभाषी अज्ञानता, निराशा और हीनभावना को त्याग कर हिन्दी के हित में कर्मरत हो जाएँ। क्योंकि ग्लोबल विलेज में अपनी पहचान और संस्कृति को सुरक्षित रखने का काम हिन्दीभाषा के भरोसे ही हो पाएगा।

-दिनेश प्रताप सिंह 'चित्रेश'

ग्राम-पोस्ट : जासापारा वाया : गोसाईगंज-228119
जिला-सुल्तानपुर (उ. प्र.)

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी की निःशुल्क सभाकक्ष योजना

साहित्यिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु निःशुल्क 'सभाकक्ष' उपलब्धता संबंधी महत्वपूर्ण सूचना :-

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी द्वारा लेखकों, साहित्यकारों, शिक्षाविदों, साहित्यिक/सांस्कृतिक संस्थाओं के लिए साहित्यिक कार्यक्रमों जैसे पुस्तक लोकार्पण, पुस्तक परिचर्चा, काव्य गोष्ठी, विमर्श, संगोष्ठी, सम्मान समारोह आदि के लिए अकादमी का 'सभाकक्ष' निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी एक स्व-वित्तपोषित संस्था है जो अपने सीमित संसाधनों से विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन करती है। अपने कार्यों को विस्तार देते हुए अकादमी ने रोहिणी, दिल्ली में एक कार्यालय बनाया है, जिसमें अन्य सुविधाओं के साथ ही 65-70 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था वाला सुसज्जित वातानुकूलित सभाकक्ष भी बनाया गया है। इस हॉल में मंच, पोडियम, माइक आदि की व्यवस्था है। अकादमी की केंद्रीय समिति ने निर्णय लिया है कि अकादमी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति संवर्धन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता एवं नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए कार्यालय स्थित सभागार को साहित्यिक आयोजनों हेतु निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

सभाकक्ष में कार्यक्रम आयोजन हेतु सामान्य नियमावली-

1. सभाकक्ष सीमित समयावधि के लिए पूर्णतया निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
2. सभाकक्ष की निःशुल्क बुकिंग 'पहले आओ-पहले पाओ' और उपलब्धता के आधार पर की जाएगी।
3. आयोजन के लिए लिखित रूप/ईमेल द्वारा, कार्यक्रम के विवरण सहित आवेदन करना होगा तथा आयोजन अवधि में पूर्ण अनुशासन बनाये रखने की सहमति देनी होगी।
4. सभाकक्ष में केवल साहित्यिक आयोजनों की ही अनुमति होगी और अकादमी की केंद्रीय समिति का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा।

नोट :- निःशुल्क सभाकक्ष की बुकिंग के लिए संपर्क करें :-

सुधाकर पाठक

अध्यक्ष, हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी,
प्लाट 19-20, पॉकेट बी-5, सेक्टर 7, रोहिणी,
(निकट रोहिणी पूर्व मेट्रो स्टेशन) दिल्ली-110085

ईमेल: hindustanibhashabharati@gmail.com
Info@hindustanibhadhaakadami.com

मोबाइल- 9873556781 / 9968097816

वेबसाइट : www.hindustanibhashaakadami.com

पेशेवर पढ़ाई अब हिन्दी भाषा में

इस बार 12 वां विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन फिजी के नाडी शहर में किया गया। भारतीय विदेश मन्त्रालय और फिजी सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस सम्मेलन में भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। फिजी के शिक्षा मंत्रालय, विराट और कला के स्थायी सचिव अंजिला जोखान की मौजूदगी में सम्मेलन के 'लोगो' और 'वेबसाइट' का शुभ आरम्भ किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि हिन्दी फिजी के संविधान की आधिकारिक भाषाओं में से एक है और फिजी में प्राथमिक विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों में भारतीय मूल के 'विद्यार्थियों' के लिए हिन्दी एक अनिवार्य विषय है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिए जाने के सवाल पर विदेश मंत्री श्री जयशंकर ने कहा कि यूनेस्को द्वारा अलग-अलग समाचार-पत्रों, सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर हिन्दी का इस्तेमाल किया जाता है, किन्तु हिन्दी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने में थोड़ा समय लग सकता है। प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत रुचि और प्रयासों से इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई हिन्दी और भारतीय भाषाओं में हो, इसके लिए भी संस्थागत व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के साथ, सत्ता की इच्छा एवं समय की मांग भी राजभाषा हिन्दी के साथ है। क्योंकि विश्व की तीसरे नंबर पर सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, अब बाजार की आवश्यकता और संवाद का माध्यम बन गई है। हिंदुस्तान में हिन्दी भाषा का मुद्दा महात्मा गाँधी के अथक प्रयासों के बावजूद सदैव विवादास्पद रहा, इसी कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भी उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। आजादी के अमृत महोत्सव पर जब यह विषय एक बार फिर जिन्न की तरह बाहर निकल आया और विचार-विमर्श का विषय बन गया। तब अनेक बोलियों, उपबोलियों और भाषा-भाषी वाले भारत में यह चर्चा दोबारा गरमा गई और कई राजनीतिज्ञ इसके विरोध में सुर-स्वर निकालने लगे। ये नेता अपनी प्रांतीय और स्थानीय भाषाओं के प्रति असुरक्षा बोध जताते हुए, रोजगार और शिक्षा के प्रति हिन्दी भाषा पर प्रश्न उठा रहे हैं, किन्तु वे यह भूल जाते हैं कि एक व्यक्ति अपनी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा के साथ विदेशी भाषा को भी एकसाथ सीख सकता है या इससे भी अधिक भाषाओं को अपनाने के लिए सक्षम है। वैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि मातृभाषाओं की स्थिति में कुछ सुधार होगा और हिन्दी भाषा की नींव अधिक सुदृढ़ होगी।

यद्यपि, रोजगारमूलक शिक्षा को हिन्दी भाषा में प्रदान करने के मामले में हम पिछड़े हुए हैं, किन्तु नई शिक्षा नीति के तहत देश ने पेशेवर शिक्षा भी अब हिन्दी माध्यम से देने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। यदि हमारे कार्यालयों में आम लोगों की सरल भाषा में काम होता, तो उन्हें अपने कामों को करने और समस्याओं को समझने में सहूलियत होती। जिससे दफ्तरों में फाइलों के ढेर न इकट्ठे होते और

सभी कार्य समय पर निपटाए जाते। कितना अच्छा होता यदि हमारे न्यायालय जनता की भाषा में जनता को न्याय दे पाते। मुजरिम को दंड और मुक्किल का फैसला देने में सालों-साल न लगते और गाँव-देहात के लोग कानूनी प्रक्रिया और न्याय को अपनी भाषा में आसानी से समझ पाते। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी न्यायालयों में स्थानीय भाषाओं के प्रयोग पर जोर देते हुए कहा है कि अंग्रेजी में न्यायिक प्रक्रिया और फैसले समझना मुश्किल होता है तथा मातृभाषाओं के प्रयोग से न्याय प्रणाली में आम नागरिकों का विश्वास बढ़ेगा और वे लोग इससे अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे। इसके लिए एक समूह दो प्रारूपों में कानून बनाने पर विचार कर रहा है, जो विभिन्न देशों में प्रचलन में है। एक विशिष्ट कानूनी भाषा में और दूसरा साधारण भाषा में, जिसे आम लोग समझ सकते हैं। इसके प्रत्युत्तर में पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना ने कहा कि न्यायालयों में स्थानीय भाषाओं के प्रयोग करने के लिए कानूनी व्यवस्था की आवश्यकता है। यदि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तकनीक का भविष्य में इस स्तर पर विकास होगा कि वह स्थानीय भाषाओं को देखकर जज को उसका मर्म समझा सके, तो फिर न्यायालयों में ये भाषाएँ लागू हो सकती हैं। यद्यपि, इलाहबाद उच्च न्यायालय के कामकाज में हिन्दी का प्रयोग काफी समय से किया जा रहा है और यहाँ अधिकतर काम हिन्दी या फिर हिन्दी-अंग्रेजी को मिला कर निपटाया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त दिल्ली के न्यायिक इतिहास में भी नौ साल पहले एक तमिल भाषी न्यायाधीश ए. एस. जयचंद्रा ने एक बड़ी पहल की थी। यद्यपि दिल्ली के न्यायालयों के कामकाज में हिन्दी भाषा प्रयोग नहीं किया जाता, किन्तु न्यायाधीश जयचंद्रा ने 05 सितम्बर, 2013 को विवाह विच्छेद के एक मामले में ना केवल हिन्दी में फैसला सुनाया, बल्कि पूरा निर्णय-पत्र भी हिन्दी में लिखवाया। यहाँ खास बात यह रही कि गैर-हिन्दी भाषी प्रदेश का होने के बावजूद उन्होंने स्वयं हिन्दी में आदेशपत्र तैयार किया। एक आदेशपत्र रिकॉर्ड के लिए अंग्रेजी में भी लिखवाया गया, किन्तु न्यायाधीश का मानना था कि वादियों की बोली और स्थानीय भाषा को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिखा जाए।

पिछले वर्ष प्रमुख खबर थी कि हिन्दी भाषा में इंजीनियरिंग की शिक्षा की शुरुआत की जाएगी, जिसके लिए आईआईटी, बी. एच.यू. में इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिन्दी में करने की तैयारी की जा रही थी। इसके लिए 'मैनुअल' से लेकर सभी विभागों के पाठ्यक्रम हिन्दी में करने पर काम शुरू हुआ और इस कोर्स के हिन्दीकरण के काम के लिए वैज्ञानिक प्रणाली अपनाई जा रही है, जिसके लिए भाषा का आसानी से समझ में आना जरूरी शर्त है। दूसरे, आईआईटी में अंग्रेजी के तकनीकी शब्दों को हिन्दी में परिवर्तित करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि यह कोष कठिन न हो। कठिन



श्रीमती संतोष बंसल



शब्दों के स्थान पर अंग्रेजी के शब्दों का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ ही अन्य भाषाओं से भी शब्द लेने की तैयारी है। वैसे भी संस्थान से प्रकाशित होने वाले 'न्यूज लेटर' हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित किए जाते हैं। चूँकि इंजीनियरिंग की किताबें अभी तक अंग्रेजी में हैं, ऐसे में हिन्दी भाषा में नए कोर्स और किताबों के लिए आईआईटी के सभी विभाग अलग से काम कर रहे हैं। इसके लिए संस्थान की तरफ से हिन्दी में इंजीनियरिंग की किताबे लिखने के लिए प्रोत्साहनस्वरूप अनुदान भी दिया जा रहा है। अब तक विभिन्न विभागों के छह प्राध्यापकों ने इंजीनियरिंग की किताबे लिखने का प्रस्ताव दिया है तथा नए शोधपत्रों का प्रकाशन भी हिन्दी में कराने को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा, तकनीकी शब्दों को हिन्दी में अनुवाद करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है एवं विभागों की तरफ से प्रस्तावित शब्दों को कमेटी पारित करेगी। इसके बाद इन्हें राष्ट्रीय भाषा शब्दावली प्रकोष्ठ के समक्ष रखा जाएगा। प्रकोष्ठ की मुहर लगने के बाद ही इन तकनीकी शब्दों को कोर्स में शामिल किया जाएगा, ताकि यह सर्वमान्य रहें। संस्थान में जल्द ही भाषा शब्दावली प्रकोष्ठ की कार्यशाला भी कराने की तैयारी है, जिससे हिन्दी में अध्ययन करने वाले छात्र अंग्रेजी समेत अन्य भाषाओं में भी समान अधिकार रखें। बी.एच. यू. के निदेशक प्रोफेसर प्रमोद जैन के अनुसार, हिन्दी जन-जन की भाषा है और इसमें तकनीकी शिक्षा भारतीयता को बढ़ावा देने में मददगार होगी। भाषा में कठिन शब्दों की जगह आसान शब्दावली पर जोर है और इसके लिए अंग्रेजी व अन्य भाषाओं के शब्द भी समाहित किए जाएंगे। आईआईटी, बीएचयू में अगले सत्र से हिन्दी में अध्ययन का भी विकल्प रहेगा। नई पुस्तकों के लेखन के लिए संस्थान के प्राध्यापकों को अनुदान और पुस्तकालय में हिन्दी की तकनीकी शिक्षा की किताबों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। (लेख- हिन्दी की पटरी पर उतर रही अभियांत्रिकी, हिन्दी हिन्दुस्तान अखबार, 14 सितम्बर 2021)

इसी तरह अब तक चिकित्सा शास्त्र की पढ़ाई सिर्फ अंग्रेजी में होती थी और उसकी किताबें अंग्रेजी में ही उपलब्ध हुआ करती थी। आम आदमी यही सोचता था कि काश डॉक्टर अपना पर्चा मरीज की भाषा में लिखता और दवाएं हमारी भाषा में मिल पाती। हिन्दी क्षेत्र में डॉक्टरी भले ही मातृभाषा में होती है, लेकिन पढ़ाई तो अंग्रेजी में होती आई है। जब अस्पतालों में डॉक्टर -मरीज का संवाद हिन्दी में होता है, तब डॉक्टरों का आपसी परामर्श या चिकित्सा कार्य अंग्रेजी में क्यों ? इलाज भी अगर हिन्दी में होगा, तो शायद ज्यादातर मरीजों को समझने में सुविधा होगी। अभी तो अनेक डॉक्टरों के हाथ से लिखी पर्ची को पढ़ना-समझना भी आसान नहीं है और दवाइयां भी अंग्रेजी नाम से बिकती हैं। अक्सर भाषा में आपसी वार्तालाप ठीक से न होने से न तो रोगी अपनी बीमारी ठीक से बता पाता है और न ही डॉक्टर मरीज से खुलकर उसकी तकलीफ समझ सकता है। मुझे याद है कि एक अहिन्दी भाषी बंगाली डॉक्टर

अपने मरीज से हिन्दी में पूछता था, 'ट्टी में 'कौन' आता है ?' यह 'कौन' शब्द 'खून' का उच्चारण बदल कर 'कौन' शब्द में हास्यास्पद हो गया था, जो आम डॉक्टरों में चुटकला बन गया था। उत्तर भारत के सरकारी अस्पतालों में गाँवों-कस्बों के मरीजों के साथ डॉक्टरों को उन्हीं की जुबान में बात करनी चाहिए, नहीं तो दर्द और तकलीफ के जाने-पूछे बिना इलाज संभव ही नहीं। चूँकि यह व्यवसाय 'लाइफ लाइन' या जिंदगी से जुड़ा है, इसीलिए इसमें भाषा के कारण बातचीत की दूरी नहीं होनी चाहिए। अभी तक सुविधाओं के अभाव के साथ-साथ भाषा के दुराव के कारण शिक्षित डॉक्टर गाँवों में जाने से कतराते रहें हैं तथा गरीब और अभावग्रस्त लोग भी अज्ञान वश प्रशिक्षित डॉक्टर तक पहुँच नहीं पाते और अपने आस-पास के नकली डॉक्टरों के चंगुल में फंसे रहते हैं। अक्सर ये विवश और वंचित लोग अपनी जान गंवा देते हैं और अपने प्रिय लोगों से हाथ धो बैठते हैं। ऐसे में अब चिकित्सा की तीन किताबों का हिन्दी में आना सुखद और ऐतिहासिक प्रगति है, जिनमें शब्दावलियों को अंग्रेजी भाषा के सामान देवनागरी लिपि में लिखने का प्रयास बेहद उपयोगी होगा। मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत एम.एम.बी.एस के छात्रों के लिए हिन्दी पाठ्यपुस्तकों का अनावरण किया गया और हिन्दी की ऐसी पहल में हिन्दी भाषी मध्य प्रदेश ने बाजी मार ली है। इस पहले कदम के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के हिस्से के रूप में तीन विषयों-जैव रसायन, शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान की हिन्दी पाठ्य पुस्तकों का विमोचन किया गया है।

अंततः यह समझना चाहिए कि अंग्रेजी की अच्छी जानकारी न होने के कारण कई विद्यार्थी मेडिकल जैसे उच्चतर अध्ययन से वंचित रह जाते हैं, अब उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। दूसरे सुदूर इलाकों से आए ऐसे विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने देहातों और कस्बों में भी अपनी सेवाएँ दे सकेंगे। जिससे सरकार के लिए भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएँ देना सहज और सरल होगा, जिसका फायदा बच्चों और स्त्रियों के साथ वृद्ध पुरुषों को भी मिलेगा। वैसे पेशेवर शिक्षा में पूरा जोर गुणवत्ता पर होना चाहिए, तभी हम जरूरी बदलाव लाने में सफल हो सकेंगे। वैसे भारत अनेक भाषाओं का देश है, जहाँ हिन्दी को किसी पर थोपा नहीं जा सकता। किन्तु अगर हिन्दी में पढ़ाई होने से 'ब्रेन ड्रेन' रोकना संभव होगा, तो देश के योग्य पेशेवर अपनी जमीन पर ही सेवा में अपनी प्रतिभा का उपयोग करेंगे। वस्तुतः जबसे यह खबर प्रसारित हुई है, तब से सोशल मीडिया पर मेडिकल शिक्षा से जुड़े हिन्दी शब्दों का उपहास बनाया जा रहा है। ऐसे लोग क्या साबित करना चाहते हैं ? रूस, जापान, चीन, फ्रांस जैसे विकसित देश स्थानीय भाषा में ही शिक्षा देते हैं। जब कभी अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार होती हैं और सभी डॉक्टर्स आपस में मिलते हैं तो यद्यपि संपर्क भाषा के रूप में ये सब अंग्रेजी का हल्का-फुल्का इस्तेमाल करते हैं,

सिंधी भाषा का महत्व तथा वर्तमान स्थिति

भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में मेरी मातृभाषा सिंधी का होना मेरे लिए अत्यंत गौरव की बात है। गर्व है मुझे अपने सिंधी होने पर। परंतु, इस प्रसन्नता के पीछे एक चिंता भी छिपी है। चिंतित होना जायज है। दुःखद स्थिति यह है कि सिंधी जिनकी मातृभाषा है, उनमें से भी कुछ लोग इसे नहीं बोलते। वे या तो इसे बोलने से कतराते हैं या उन्हें यह भाषा आती ही नहीं है। मुझे यह बेहद अजीब लगता है कि जिस घर में माता और पिता दोनों ही सिंधी हैं, वे भी आपस में सिंधी में बात नहीं करते। मुझे याद है, अपने बचपन का एक किस्सा। एक बार, मेरे पड़ोस में एक नया परिवार रहने आया। यह जानकर मैं बहुत खुश हुई कि वे लोग भी सिंधी हैं परन्तु, यह खुशी तब हैरानी में परिवर्तित हो गई जब मैंने अपनी उम्र की ही उनकी बेटी से सिंधी में बात करनी चाही। उस लड़की ने (जो कि बाद में मेरी सहेली बन गई थी) हिन्दी में जवाब देते हुए कहा कि उसे सिंधी नहीं आती। पता चला कि उसे सिंधी में बात करने में भी शर्म आती थी। अपने जीवन में इस तरह के कई मौके बाद में भी मैंने देखे जब लोग अपनी मातृभाषा में बात करने में कतराते हैं या शर्म करते हैं। यह अत्यंत दुःखद स्थिति है। प्रश्न उठता है कि ऐसी स्थिति आखिर आती ही क्यों है ?

मुझे लगता है कि कहीं-न-कहीं स्वाभिमान की कमी भी इसके पीछे का कारण हो सकती है। अपने आप को दूसरों के सामने श्रेष्ठ बनाने के लिए हम खुद को दूसरों की नजर से देखने का प्रयास करने की गलती करते हैं। यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण सही हो या परखने की उसकी क्षमता सही हो। हो सकता है कि वह हमें नीचा दिखाने के लिए ही हमारे ऊपर कटाक्ष करता हो। बात तब की है, जब मैं लगभग बीस वर्ष की थी और मेरी नई-नई सरकारी नौकरी लगी थी। अपने दफ्तर में मैं बड़े ही उत्साह से कार्य करती थी। एक दिन एक आदमी ने मुझसे पूछा, 'आप कौन हैं?' मैंने प्रत्युत्तर में अपना नाम बताया तो उन्होंने पूछा कि उनका मतलब मेरी मातृभाषा से है। मैंने मुस्कराकर जवाब दिया कि मैं सिंधी हूँ। सुनते ही वे महाशय हँसते हुए मजाक उड़ाने लगे कि सिंधी और साँप यदि एक साथ आ जाएँ तो पहले सिंधी को मारना चाहिए। सुनकर मुझे उनकी विकृत बुद्धि पर तरस आया। वे महाशय मेरे स्वाभिमान को डिगा नहीं पाए। मुझे अपने सिंधी होने का हमेशा गर्व रहा है।

भाषा तो भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है। उसे साधन ही समझना चाहिए। भाषा कोई भी क्यों न हो व्यक्ति को उसका सही प्रयोग आना आवश्यक है। अंग्रेजी जानने और बोलने वाले व्यक्ति को परम ज्ञानी समझना और मातृभाषा में बात करने वाले को अनपढ़ समझ लेना सर्वथा भूल है। अंग्रेजी में अपशब्द बोलने वाले या उसके त्रुटिपूर्ण प्रयोग करने वाले व्यक्ति को क्या आप कभी सही कह पाएँगे ? यह परम आवश्यक है कि हम अपनी मातृभाषा को उतना ही मान दें जितना मान हमें अपनी माँ को देना चाहिए।

मातृभाषा विरासत में मिली पूँजी के समान होती है जिसे हमेशा संभालकर रखने की जरूरत है। मातृभाषा हमारा सम्मान है, हमारा आत्माभिमान है। इसे कमतर समझना अपने आप को दूसरों की नजर में स्वयं ही नीचा करने के समान है।



डॉ. वन्दना गोसाई

एक मत यह भी है कि सिंधी भाषा के लिए स्वयं के अस्तित्व को बनाए रखना शायद इसलिए भी कठिन हो जाता है कि सिंधी भाषी लोग पूरे देश में अलग-अलग स्थानों पर बिखरे हुए हैं। सिंधियों के पास अपना कोई एक राज्य नहीं है जहाँ पर वे अपनी संस्कृति को धरोहर के समान इकट्ठा करके रख सकते। भारत-पाकिस्तान विभाजन के बाद भारत में आए सिंधी एक-दूसरे के आस-पास रहते तो शायद इस संस्कृति को संभालकर रख पाते। यहाँ मैं यह कहना चाहूँगी कि भले ही हमारे पास कोई एक राज्य नहीं है परन्तु, यदि सूक्ष्मता से देखें तो हमारे पास पूरा हिन्दुस्तान है। विश्व में भी बहुत सारे देशों में सिंधी समुदाय है। हमें अपनी प्राचीन सिन्धु घाटी की सभ्यता को भी सदा याद रखना चाहिए। पवित्र सिन्धु नदी के तट के निकट विस्तृत सभ्यता। भारतभूमि के मूल में तो यही सिंधी लोग हैं। इन्हें अपना पूर्वज भी माना जा सकता है। पूर्वजों का स्थान तो सदा उच्च ही होता है। ऋग्वेद में 'सिंध' तथा 'सप्तसिंधवः' शब्द का प्रयोग है जो सिन्धु नदी को ही इंगित करता है। डॉ. भोलानाथ तिवारी के अनुसार प्राचीन ईरानी सभ्यता में 'हिन्द' शब्द सिन्धु नदी व उसके आस-पास के प्रदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यह भी उल्लेखनीय है कि आर्य भाषा की 'स' ध्वनि का ईरानी भाषा में 'ह' के रूप में उच्चारण होता है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात कि सिंधी भाषा संस्कृत भाषा की तरह ही बोली जाती है। जिस प्रकार संस्कृत में प्रत्येक शब्द के अंतिम वर्ण के स्वर को पूरा बोला जाता है उसी प्रकार सिंधी में भी प्रत्येक शब्द के अंतिम स्वर का पूरा उच्चारण होता है। सिंधी भाषा में गुजराती, पंजाबी, मुलतानी तथा अरबी शब्द भी हैं जो इसे महत्वपूर्ण बनाते हैं। भाषा का सौंदर्य तो इसी में है कि वह एक बहती नदी के समान हो और अनेक बोलियों को अपने में समेट ले। इससे भाषा समृद्ध ही होती है। सिंधी की विशेषता यह भी है कि यह देवनागरी लिपि और अरबी लिपि दोनों में ही सहजता से लिखी तथा पढ़ी जा सकती है। ऐसी सुसंस्कृत तथा समृद्ध भाषा पर मुझे गर्व है। एक बात आप सब को बता दूँ कि आजकल महिलाएँ 'लेटेस्ट फैशन' के नाम पर पैरलल, प्लाजो, कुरते के साथ सूती पैट या फ्लोरल गाउन पहनती हैं जोकि दरअसल, सिंधियों की पारम्परिक वेशभूषा है जिसे 'सुथण-कुर्तो' और 'परो-कोटी' कहा जाता था। मैंने अपनी दादी, नानी और परनानी को इन्हीं कपड़ों में देखा था। जिन लोगों को सिंधी बोलने में शर्म आती है उन्हें भी सिंधी कढ़ी, टूक कचालू, टूक पटाटा, तरयल वांगण, सेअल फुल्को आदि सिंधी



हिन्दी की राष्ट्रीय स्वीकार्यता-समस्या एवं संभावनाएँ

देश के समस्त हिस्सों में आमजन की भाषा के रूप हिन्दी भाषा की स्वीकार्यता है। समस्त राष्ट्र में जन-जन के विचार-विनिमय का माध्यम हिन्दी है। यह प्रयोगात्मक-व्यावहारिक तथा जनमान्य है। हिन्दी हमारे देश की संपर्क भाषा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति हिन्दी भाषा को आसानी से बोल-समझ लेता है, यही इस भाषा की पहचान भी है। भारत में स्वतंत्रता के बाद 14 सितंबर, 1949 को संविधान सभा ने राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के अनुरोध पर सन् 1953 से संपूर्ण भारत में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को 'हिन्दी दिवस' के रूप में घोषित किया। इसी दिन संविधान सभा ने हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। वर्ष 1925 ई. में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में हिन्दी आंदोलन को बड़ा बल मिला। भारत सरकार का राजभाषा विभाग इस दिशा में प्रयासरत है कि केंद्र सरकार के अधीन कार्यालयों में अधिक-से-अधिक कार्य हिन्दी में हो। हिन्दी भाषा को बढ़ावा देने के लिए देश भर के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों के प्रमुखों को राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट कार्य के प्रोत्साहन हेतु पुरस्कृत भी किया जाता है। हिन्दी भारत संघ की राजभाषा होने के साथ ही ग्यारह राज्यों और तीन संघ शासित क्षेत्रों की भी प्रमुख राजभाषा है। संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल अन्य इक्कीस भाषाओं के साथ हिन्दी का एक विशेष स्थान है।

हिन्दी भाषा की समीक्षा करते हुए विदेशी समीक्षकों ने भी हमारी हिन्दी के प्रति समर्पण का आकलन कर विचार जन समक्ष रखे जिसमें-सी. टी. मेटकॉफ ने 1806 ई. में अपने शिक्षा गुरु जॉन गिलक्राइस्ट को लिखा- 'भारत के जिस भाग में भी मुझे काम करना पड़ा है, कलकत्ता से लेकर लाहौर तक, कुमाऊं के पहाड़ों से लेकर नर्मदा नदी तक मैंने उस भाषा का आम व्यवहार देखा है, जिसकी शिक्षा आपने मुझे दी है। मैं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक या जावा से सिंधु तक इस विश्वास से यात्रा करने की हिम्मत कर सकता हूँ कि मुझे हर जगह ऐसे लोग मिल जाएँगे जो हिन्दुस्तानी बोल लेते होंगे।' टॉमस रोबक ने 1807 ई. में लिखा- 'जैसे इंग्लैण्ड जाने वाले को लैटिन सेक्सन या फ्रेंच के बदले अंग्रेजी सीखनी चाहिए, वैसे ही भारत आने वाले को अरबी-फारसी या संस्कृत के बदले हिन्दुस्तानी सीखनी चाहिए।' विलियम केरी ने 1816 ई. में लिखा- 'हिन्दी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं बल्कि देश में सर्वत्र बोली जाने वाली भाषा है।' एच.टी. कोलब्रुक ने लिखा- 'जिस भाषा का व्यवहार भारत के प्रत्येक प्रान्त के लोग करते हैं, जो पढ़े-लिखे तथा अनपढ़ दोनों की साधारण बोलचाल की भाषा है, जिसको प्रत्येक गाँव में थोड़े बहुत लोग अवश्य ही समझ लेते हैं, उसी का यथार्थ नाम हिन्दी है।' जॉर्ज ग्रियर्सन ने 'हिन्दी को आम बोलचाल की महाभाषा' कहा है। थियोसोफिकल सोसाइटी (1875 ई.) की

संचालिका एनीबेसेंट ने कहा था- भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न भागों में जो अनेक देशी भाषाएँ बोली जाती हैं, उनमें एक भाषा ऐसी है जिसमें शेष सब भाषाओं की अपेक्षा एक भारी विशेषता है, वह यह कि उसका प्रचार सबसे अधिक है।



डॉ. दीन दयाल साहू

यदि संपूर्ण भारत के राज्यों पर नजर डालें तो यह दो भागों में बंटा है-हिन्दी भाषी और अहिन्दी भाषी। इन्हें एक सूत्र में पिरोने में देश के कोने-कोने से हिन्दी भाषा के उत्थान के लिए नवजागरण व आरंभिक काल में काम करने वाले विद्वानों में मैथिलीशरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विनोबा भावे, राजा राममोहन राय, सुभाष चंद्र बोस, सरोजनी नायडू, सी. राजगोपालाचारी, काका कालेलकर, एन.सी. केलकर, कन्हैयालाल, माणिकलाल, मदनमोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन, राजेन्द्र प्रसाद, सेठ गोविंद दास, केशव चंद्र सेन, गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर, डॉ. एन ई. विश्वनाथ अय्यर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, आचार्य वल्लभाचार्य रामानुज, अरविंद घोष, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामानंद, शंकर देव, ज्ञानदेव, नामदेव, नरसिंह मेहता, चैतन्य जैसे अनेक महानुभावों ने अपने हिन्दी प्रेम से देश को एक सूत्र में बांधने में अपना योगदान देने में कोई कमी नहीं की। साथ ही उन्होंने यह भी साबित किया कि भारत के हर कोने में हिन्दी का व्यापक प्रचार-प्रसार जनहित में किया जा रहा है जिसका सार्थक परिणाम हम सभी को दिख रहा है।

हमारे देश में दक्षिण अंचल को अहिन्दी भाषी क्षेत्र के रूप में प्रचारित किया जाता रहा है, लेकिन बारीकियों से इन क्षेत्रों का हिन्दी के लिए किए गए कार्यों को देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ भी हिन्दी के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार जमीनी स्तर पर होता रहा है। हिन्दी के विकास में दक्षिण भारत का योगदान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। दक्षिण भारत के हर राज्यों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से महात्मा गाँधी ने सन् 1918 ई. में मद्रास में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना की थी। दक्षिण के चारों राज्यों में- आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में हिन्दी प्रचार-प्रसार का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। केरल हिन्दी प्रचार सभा तिरुवनंतपुरम में स्थित एक हिन्दी सेवा संस्था है। केरल के हिन्दी प्रचारकों में अग्रणी के. वासुदेवन पिल्ले ने सितंबर, 1934 में इस सभा की स्थापना की। 1948 से पहले यह सभा 'दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा' (मद्रास) की परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को तैयार करती रही है। केरल राज्य में राजभाषा हिन्दी का प्रचार-प्रसार करने, हिन्दी परीक्षाएँ चलाने के अतिरिक्त दूसरी संस्थाओं की परीक्षाएँ आयोजित करना भी



इस संस्था का उद्देश्य है। इस सभा की प्रेरणा से केरल भर में अनेक हिन्दी विद्यालय खोले गए हैं और इनमें हजारों विद्यार्थी एवं प्रौढ़ व्यक्ति हिन्दी के अध्ययन में जुटे हुए हैं। केरल की राजधानी तिरुवनन्तपुरम में 13 जुलाई, 1962 को सभा के संस्थापक मंत्री की पावन स्मृति में इस ग्रंथालय का नाम 'श्री के. वासुदेवन पिल्ले स्मारक हिन्दी ग्रंथालय' रखा गया है। केरल विश्वविद्यालय द्वारा हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की साहित्य विशारद, साहित्य रत्न आदि परीक्षाओं के लिए भी कक्षाएं चलाई जाती हैं। मलयालम के प्रसिद्ध हिन्दी रचनाकार डॉ. एन.ई. विश्वनाथ अय्यर द्वारा विरचित केरल में हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास प्रथम एवं पथ प्रदर्शक इस ग्रन्थ में पाँच खण्डों में मौलिक और अनूदित हिन्दी साहित्य हैं।

हिन्दी के विकास में दक्षिण भारत के सभी राज्यों के अनेक साहित्य प्रेमियों में योगदान देने वालों में सी पी रामास्वामी अय्यर, टी. आर. वेंकटराम शास्त्री, एन. सुंदर अय्यर, स्वाति तिरुनाल नाम, आचार्य वल्लभ, आरिगपूडि, बालशौरि रेड्डी, प्रो. सुंदर रेड्डी, प्रो. आदेश्वर राव, प्रो. रामा नायडू, डॉ. शेषण, पूर्व प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिंहाराव, प्रो. भीमसेन निर्मल, डॉ. सूर्यनारायण भानू, मोटूरि सत्यनारायण, कवि नादेल्ला पुरुषोत्तम, कर्णवीर नागेश्वर राव, बालकृष्ण राव, वाराणसी राममूर्ति रेणु, अल्लूरि बैरागी, जंध्याल शिवन्न शास्त्री, लाजपति पिंगल, बोदराजु वेंकट सुब्बाराव, प्रोफेसर जी. शंकर रेड्डी, डॉ. चलसानि सुब्बाराव, दंडमूडि वेंकट कृष्णाराव, वेमूरि आंजनेय शर्मा, कामाक्षीराव, दुर्गानंद, गुर्रम जाषुवा, डॉ. आई पांडुरंगाराव, मुप्पाल्ल रंगनायकम्मा, आरिगपुडिच जैसे अनेक दक्षिण भारतीय हिन्दी के मूर्धन्य रचनाकार उपन्यास, कहानी, नाटक, कविता आदि लिखकर दक्षिण की हिन्दी परंपरा को समृद्ध करते रहे। दक्षिण भारत में कल्पना, संकल्य, पूर्ण कुंभ, भारतवाणी, श्रवंती, स्वतंत्र हिन्दी वार्ता, हिन्दी मिलाप, दक्षिण भारत, श्री मिलिंद जैसे पत्र-पत्रिकाओं का भी हिन्दी प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के साथ ही छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और देश के सभी राज्य राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए कार्यरत कई प्रमुख संस्थाएं व समितियां लगातार हिन्दी भाषा के उत्थान में अपना योगदान दे रहे हैं। जिनमें प्रमुख रूप से अच्छे व उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रतिभाओं को पुरस्कार देना, साहित्यिक समारोह का आयोजन, साहित्यकार कल्याण कोष, पुस्तक प्रकाशन हेतु अनुदान, संस्थाओं द्वारा समय-समय पर कार्यशाला, मासिक-त्रैमासिक व वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन, स्मृतियों को संजोए रखने का प्रयास व संरक्षण की

दिशा में कार्य योजना व प्रारूप तैयार कर उसका क्रियान्वयन करना, हिन्दीतर भाषा-भाषी क्षेत्रों में भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थान की सहभागिता, बाल साहित्य संवर्द्धन, पुस्तकालय सुदृढीकरण, प्राचीन एवं दुर्लभ ग्रन्थों का प्रकाशन, कोश तैयार करना जैसी योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। अनेक राष्ट्रीय स्तर के सेमीनार, संगोष्ठियों तथा शोध आलेखों के माध्यमों से हिन्दी भाषा को महत्व दिया जा रहा है। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का नामकरण और विज्ञापन भी हिन्दी में प्रचारित और प्रसारित किए जा रहे हैं। विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में हिन्दी के प्रति विशेष रुचि देखी जा रही है। हिन्दी दिवस पर पूरे सप्ताह कार्यक्रमों का आयोजन अब हर प्रांत में होने लगा है। महापुरुषों व लेखकों की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित कर उनके योगदानों को रेखांकित किया जा रहा है ताकि हमारी हिन्दी बोली तथा भाषा और अधिक समृद्ध होती रहे।

राज्यों के अंतर्गत जिला मुख्यालयों व तहसील स्तर पर साहित्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए संस्थान परिसर में यशपाल सभागार, प्रेमचंद सभागार, निराला साहित्य केन्द्र एवं सभागार, मुक्ताकाश रैदास मंच, त्रिवेणी संगम, साहित्य भवन, लेखकों व कवियों के नाम पर भवन निर्मित हैं, जिनमें विविध साहित्यिक कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित होते रहते हैं। हिन्दी संस्थान अपनी प्रकाशित पुस्तकों की बिक्री की व्यवस्था स्वयं करता है। इनमें चिकित्सा विज्ञान एवं तकनीकी पुस्तकों का लेखन, भारतीय भाषाओं की प्रमुख कृतियों का अनुवाद, साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन शामिल किया जाता है। अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन, विश्व हिन्दी सम्मेलन एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थान की सहभागिता सुनिश्चित की जाती है। हिन्दी संस्थान में उत्कृष्ट साहित्यकारों को अलंकृत करने की विभिन्न योजनाएं संचालित हैं। हिन्दी के यशस्वी साहित्यकारों को उत्कृष्ट साहित्य सृजन एवं अनवरत हिन्दी सेवा के लिए श्रद्धाभारती सम्मान से समादृत किया जाता है। इतना ही नहीं विदेशों में अप्रवासी भारतीयों द्वारा समय-समय पर हिन्दी भाषा को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं तथा देश के ख्यातिनाम साहित्यकारों को इस अवसर पर आमंत्रित किया जाता है। विदेशों में हिन्दी के प्रसार में योगदान के लिए पुरस्कार भी दिया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पत्रिकाओं का प्रकाशन भी अब होने लगा है। इन संस्थानों द्वारा प्रतिवर्ष उपन्यास, कहानी, कविता, महाकाव्य, नाटक, निबन्ध, विधिशास्त्र, इतिहास, संस्कृति, आलोचना, भाषा विज्ञान, विज्ञान तथा सम्बन्धित पुस्तकों पर रचनाकारों को नामित कर उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार भी दिए जाते हैं।

केंद्रीय हिन्दी निदेशालय, गुवाहाटी के अंतर्गत असम,



अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम आदि आते हैं। कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंतर्गत बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिसा, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, झारखंड और लक्षद्वीप हैं। हैदराबाद के अंतर्गत गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आते हैं। चेन्नई के अंतर्गत तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी हैं। नई दिल्ली के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ आते हैं। 'महाराष्ट्र राज्य हिन्दी साहित्य अकादमी' का आधारभूत उद्देश्य है हिन्दी के मंच से राष्ट्रीय एकता के लिए काम करना। इस उद्देश्य को दृष्टि में रखकर 'हिन्दी अकादमी' हिन्दी भाषा एवं साहित्य की प्रोन्नति के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित योजनाओं का यथारूप राज्य में कार्यान्वयन करती है। महाराष्ट्र राज्य हिन्दी साहित्य अकादमी महाराष्ट्र में हिन्दी के प्रचार-प्रसार, नव लेखकों को प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और पुरस्कार, पुस्तक प्रकाशन और ग्रंथालयों को पुस्तकों की आपूर्ति, महाराष्ट्र के विश्वविद्यालयों में हिन्दी की अधिक छात्रवृत्तियाँ देने जैसे स्थाई कार्य संपन्न करती आई है। महाराष्ट्र राज्य हिन्दी साहित्य अकादमी को सभी विश्व हिन्दी सम्मेलनों में भाग लेने का श्रेय प्राप्त है। मराठी भाषा साहित्य और महाराष्ट्र की सुपुष्ट संस्कृति हिन्दी में लाने की दिशा में भी हिन्दी अकादमी ने विशेष प्रयत्न किए हैं। अकादमी ने औरंगाबाद, नांदेड़, सांगली, नागपुर, गोंदिया, अमरावती, पुणे, सोलापुर, लातूर, जालना आदि स्थानों पर अपने सदस्यों की पहल पर अनेक कार्यक्रम किए हैं। सर्वभारतीय भाषा सम्मेलन, 2008 में देशभर से 22 भाषाओं के प्रतिनिधि साहित्यकारों और 400 से अधिक स्थानीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। महाराष्ट्र हिन्दी साहित्य अकादमी नए साहित्यकारों में सृजनशीलता बढ़ाने के लिए नित नए कार्य कर रही है। हिन्दी की सृजनशीलता और समृद्धि में महाराष्ट्र सरकार का सदैव सहयोग रहा है। इससे हिन्दी साहित्य समृद्ध हो रहा है और हिन्दी सारे देश को एक सूत्र में पिरोने का कार्य कर रही है। साहित्य अकादमी के साथ काम करते हुए यह अनुभव किया है कि हिन्दी देश की 24 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए सेतु का काम करती है। गुजराती भाषा की पुस्तक का मणिपुरी में सीधा अनुवाद कराना आसान नहीं है। लेकिन गुजराती से हिन्दी में अनुवाद कराने के बाद हिन्दी से मणिपुरी में अनुवाद आसानी से हो जाता है। करीब सभी क्षेत्रीय साहित्यकारों के लिए हिन्दी समझना आसान है। हिन्दी भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बनकर उभरी है। आज लगभग प्रत्येक कार्यालय में एक राजभाषा विभाग है, जो राजभाषा हिन्दी में काम करने के लिए नीतियों, नियमों और पुरस्कार प्रोत्साहन आदि की न केवल जानकारी प्रदान करता है, बल्कि कार्यालयों के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए तत्पर है। हिन्दी बहुआयामी भाषा है इसकी

खूबी है कि ये सभी भाषाओं के शब्दों को आत्मसात कर लेती है।

वाद-विवाद प्रतियोगिता निबंध लेखन विलुप्त होते शब्दों की कुंजी तैयार करना, नाटकों व संवाद लेखन को महत्त्व देना, सोशल और वेब मीडिया समाचर-पत्र इंटरनेट शब्द कोष तथा सरकारी व निजी कार्यालयों में हिन्दी के कामकाज को बढ़ावा व प्राथमिकता देना होना चाहिए। आजकल सिनेमा और सीरियल भी इस दिशा में पाठकों व लेखकों के लिए अच्छा प्लेटफार्म साबित रहे रहे हैं। फेसबुक, ट्विटर, व्हाटसेप के माध्यम से अपनी लेखनी को लोग एक दूसरे को साझा कर अपनी लेखनी का उचित आकलन करने लगे हैं। इन प्लेटफार्मों में सीखने, समझने, सोचने और जानने का अच्छा अवसर मिलता है। भारतीय रेलवे, सार्वजनिक व निजी बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम व सरकारी प्रतिष्ठानों में हिन्दी को बढ़ावा देने में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। दक्षिण भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रति जागरूकता देखी जा रही है। यहाँ के लोग भली-भाँति हिन्दी को अपनाने के साथ ही समझने भी लगे हैं। राजमणि शर्मा ने अपनी पुस्तक हिन्दी भाषा: इतिहास और स्वरूप में लिखा है-आदिकाल से ही हिन्दी संतों-महात्माओं, व्यापारियों, सैनिकों और तीर्थयात्रियों के द्वारा समस्त भारत में व्याप्त होकर भारत की राष्ट्रीय आत्मा की अभिव्यक्ति में समर्थ हो चुकी थी। राजभाषा विभाग द्वारा सी डैक के सहयोग से तैयार किये गए लर्निंग इंडियन लैंग्वेज विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (लीला), मोबाइल ऐप भी बनाया गया है। इस ऐप से देश भर में विभिन्न भाषाओं के माध्यम से जन सामान्य को हिन्दी सीखने में सुविधा और सरलता होगी। सभी मंत्रालयों और विभागों ने अपनी वेबसाइटें हिन्दी में भी तैयार कर ली हैं। हिन्दी के विकास के लिए कई संस्थाएँ बनी हैं, साथ ही साहित्यिक संस्थाओं द्वारा काफी अच्छा काम हिन्दी भाषा को समृद्ध करने के लिए किए जा रहे हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के साथ-साथ टेक्स्ट बुक सोसायटी, नागरी प्रचारिणी सभा काशी, हिन्दी साहित्य सम्मलेन प्रयाग, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा मद्रास, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद, हिन्दुस्तानी प्रचार सभा वर्धा, हिन्दी विद्यापीठ बम्बई, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् पटना, मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद् बैंगलोर आदि। इसके साथ-साथ ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सनातन धर्म सभा, प्रार्थना सभा, थियोसाफिकल सोसायटी, रामकृष्ण मिशन, राधास्वामी संप्रदाय जैसी संस्थाएँ भी हिन्दी के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका रही हैं।

इतना होने के बाद भी आधुनिक युग में कई राज्यों की हिन्दी भाषा में पकड़ नहीं के बराबर है। कई स्थानों पर हिन्दी बोलने वालों को हीनता की दृष्टि से भी देखा जाता है। हिन्दी भाषा पर बहुत कुछ करने की आवश्यकता अभी भी है। तकनीकी और



पृष्ठ संख्या 26 का शेष

रोजगारमूलक पाठ्यक्रमों को हिन्दी भाषा में तैयार किया जाना चाहिए जिससे आमजन भी इसका आसानी से लाभ लेकर अपने भविष्य को संवार सकें। हिन्दी माध्यमों के स्कूलों के प्रति पालकों का रुझान कम होना कहीं-न-कहीं भविष्य के लिए खतरे की घंटी कही जा सकती है। अंग्रेजी को जरूरत से ज्यादा महत्त्व देना हमारे लिए अनेक समस्याओं को स्वतः जन्म देना है। ऐसी गतिविधियां हमें मानसिक गुलामी की ओर धकेलने के लिए काफी हैं। इनसे बचने के लिए चिंतन-मनन की व्यापक स्तर पर आवश्यकता महसूस हो रही है। विद्यालयी पाठ्यक्रमों में हिन्दी भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में लागू किया जाना चाहिए। प्रचार-प्रसार के माध्यमों में हिन्दी भाषा का ही उपयोग किया जाना चाहिए।

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि हिन्दी भाषा का भविष्य उज्ज्वल है। भाषा के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में बहुत अच्छे प्रयास हो रहे हैं। अच्छी बात यह है कि हिन्दी भाषा को लेकर अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में जागरूकता आई है। जिन स्थानों पर कोई नहीं पहुँचता वहाँ हिन्दी भाषा आसानी से पहुँच रही है, इसे हम सभी के लिए एक अच्छी उपलब्धि कही जा सकती है। अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में सूचना तंत्र के लिए केवल स्थानीय और अंग्रेजी भाषा का ही उपयोग हो रहा था, लेकिन इन स्थानों पर भी हिन्दी का वर्चस्व बढ़ा है। दक्षिण भारत के हिस्सों में अब हिन्दी भाषा को बोलने, समझने और सीखने के लिए जागरूक हो रहे हैं। इसका सुखद परिणाम यह है कि अन्य राज्यों के लोग जब यहाँ आते हैं तो भाषा संबंधी समस्याएं अब पहले जैसे दिखाई नहीं देती। इस तरह हमारी मातृभाषा के प्रति लगाव ही हमें सही दिशा और दशा प्रदान कर सकती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ :

हिन्दी साहित्य का इतिहास-रामचंद्र शुक्ल
राजमणि शर्मा-हिन्दी भाषा: इतिहास और स्वरूप
व्यथित हृदय-हिन्दी साहित्य का सुगम इतिहास
आरिगपुडि- व्यक्तित्व और रचनाकार
अंतर भारती- सुंदर रेड्डी
आंध्र में हिन्दी लेखन की परंपरा-डॉ. भीमसेन निर्मल

-डॉ. दीनदयाल साहू
साहित्यकार व संपादक
प्लॉट नं.-429, मॉडल टारुन-पो.-नेहरू नगर, भिलाई
जिला-दुर्ग (छ.ग.) पिन-490020



**सरलता और शीघ्र
सीखी जाने योग्य भाषाओं में
हिन्दी सर्वोपरि है।
-लोकमान्य तिलक**

लेकिन तकनीकी रूप से अनुवाद और दुभाषिये ही काम करते हैं। जो शोध पत्रों और उपलब्धियों को अपनी राष्ट्रीय भाषाओं में प्रस्तुत करते हैं, तब उनकी 'मेडिकल मैगजीन' में प्रकाशित होते हैं। जबकि भारत में यह कहा जाता है कि हिन्दी में मेडिकल करने वाले डॉक्टर गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में काम नहीं कर पाएंगे, अथवा रिसर्च पेपर, जर्नल, और उच्च अध्ययन की किताबें अंग्रेजी में हैं। क्या यह संभव नहीं कि नियुक्ति के समय प्रदेश और भाषा का ध्यान रखा जाए, जिससे पदाधिकारी के साथ जनता का भी हित होगा। क्या मातृभाषा के साथ त्रिभाषा सूत्र नहीं अपनाया चाहिए? हमारे संविधान निर्माता बाबा भीमराव आंबेडकर कई भाषाओं के ज्ञाता थे। बात केवल इच्छा शक्ति और उसके अनुसरण की है। ऐसे में अपनी भाषा को अधिकार दिलाने के लिए बुद्धिजीवियों को आगे आना होगा। हमें भी हिन्दी और भारतीय भाषाओं के लिए कटिबद्ध होना होगा और हिन्दी को सरोकार, रोजगार और ज्ञान की भाषा बनाना होगा। भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक श्री संजय द्विवेदी के अनुसार, 'जरूरी है कि हम जमाने को भी बता दें कि हमें हिन्दी की जरूरत है।' (लेख-हिन्दी के लिए सोचिए कुछ ज्यादा, हिन्दी हिन्दुस्तान अखबार, 14 सितम्बर 2022)

-श्रीमती संतोष बंसल

ए-1/7, मियावाली नगर, पश्चिम विहार, दिल्ली-110087

पृष्ठ संख्या 27 का शेष

व्यंजन बहुत पसंद हैं। आज भी शादियों में सिंधी गाने 'जेको खटी आयो खैर सां हो जमालो.....' को बहुत ही शान तथा हर्षोल्लास से गाया और बजाया जाता है।

सिंधी भाषा की वर्तमान स्थिति की बात करें तो वह चिंताजनक है और बहुत अधिक सुदृढ़ नहीं है। केवल कुछ ही विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में इसे अतिरिक्त भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है तथा इस भाषा के अध्यापकों की संख्या भी सीमित ही है। सिंधी भाषा के प्रचार-प्रसार को बढ़ाने की आज आवश्यकता है। अपनी संस्कृति, अपनी पहचान पर गर्व करने की जरूरत है। हम अपनी जड़ों को तभी बचा भी पाएँगे और मजबूत भी कर पाएँगे कि जब इसके महत्त्व को पूरी तरह समझेंगे। सिंधी भाषियों को अपनी मातृभाषा के अस्तित्व को हर हाल में बनाए रखना तथा सुरक्षित करना ही होगा और इसके लिए सिंधी पुस्तकों, साहित्यिक पत्रिकाओं, आलेखों व शोध पत्रों के माध्यम से सिंधी के महत्त्व को उजागर करना चाहिए। बच्चों को संस्कार और प्रेरणा घर से मिलती है। माता-पिता को अपने बच्चों को मातृभाषा सिखानी चाहिए और उसे बोलने के लिए सदा प्रेरित करना चाहिए। अच्छी शुरुआत व्यक्ति यदि स्वयं से करें तो एक दिन वह लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर पाएगा। प्रत्येक सिंधी भाषी व्यक्ति का दायित्व है कि वह अपनी संस्कृति व भाषा को बचाने के साथ-साथ उस पर गर्व करें।

-डॉ. वन्दना गोसाईं

हिन्दी विभागाध्यक्ष, माउंट कार्मल विद्यालय, द्वारका, दिल्ली



हिन्दी और गुजराती भाषा का तुलनात्मक अध्ययन

भारत देश हमारा है, जहाँ अनेक भाषाओं ने,
अपनापन बनाया है, अलग-अलग बोली भाषा से.....
इस के चमन को सजाया है.....

भारत की भाषाओं के अध्ययन से पूर्व यहाँ की भौगोलिक विविधता को जानना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पूर्व में खड़ी बोली और अवधी बोली जाती है वहीं पश्चिम में बांग्ला-उडिया आदि। इसी प्रकार उत्तर दिशा में गुजराती-मराठी का बोलबाला है और दक्षिण के राज्यों में मलयालम, तमिल-तेलुगू का प्रचलन है। हम कह सकते हैं कि यहाँ अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग बोली-भाषा का प्रचलन है। यूँ तो सभी भाषाओं का अपना महत्व है परन्तु एक राज्य के लोग दूसरे राज्यों के लोगों के साथ अपनत्व का भाव रखते हुए एक-दूसरे के साथ घुल मिल जाएँ और देश की एकता व अखंडता को बनाएँ रखे, यही सोचकर हिन्दी भाषा का विकास हुआ जिसकी लिपि देवनागरी है और इसमें तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी शब्दों का समाहार है। देश को इसी भाषा ने एक सूत्र में बाँध रखा है। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। गुजराती उनमें से एक भाषा है। यह भाषा गुजरात, दादरा और नगर हवेली की आधिकारिक भाषा है। यह भाषा ईरानी और भारतीय इंडो आर्यनव पश्चिमी भाषाओं से मिल कर बनी है। यह गुजराती लिपि में लिखी जाती है। यह गुजराती साहित्य अकादमी द्वारा पहचानी भाषा है और इसको भारत के मुंबई और पाकिस्तान में भी बोला जाता है। इतना ही नहीं हिन्दी की भाँति अमेरिका, कनाडा, यूके आदि देशों में भी इसको लोग बोलते हैं और बहुत पसंद भी करते हैं। हिन्दी के बाद विदेशों में पसंद की जाने वाली यह एक भारतीय भाषा है। जैसे-जैसे विभिन्न समाज के लोग आपस में व्यवहार करते हैं वैसे-वैसे वे एक-दूसरे की भाषा व संस्कृति को भी अपना बना लेते हैं। ऐसा ही प्रभाव हिन्दी भाषा का अपने देश और विश्व-पटल पर पड़ा जिसकी वजह से इस भाषा के साहित्य सृजन में अत्यधिक प्रभाव पड़ा और यही कारण है कि हिन्दी भाषा में साहित्य लेखन अपने चरम पर पहुँच गया है। गुजराती भाषा आधुनिक आर्य भाषाओं में से एक है। इसका विकास शौरसेनी प्राकृत के परवर्ती रूप नागर अपभ्रंश से हुआ है। इसका क्षेत्र गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ है। हेमचंद्र सूरि ने अपने ग्रंथों में जिस अपभ्रंश भाषा का संकेत किया है, यह मूलतः गुजरात और पश्चिमी राजस्थान की शगुजरातीश भाषा है।

हिन्दी साहित्य को मूलतः चार भागों में बांटा गया है-
आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल।

इसी प्रकार गुजराती भाषा को भी दो भागों में विभक्त किया गया है यथा-मध्यकालीन साहित्य काल तथा आधुनिक काल। हिन्दी भक्ति काल में तुलसीदास द्वारा रचित 'रामचरितमानस' बाल्मिकि 'रामायण' का सरल रूप है जो हिन्दी भाषा के पाठकों के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध हुई। इसी परम्परा को आगे बढ़ाते हुए गुजराती भाषा में गिरधर कृत 'रामायण' का नित्य पाठ किया जाता है। इन धार्मिक ग्रंथों ने समय-समय पर जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करके

समाज और राष्ट्र को चिंतामुक्त करके अपनी महत्ता सिद्ध की है। यह आख्यान शैली का एक महाकाव्य है। हिन्दी भाषा के समान गुजराती भाषा में भी अनेक रामकथा पर आधारित काव्यों की रचना हुई है। राम भारत ही नहीं वरन् विश्व के प्रत्येक कोने में श्रद्धा के पात्र हैं। गिरधर कृत रामायण में कवि ने कहीं भी तुलसीदास जी का उल्लेख नहीं



सुजाता भट्टाचार्या

किया है फिर भी अनेक स्थानों पर भावानुवाद पाया गया है अर्थात् कहीं-न-कहीं तुलसीदास जी की लेखनी का प्रभाव गुजराती साहित्य रचना पर देखा जा सकता है। मध्यकालीन युग में गुर्जर या श्वेतांबर की कृतियों को गुजराती की आदी कृतियाँ माना जाता है। ये प्रायः जैन कवियों की लोक साहित्यिक शैली में निबद्ध रचनाएँ हैं। इस प्रकार का साहित्य सृजन हिन्दी भाषा के भक्ति काल में भी बहुतायत हुआ- कबीरदास, मीराबाई, जायसी सरीखे संत कवियों के भक्ति की रचनाओं से हिन्दी का भक्तिकाल समृद्ध है। प्राचीन हिन्दी साहित्य बहुत समृद्ध था जबकि गुजराती भाषा का प्राचीन विकास कुछ तेज नहीं रहा। मध्यकालीन सांस्कृतिक जागरण की लहर गुजरात में भी दौड़ी जिसके मुख्य कवि नरसी मेहता और भारण कवि हुए। कवि नरसी की कृष्ण भक्ति की अनेक प्रचलित कथाएँ हैं। कवि भरण ने पौराणिक इतिवृत्तों यथा रामायण, महाभारत और भागवत के संदर्भों को लेकर काव्यबद्ध किया है। 17 वीं शताब्दी में प्रेमचंद भट्ट गुजराती साहित्य के सर्वोच्च कवि के रूप में उभरे। भारण कवि ने एक विशेष काव्य-शैली का विकास किया था। यह नृत्य परक लोकगीतों की शैली है। जिसका ज्वलंत उदाहरण नवरात्रों में डांडियां रास व नाच के रूप में आज जोरों-शोरों से दिखता है।

मध्यकालीन गुजराती साहित्य के विकास में स्वामीनारायण संप्रदाय का भी बड़ा योगदान रहा है। प्रारंभिक गुजराती लेखन जैन कवियों के द्वारा किया गया था। जिसके रास, फगस और विलास तीन नाम दिए थे। रास लंबी कविताएँ थी जो प्रकृति में वीर रस, रोमांटिक या कथात्मक थी। इस संदर्भ में हिन्दी भाषा का इतिहास अत्यंत उन्नत है। यहाँ भारतेदु हरिश्चंद्र की कविताएँ हिन्दी भाषा के उत्थान के लिए निरंतर आगे बढ़ती हैं। अर्वाचीन साहित्य में 19वीं सदी के प्रथम चरण में बाइबिल का गुजराती गद्य में अनुवाद प्रकाशित हुआ और डमंड ने 1808 में गुजराती का सर्वप्रथम व्याकरण लिखा। नर्मदा नागर मध्ययुगीन चेतना के अग्रदूत कवि थे। आपका स्थान गुजराती भाषा साहित्य में ठीक वैसा ही रहा जैसा हिन्दी भाषा साहित्य में भारतेदु हरिश्चंद्र का है। इनकी गद्यबद्ध आत्मकथा 'मारा हकीकत' पुराने कवियों की संपादित कृतियों और आलोचनाओं का संग्रह थी। कवि नर्मदा आधुनिक गुजराती काव्य को नए सांचे में डालने वाले पहले कवि थे। हिन्दी आधुनिक काव्य में जिस प्रकार आचार्य हजारी प्रसाद को माना जाता है वही स्थान गुजराती में 'नर्मदा' का है। इस काल में साहित्य के विविध विधाओं का सृजन भी हुआ।



हिन्दी का रोमनीकरण : कितनी सुविधा कितना स्वतंत्र ?

हिन्दी भाषा से यहाँ तात्पर्य उस भाषा से है जिसमें हिन्दी को हिन्दी समझकर उसका उपयोग इस ढंग से किया जाता है या ऐसा करने के लिए जिस भाषा को चुना जाता है। जिससे वह हमारी हिन्दी भाषा लगे। अन्यथा आजकल जो विज्ञापन हम देखते-पढ़ते हैं उनमें जिस हिन्दी भाषा का वे प्रयोग करते हैं वह कौन-सी हिन्दी है ? अभी हाल ही में हिन्दी दिवस के अवसर पर यह पढ़ने-सुनने में आया कि हिन्दी बढ़ रही है। अंग्रेजी चैनल भी हिन्दी का उपयोग कर रहे हैं, पर ध्यान से देखा जाए तो यह हिन्दी हमारी हिन्दी तो नहीं है। यह हमारे वतन की, हमारी मिट्टी की हिन्दी तो नहीं है। इस पर इतना इतराना क्यों ?

एक बानगी देख लीजिए- “हमारा तेल हेल्थी और प्योर रिफाइण्ड ऑयल है। जिसमें फैट भी कम और ट्रांसफैट तो बिलकुल ही नहीं। रेट भी अफॉरडेबल। आज ही परचेज करें। एक किलो के पैकेट के साथ एक पैकेट फ्री।” यह तो उन सैंकड़ों नमूनों में से एक नमूना है। अब एक बानगी और देखिए। जिसे पढ़कर मन दुःखी, आहत, व्यथित और चकित होता है- “मॉनिंग आवर्स के ट्रेफिक को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रेफिक रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो जेन्युइन एफर्ट्स किए हैं वो रोड को प्रोन टू एक्सीडेंट बना रहे हैं, क्योंकि सारे व्हीकल्स यूटर्न लेकर यूनिवर्सिटी की रोड को ब्लॉक कर देते हैं, इसलिए इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होना मस्ट है।”

यदि विज्ञापन और दिशा-निर्देशों की यह हिन्दी भाषा रही तो फिर हिन्दी बचाने के लिए खुद वाग्देवी को ही आना पड़ेगा। बेचारी साधारण जनता यानी सामान्य जन तो इसको जानने-समझने के लिए इसके चारों तरफ चक्कर लगाते-लगाते स्वयं घनचक्कर बन जाएगा। फिर भी उसके पल्ले कुछ पड़ेगा, कम से कम मुझे तो ऐसा नहीं लगता। एक बात और है उसे ऐसी नई हिन्दी सीखने के लिए पहले अंग्रेजी भाषा सीखनी पड़ेगी। वह भी ऐरी-गैरी नहीं, बल्कि आला दरजे की। एक कार्यक्रम में जाना हुआ, वहाँ हिन्दी दिवस मनाया जा रहा था। हिन्दी में रुचि होने से मैं भी उस भीड़ में बैठ गया।

उस उत्सव के मुख्य वक्ता कह रहे थे- “फ्रेण्ड्स, आज हम यहाँ हिन्दी सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको हैपी हिन्दी डे। हमें ऐसे प्रोग्राम बनाकर, प्लानिंग के जरिए इसको इम्प्लीमेंट करना है, ताकि हिन्दी का डवलपमेण्ट हो। इस बार टाइम कम था। नेक्स टाइम इसको और ज्यादा बेहतर ढंग से सेलिब्रेट करेंगे...।”

यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हकीकत है। ऐसा करके हम किसका हित या भला कर रहे हैं ? कम से कम हिन्दी का तो नहीं और नुकसान किसका कर रहे हैं ? हिन्दी का तो क्या नुकसान होगा ? जिसने हजारों वर्षों तक थपेड़े खाए। झंझावत झेले। सुनामियों से मुकाबला किया उसका तो क्या और कितना बिगड़ेगा, इसको एक बार छोड़ ही दें तो नुकसान हम भारतीयों का तो तय है। क्योंकि भाषा के बिना इंसान गूंगा माना जाता है। दुनिया में उसे कोई नहीं पूछता जिसकी अपनी कोई बोली नहीं है, अर्थात् भाषा नहीं है। आज से सौ-सवा सौ वर्ष पहले जो व्यथा और वेदना भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने प्रकट की, हम उसे अभी तक समझ नहीं पाए यह हमारी विडम्बना ही कही जाएगी।

उन्होंने कहा था-

“अंग्रेजी पढ़ि के जदपि, सब गुन होत प्रवीन।
पै निज भाषा ज्ञान बिन, रहत हीन के हीन।।
यह सब भाषा काम की, जबलौ बाहर वास।
घर भीतर नहिं कर सकत, इन सों बुद्धि प्रकाश।।”

आजकल हिन्दी को रोमन लिपि में लिखकर उसकी मूल भावना से ही खिलवाड़ किया जा रहा है। अपनी भाषा को विश्व का सिरमौर सिद्ध करने के लिए उसका गुणगान करते नहीं थकेंगे, पर लोगों तक पहुँचने के लिए हिन्दी आजमाने के प्रयास में रोमन लिपि में हिन्दी का दुरुपयोग करेंगे। कुछ भारतीय जन इसे देखकर एंठे फिरते हैं कि देखो हमारी भाषा हिन्दी का उपयोग हो रहा है। वह बढ़ रही है। यह नहीं समझते कि उसे धीमा ज़हर देकर मारा जा रहा है। अगर सवा सौ करोड़ भारतीयों के दिलों तक पहुँचना है तो नागरी लिपि सीखिए जो बहुत सहज और सरल है। जैसा पढ़ोगे, वैसा सुनोगे। जैसा सुनोगे, वैसा लिखोगे। एकदम शतप्रतिशत वैज्ञानिक भाषा।

संविधान में जो बातें हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए कही गई हैं उनका पालन और क्रियान्वयन तो ईमानदारी से हो, परन्तु दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज हमारे ऊपर बाजार और उपभोग दृष्टि सवार है। अंग्रेजी के बचाव और हिन्दी के विनाश, अंग्रेजी के रक्षण और हिन्दी के भक्षण, अंग्रेजी के भारत में नये भवन निर्माण और हिन्दी की कुटिया के विध्वंस के पीछे स्वाधीनता के शुरूआती दिनों से ही बीमार इच्छाएँ काम करती रही हैं। कुछ मुट्ठी भर पढ़े-लिखे लोगों का स्वार्थ था कि अंग्रेजी बनी रहेगी तो सामान्य वर्ग का बच्चा ऊँची नौकरियों में नहीं आ पाएगा। इसलिए अंग्रेजी की अनिवार्यता कुतर्कों द्वारा सिद्ध की जाती रही। अब तो भारत में चौरफा नाकेबन्दी हो गई है। नेता का बेटा नेता, कलेक्टर का बेटा कलेक्टर या अन्य भारतीय प्रशासनिक सेवा में, सिनेमा के अभिनेता का बेटा अभिनेता ही बनता है। अंग्रेजी को बनाए रखने के पीछे मंशा यही थी कि मजदूर का बेटा मजदूर ही बना रहे और किसान का बेटा किसान। हिन्दी राष्ट्रभाषा या शिक्षा का माध्यम हो जाएगी तो ये अवसर सबके लिए सुलभ हो जाएँगे। अंग्रेजी को एलिट वर्ग ने सुरक्षा कवच बना डाला। “अब यह पासा उलटा भी पढ़ने वाला है। जिस अंग्रेजी के कारण इस वर्ग ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनने में बाधा डाली, हिन्दी तो अब तक राष्ट्रभाषा नहीं हो पायी, लेकिन सामान्य से सामान्य आर्थिक स्थिति वाले परिवार का बच्चा भी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर ऊँचे पदों तक पहुँच रहा है। ऐसी स्थिति में उस वर्ग की सोच को धिक्कार है कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा न बनने देकर उनका स्वार्थ रक्षण भी नहीं हुआ और अपनी भाषा अपने ही घर में पराई हो गई।”

क्या इसको विडम्बना नहीं कहा जाए ? ऐसी ओछी सोच वाले व्यक्तियों पर तरस आता है। ऐसी विकृत सोच के धानी लोगों का हाल क्या हुआ ? यह इस कहावत से सिद्ध हो जाता है- ‘धोबी का कुत्ता न घर का और न घाट का।’ नुकसान ऐसी सोच रखने वालों का भी हुआ और अपनी स्वार्थता से हिन्दी का बंटोधार करवा दिया। ‘पर हम तो डूबेंगे ही रसाले सनम, पर तुमको भी ले डूबेंगे।’ वाली कहावत चरितार्थ कर दी। एक और कहावत है ‘इस स्थिति पर घर तो हमारा



भी जलेगा, परन्तु सुख से चूहे भी न जी पाएँगे।’

हमारे घर-परिवार में हम अपने माँ-बाप की इज्जत, मान, सम्मान और चिन्ता नहीं करेंगे और चाहत रखेंगे कि मुहल्ले वाले हमें पूजेंगे, ऐसा न तो कभी हुआ है और न ही भविष्य में होने वाला है। जब हमारी हिन्दी भाषा अपने ही घर में अपनों से उपेक्षित-पीड़ित बनी बैठी है और हम चाहते हैं कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा कैसे बनेगी ? इतनी सोच और विचार यदि हम में नहीं हैं तो हमारे चिन्तन पर ही प्रश्न खड़ा हो जाता है। अपनी भाषा को राज सिंहासन पर बैठाना, जिसकी वह हकदार है यह कोई एक दिन की बात नहीं है। एक व्यक्ति या एक राजनैतिक पार्टी का जिम्मा नहीं है। यह उन सवा सौ करोड़ लोगों का कार्य ही नहीं, बल्कि नैतिक दायित्व भी है जो इस भारत भूमि में रहते हैं। इसके अन्न-जल का उपयोग कर रहे हैं।

हम भारतीयों की यह एक आदत है कि हम तो कुछ नहीं करेंगे, पर दोष दूसरों पर मढ़ने में एक पल भी नहीं गँवाएँगे। गोस्वामी तुलसीदासजी ने कितना सटीक कहा है-

“पर उपदेश कुशल बहुतेरे। जे आचरंहि ते नर न घनेरे॥”

अर्थात् दूसरों को उपदेश देने के लिए तो यहाँ भीड़ पड़ी है, पर उन पर आचरण करने वालों की संख्या नगण्य ही होती है। यह उक्ति अपने देश के लिए शतप्रतिशत रूप से लागू होती है, पर यह नहीं भूलना चाहिए कि जब हम एक अँगुली दूसरे की तरफ इंगित करते हैं, उस वक्त तीन अँगुलियाँ हमारी तरफ इंगित करती दिखती है।

आज हम यह बखान करते, डींग हाँकते और स्वयं की पीठ हम खुद ही थपथपाते नहीं थकते कि हिन्दी भाषा बोलने वालों की संख्या के आधार पर चीनी के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी भाषा बन गई है। इस बड़ाई की सच्चाई और आईना मेरे पास है- प्रथमतः आज जो हिन्दी में ही बोलते हैं तथा जिनकी भाषा हिन्दी ही है। उन्हें दूसरी भाषा आती ही नहीं। इसमें इजाफा हुआ हो तो बता दीजिए। दूसरी बात है चीन का जनसंख्या पर नियंत्रण। जिसके कारण जनसंख्या नहीं बढ़ने से चीनी भाषा बोलने वालों की संख्या भी नहीं बढ़ रही है, जबकि हमारी जनसंख्या वृद्धि की दर हम सबको पता है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात है कि जो इज्जत, मान, सम्मान और रुतबा चीन की राष्ट्रभाषा मंदारिन को प्राप्त है। क्या, वह सम्मान और रुतबा हमारी हिन्दी भाषा को प्राप्त है ? यही तो मूल बात है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो बात यह है कि उस भाषा को बोलने वाले कितने लोग हैं यह महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है, बल्कि गूढ़ और विचारणीय बात यह है कि उस भाषा को बोलने वाले लोगों में इस भाषा के प्रति अपनी निष्ठा, समर्पण और अनुराग कितना है। जिस दिन यह भावना उन उस भाषा के बोलने वालों में पैदा हो जाएगी तो फिर न उस भाषा का प्रचार करने की आवश्यकता महसूस होगी। न उस भाषा की श्रीवृद्धि हेतु अधिकारी नियुक्त करने की जरूरत अनुभव होगी और न ही उस भाषा का एक दिवसीय उत्सव मनाने की गरज महसूस होगी।

हमें आज़ादी मिले हुए पचहत्तर वर्ष हो गए हैं। जो बहुत अधिक नहीं है तो कम भी नहीं है। हमें देश हित को आगे रखकर इस पर निर्णय लेना है। हिन्दी हमारी है। हम हिन्दी के हैं। हिन्दी आगे बढ़ेगी तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। हम भी आगे बढ़ेंगे। हमारा मान-सम्मान

विश्व में बढ़ेगा। जन-जन का कल्याण होगा। हमारे वतन की एक जनभाषा और सम्पर्क भाषा को राजभाषा की मान्यता मिलेगी तो गर्व से हम सभी का माथा ऊँचा होगा। आपसी सम्पर्क-मेलजोल और समरसता बढ़ेगी। एक अच्छे माहौल का निर्माण होगा।

अब बात आती है कि इसका स्वरूप क्या हो ? इस बात पर विज्ञान और श्रेष्ठजन कह चुके हैं। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमें तो बस हिन्दी चाहिए, जिनमें न तो अंग्रेजी शब्दों और न ही रोमन लिपि में लिपटी हिन्दी हों। हमें वह हिन्दी चाहिए जो हमारी भारतीय भाषाओं के शब्दों से लदी-पदी और समृद्ध हुई हों, जिसमें इस भारत-भू की सौंधी महक आती हों। हमें वह हिन्दी चाहिए जिसमें भारत माँ को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई ने हुंकार भरी थी- “मैं मेरी झाँसी नहीं दूँगी।”

जिसमें लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने अंग्रेजों को चेताया था- “स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे।”

जिसमें सुभाष चन्द्र बोस ने भारत माँ के लाडले सपूतों से आह्वान किया था- “तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा।” जिसमें दयानन्द सरस्वती जी ने सलाह दी थी कि- “हिन्दी ही भारत को एक सूत्र में पिरो सकती है।”

जिसमें महात्मा गांधी ने कहा था- “हिन्दी हमारे हृदय की भाषा है तथा हिन्दुस्तान के लिए देवनागरी लिपि का ही व्यवहार होना चाहिए। रोमन लिपि का व्यवहार यहाँ हो ही नहीं सकता।” मुझे नहीं लगता कि इससे आगे कुछ और कहने की आवश्यकता है।

-माणक तुलसीराम गौड़ (साहित्यकार)

No. 247, II Floor, 9th Main,
Shanti Niketan Layout, Arekere, Bangalore- 560076

पृष्ठ संख्या 32 का शेष

सूचना के प्रचार-प्रसार द्वारा विश्व बंधुत्व की राह प्रशस्त हुई है। यही कारण है कि हिन्दी विश्व की प्रथम भाषाओं में से एक भाषा बन गई है और इंटरनेट के फैलते बाजार ने हिन्दी पत्रकारिता व सूचना प्रसारण को पूरे विश्व में फैला दिया है। विश्व के 175 देशों में हिन्दी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैं। हिन्दी भाषा के समान ही गुजराती भाषा ने अनेक देशों में अपना वर्चस्व बना लिया है। आज यह केवल भारत के गुजरात राज्य में ही नहीं वरन् बांग्लादेश, कनाडा, फिजी, केन्या, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में बोली जाने वाली भाषा बन गई है। हर प्रदेश में इस भाषा को वहाँ के अनुसार बना लिया गया है जैसे मानक गुजराती, काठियावाड़ी, खारुआ, तरीमुखी और अफ्रीकी गुजराती। सभी विश्लेषणों के आधार पर हम देखते हैं कि हिन्दी की सहचरी गुजराती का भी महत्व कम नहीं है। ये दोनों भाषा अपने आप में विलक्षण गुणों की भंडार हैं। हमारे राष्ट्रगान में भी भारत देश की भाषाओं का वर्णन किया गया है- जन-गन-मंगल दायक.....गुजरात-मराठा..... जय हो।

-सुजाता भट्टाचार्या

डी-268, महावीर इन्कलेव
पार्ट-3, दिल्ली-110059



हिन्दी भाषा के संवर्धन में हमारा योगदान

साजे नारी के शीष पर ज्यों बिंदी,
विराजे भारत के शीष पर यूँ हिंदी।

भारत अनेकता में एकता की संस्कृति को संजाए एक अनूठा देश है, जिसमें अनेक जाति, धर्म और भाषा बोलने वाले व्यक्ति रहते हैं। यूँ तो हमारे देश में अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, गुजराती तेलगू, पंजाबी आदि भाषाएँ बोली जाती हैं परंतु हिंदी एक ऐसी भाषा है जो देश के कोने-कोने में बोली जाती है। हिंदी हमारे देश की आत्मा है जो जन-जन के मन में बसी हुई है। किसी भी देश की संस्कृति एवं राष्ट्र के उत्थान में उस देश की भाषा का बहुत अधिक योगदान होता है। भारतेन्दु हरिश्चंद्र ने भारतवासियों को सचेत करते हुए कहा था-

निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल।
बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को शूल।।

भारतीय संस्कृति में हिंदी भाषा और साहित्य ने सभी दिशाओं में देशवासियों को भावनात्मक रूप से जोड़ने का कार्य किया है। आजादी की कठिन और लम्बी लड़ाई के ऐतिहासिक दौर में भी हिंदी भाषा ने संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय चेतना के विस्तार का कार्य किया है। भाषायी विविधता वाले इस महान देश में विभिन्न राज्यों के लोगों के बीच परस्पर संवाद के सहज माध्यम और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी प्रारम्भ से ही प्रचलित है। किसी भी राष्ट्र के बच्चे अच्छी शिक्षा और संस्कार अपनी मातृभाषा से ही प्राप्त करते हैं। भारत में बहुसंख्यक लोग हिंदी या अपनी मातृभाषा में कार्य करते हैं तथा टी.वी. पर अपनी मातृभाषा के कार्यक्रम ही देखना पसंद करते हैं। सरकारी संस्थानों में केवल हिंदी बोलने एवं जानने वालों को नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों के समान अवसर मिल रहे हैं। आज हमारे देश में बैंकों, कार्यालयों, व्यावसायिक संस्थानों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व प्रिंट मीडिया में अधिकाधिक हिंदी का प्रयोग होने लगा है। भाषा व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ती है। अतः हमें अपनी भाषा के प्रति उदार दृष्टिकोण रखना चाहिए-

संप्रेषण और संचार का माध्यम है हिंदी,
जन-जन की बोली में आम है हिंदी।

भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था। राष्ट्रभाषा प्रचार के सभी प्रयत्न गांधी जी के नेतृत्व में ही हुए हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान था। गांधी जी के अनुसार हिंदी लोक व्यवहार, संस्कार, संस्कृति, राजनैतिक और व्यापारिक व्यवहार के आदान-प्रदान की भाषा है। उन्होंने कहा था कि हम गालियां देते हैं कि अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान को गुलाम बना रखा है। जबकि वास्तविकता यह है कि हम खुद ही अंग्रेजी के गुलाम हो गए हैं। अंग्रेजी की इस गुलामी के लिए मैं अंग्रेजों को जिम्मेदार नहीं ठहराती। हम स्वयं अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। उसके अंग्रेजी

बोलने पर हम गर्व से फूले नहीं समाते।
इससे बदतर और दयनीय गुलामी और क्या हो सकती है-

अंग्रेज चले गए पर भारत देश
आज भी अंग्रेजी का गुलाम है।
उच्च शिक्षण संस्थानों में आज,
अंग्रेजी का प्रयोग सरे आम है।



डॉ. संध्या शुक्ल 'मृदुल'

हिंदी भाषा आज हमारे देश ही नहीं वरन् समूचे विश्व की भाषा बन गई है। हिंदी का आंचल इतना विस्तृत है कि वह उसमें अन्य सभी भाषाओं को समेटने की सामर्थ्य रखती है। विदेशों में लोग शौक से हिंदी भाषा सीखने लगे हैं। आज हम गर्व से कह सकते हैं-

हिन्दी भारत की पहचान है,
सिर्फ भाषा नहीं स्वाभिमान है।

अन्य देशों के शिक्षण संस्थानों में भी अब हिंदी सिखाई जाने लगी है। आज हिंदी ने संपूर्ण विश्व में अपने अस्तित्व की गरिमा को बनाए रखा है। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्र के नाम अपने उद्बोधन में कहा था कि हिंदी के प्रसार के लिए हमें इसकी शब्द संपदा में वृद्धि करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हमारी जीवन शैली, परंपराओं और इतिहास में भाषा का विशिष्ट स्थान होता है। भाषा राष्ट्र की अस्मिता और सम्मान का प्रतीक होती है। नवीनतम तकनीक को ध्यान में रखकर ऐसे सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाना चाहिए जो हिंदी के प्रयोग में सहायक हों। राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय स्वाभिमान एवं भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के विकास और संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। हिंदी भावनात्मक रूप से व्यक्तियों को आपस में जोड़ती है। यह विभिन्न राज्यों के बीच परस्पर संवाद और संपर्क भाषा के रूप में कार्य करती है। अतः इसके उत्थान, विकास और प्रचार-प्रसार के लिए हमें दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। हिंदी दिवस मनाना तभी सार्थक होगा जब हम अधिक से अधिक इस भाषा को बोल-चाल एवं साहित्य लेखन में प्रयोग में लाएंगे। हमें व्यवहार में, बोलचाल में, कार्यालयों में, बैंकों में, शैक्षणिक संस्थानों, राजनैतिक क्षेत्रों तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में हिंदी भाषा को प्राथमिकता देनी होगी तभी उसका सच्चा सम्मान होगा। गांधी जी ने कहा था कि जनसमूह हिमालय है और उससे फूटने वाली ओजस्विनी गंगा उस जनसमूह की पावन वाणी हिंदी है जो सदियों से बहती आई है और अनंत काल तक बहती रहेगी-

युगों-युगों तक अमर रहेगी, भारत की शान है ये हिंदी।
सकल विश्व में राज करेगी, भारत का सम्मान है हिंदी।

-डॉ. संध्या शुक्ल 'मृदुल'

लक्ष्मी विला, श्रीराम वार्ड, म.नं-241
मण्डला-481661 (म.प्र.)

भारतीय भाषाओं को कितना खतरा

अंग्रेजों के भारत छोड़ने के 76 वर्ष पश्चात भी भारत में अभी भी उन मुद्दों पर बहस करनी पड़ रही है जो मुद्दे स्वतंत्रता आन्दोलन की अगुवाई कर रहे सेनानी स्वतंत्रता से पहले ही निपटा चुके थे और उन पर स्पष्ट नीतियों का एलान कर चुके थे। इन नीतियों में से एक क्षेत्र भाषा नीति का था। कांग्रेस पार्टी ने 1929 में अपने लाहौर सेशन में ही इस बारे में स्पष्ट एलान किया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में मातृभाषाओं को शिक्षा और प्रशासन का आधार बनाया जाएगा और भारतीय भाषाओं को उच्च स्तरीय कार्यों के लिए सक्षम बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाएँगे। शहीद भगत सिंह तो 15 वर्ष की उम्र में ही यह समझ प्राप्त कर चुके थे और लिख चुके थे कि 'पंजाब में पंजाबी भाषा के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता'। गाँधी जी ने तो 1938 में ही स्पष्ट कहा था कि 'क्षेत्रीय भाषाओं को उनका आधिकारिक स्थान देते हुए शिक्षा का माध्यम हर अवस्था में तुरंत बदला जाना चाहिए।' एक और अवसर पर उन्होंने कहा था कि 'अंग्रेजी भाषा के मोह से निजात पाना स्वाधीनता के सब से जरूरी उद्देश्यों में से एक है'।

स्वतंत्रता के पश्चात कुछ भारतीय भाषाओं के विकास के लिए कुछ प्रयत्न भी हुए और इससे शिक्षा इत्यादि में अच्छे नतीजे भी प्राप्त हुए। पर 1980 के आस-पास इस सारे रुझान को उल्टी दिशा दी जाने लगी। 1990 के बाद से तो अंग्रेजी भाषा ने भारतीय मातृभाषाओं को शिक्षा से बाहर ही निकालना शुरू कर दिया। पिछली सदी के खत्म होने तक ऐसी स्थितियाँ पैदा हो गई कि पंजाबी जैसी पुरातन और विकसित भाषा का अस्तित्व खतरे में पड़ने के बारे में भी चिंता भरे बयान सामने आने लगे। 21वीं सदी के पहले दशक के मध्य ही में समाचार-पत्रों में ऐसे बयान आने लगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की शैक्षिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मामलों से सम्बन्धित एजेन्सी यूनेस्को (UNESCO) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पंजाबी 50 वर्षों में लोप हो जाने वाली है। यूनेस्को ने पंजाबी के बारे में तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, पर यूनेस्को ने कुछ ऐसे मानदंड निर्धारित किए थे जिनके आधार पर किसी भाषा के सम्मुख खतरों के बारे में वैज्ञानिक ढंग से निर्णय किया जा सकता हो। इन मानदंडों के आधार पर ही शायद यह प्रभाव बना था कि पंजाबी भाषा का भविष्य अच्छा नहीं। ऐसे प्रभावों में से पैदा हुए के सामने आने के समय से ही पंजाबी के बारे में यह चर्चा लगातार चल रही है कि पंजाबी भाषा का भविष्य क्या है। भले ही यूनेस्को ने पंजाबी के बारे में ऐसा कोई बयान नहीं दिया पर यह तथ्य अपने-आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि पंजाबी के बारे में ऐसा प्रभाव बन सकता है कि पंजाबी को भी यूनेस्को की लोप होने वाली भाषाओं की सूची से जोड़ा जा सकता हो। यह स्थिति केवल पंजाबी भाषा की ही नहीं है, सभी भारतीय भाषाएँ इस स्थिति से गुजर रही हैं और जीवन के लिए संघर्ष कर रही हैं। इससे भारी शैक्षिक, सांस्कृतिक, और आर्थिक नुकसान हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह भारतीयों के सामने लाना जरूरी हो जाता है कि किसी भाषा की स्थिति के बारे में निर्णय करने

के लिए क्या मानदंड हैं और इन मानदंडों के आधार पर भारतीय भाषाओं की क्या स्थिति है। इस दस्तावेज में किया गया आंकलन उन सभी भारतीय भाषाओं पर लागू होता है जिनका प्रयोग राजभाषाओं के रूप में हो रहा है। जो भारतीय भाषाएँ राजभाषाएँ नहीं हैं उनकी दुर्दशा के बारे में तो बात न करना ही अच्छा होगा। इनमें से बहुत सी तो आखरी सांस ले रही हैं।



डॉ. जोगी सिंह विर्क

किसी भाषा की सबल अथवा कमजोर अवस्था का पता लगाने के लिए यूनेस्को के 2003 में छपे दस्तावेज (भाषीय प्राणशक्ति और खतरे की अवस्था) में निचले 9 कारक दिये गए हैं, जिनके आधार पर किसी भाषा की ताकत अथवा उस पर छाये संकट को आंका जा सकता है:

1. पीढ़ी-दर-पीढ़ी संचार।
2. बोलने वालों की गिनती।
3. कुल आबादी में बोलने वालों का अनुपात।
4. भाषीय प्रयोग के क्षेत्रों में प्रचलन।
5. नए क्षेत्रों और संचार माध्यमों को स्वीकृति।
6. भाषीय शिक्षा और साक्षरता के लिए सामग्री उपलब्ध होना।
7. सरकारों और संस्थानों का भाषा के प्रति रवैया और नीतियां (सरकारी रुतबा और प्रयोग सहित)।
8. भाषीय समूह की ओर से अपनी भाषा के प्रति रवैया।
9. प्रलेखीकरण (Documentation) की किस्म और गुणवत्ता।

यूनेस्को की सम्बन्धित रिपोर्ट के अनुसार किसी भी भाषा पर खतरे को उपर दिए नौ कारकों के आधार और नीचे दिए छः दर्जों में बांटा जा सकता है (देखिए, यूनेस्को 2003:8):

1. लोप होने का कोई खतरा नहीं।
2. लोप होने का खतरा है।
3. लोप होने का गंभीर खतरा है।
4. लोप होने का बहुत गंभीर खतरा है।
5. लोप होने वाली है।
6. लोप हो चुकी है।

यूनेस्को की सम्बन्धित रिपोर्ट के अनुसार किसी भी भाषा को पीछे दिये नौ कारकों में से हर कारक के आधार पर उपर दी गई छः अवस्थाओं में से एक में रखा जा सकता है। सम्बन्धित कारकों और सम्बन्धित अवस्थाओं की अनुसरता का विवरण आगे दिया गया है और इन आधारों पर भारतीय भाषाओं की स्थिति को आंका गया है।

कारक-1: पीढ़ी दर पीढ़ी संचार और भारतीय भाषाएँ

यूनेस्को की रिपोर्ट (2003:7-8) पीढ़ी-दर-पीढ़ी संचार कारक के



आधार पर किसी भाषा की अवस्था को नीचे दी गयी छः अवस्थाओं में से एक निर्धारित करती है (यूनेस्को 2003:7-8):

1) खतरे का स्तर-लोप होने का कोई खतरा नहीं, दर्जा-5, संचार की स्थिति- कोई भी भाषा खतरे से बाहर है यदि सारी पीढ़ियाँ उस का प्रयोग कर रही हैं तथा किसी और भाषा का दखल नहीं है।

1.1) खतरे का स्तर-स्थिर पर भारी दबाव में, दर्जा-4.5, संचार की स्थिति- यह वह अवस्था है जब सारी पीढ़ियाँ सारे क्षेत्रों में सम्बन्धित भाषा का प्रयोग करती हैं पर कोई और भाषा कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को हथिया चुकी है।

2) खतरे का स्तर-लोप होने का खतरा है, दर्जा-4, संचार की स्थिति- समूह के ज्यादा बच्चे अथवा परिवार सम्बन्धित भाषा पहली भाषा के तौर पर बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते, पर यह प्रयोग कुछ विशिष्ट सामाजिक घेरो तक सीमित हो जाता है (जैसेकि परिवार में)।

3) खतरे का स्तर-लोप होने का गंभीर खतरा, दर्जा-3, संचार की स्थिति- बच्चे घर में अपनी भाषा सीखना बंद कर चुके हैं। सिर्फ माँ-बाप ही अपनी भाषा बोलते हैं पर जरूरी नहीं कि बच्चे अपनी भाषा में ही जवाब दें।

4) खतरे का स्तर-लोप होने का बहुत गंभीर खतरा है, दर्जा-2, संचार की स्थिति- दादा-दादी और वृद्ध पीढ़ी ही भाषा बोलती है। माँ-बाप की पीढ़ी अपनी भाषा समझती तो है पर बच्चों से इस में बात नहीं करती।

5) खतरे का स्तर-लोप होने वाला है, दर्जा-1, संचार की स्थिति- अपनी भाषा का सबसे छोटी उम्र की व्यक्ति परदादा-परदादा ही है। उन को अपनी भाषा कुछ याद तो है पर इसका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि कोई है ही नहीं जिस से वह बोल सकें।

6) खतरे का स्तर-लोप हो चुका है, दर्जा-0, संचार की स्थिति- एक भी व्यक्ति नहीं है जो अपनी भाषा बोल अथवा समझ पाता है।

भारत में अलग-अलग भौगोलिक भाषीय प्रसंगों में रह रहे भारतीयों को दो वर्गों में बँटा जा सकता है:

1. सम्बन्धित भाषाई प्रदेश के निवासी।
2. सम्बन्धित भाषाई प्रदेश से बाहर के निवासी। पर एक बात इन दोनों वर्गों के भारतीयों में समान है कि इन दोनों ही वर्गों के बच्चों के जीवन में कोई और प्रभुत्वशाली भाषा मात्रा की हिसाब से कम या ज्यादा दखल दे चुकी है। सम्बन्धित भाषाई प्रदेशों से बाहर युवा पीढ़ी में मातृभाषाओं का प्रयोग गैर-औपचारिक क्षेत्रों में ही हो रहा है। सम्बन्धित प्रदेशों में भारतीय भाषाओं का पीढ़ी-दर-पीढ़ी संचार अच्छा जरूर है पर आदर्श रूप में यहाँ भी नहीं। बहुत क्षेत्र है जहाँ सम्बन्धित भाषा का प्रयोग नहीं हो रहा अथवा कम हो रहा है। इनमें सबसे बड़ा क्षेत्र स्कूली शिक्षा का है। प्रभुत्वशाली वर्ग के लगभग

सारे बच्चे प्रारंभिक स्तर से ही अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में जा रहे हैं। इन विद्यालयों में भारतीय भाषाएँ विषय के रूप में अधूरे से ढंग से ही पढ़ाई जा रही हैं। जैसेकि लेखक पहले ही अपने एक लेख में दर्ज कर चुका है, इन विद्यालयों में से निकल रहे बच्चों को भारतीय भाषी बच्चे कहना भी उचित नहीं है क्योंकि स्कूली शिक्षा खत्म करने के बाद इन बच्चों की भाषीय क्षमता किसी भारतीय भाषा से अंग्रेजी भाषा में बेहतर होती है (यह अलग बात है कि वह भी सीमित सी ही है)। अतः अगली पीढ़ी में भारतीय भाषाओं का सफल संचार बड़े दबावों में है।

कारक-2 : बोलने वालों की गिनती:

ऐसी कोई निर्धारित गिनती नहीं है जिसके आधार पर किसी भाषा को खत्म होने के खतरे से रिक्त समझा जाए। यह जरूर है कि बोलने वालों की बड़ी गिनती किसी भाषा के जीवन को खतरा कम करती है। भारतीय भाषाओं के प्रसंग में देखा जाए तो भारत की राजभाषाएँ दुनिया की बड़ी भाषाओं में है। अतः बोलने वालों की गिनती भारतीय भाषाओं की बहुत बड़ी ताकत है।

कारक-3 : कुल भाषीय आबादी में बोलने वालों की गिनती का अनुपात

किसी समूह की कुल आबादी में कितने लोग अपनी भाषा बोलते हैं यह किसी भाषा की प्राणशक्ति का बड़ा संकेत देता है। (यूनेस्को 2003:9):

- 1) खतरे का स्तर-कोई खतरा नहीं, दर्जा-5, कुल सम्बन्धित आबादी में बोलने वालों का अनुपात- सभी अपनी भाषा बोलते हैं।
- 2) खतरे का स्तर-खतरा है, दर्जा-4, कुल सम्बन्धित आबादी में बोलने वालों का अनुपात- लगभग सभी अपनी भाषा बोलते हैं।
- 3) खतरे का स्तर-गंभीर खतरा है, दर्जा-3, कुल सम्बन्धित आबादी में बोलने वालों का अनुपात- बहुमत अपनी भाषा बोलता है।
- 4) खतरे का स्तर-बहुत गंभीर खतरा है, दर्जा-2, कुल सम्बन्धित आबादी में बोलने वालों का अनुपात- अल्पमत अपनी भाषा बोलता है।
- 5) खतरे का स्तर-लोप होने वाला है, दर्जा-1, कुल सम्बन्धित आबादी में बोलने वालों का अनुपात- बहुत कम अपनी भाषा बोलते हैं।
- 6) खतरे का स्तर-लोप हो चुका है, दर्जा-0, कुल सम्बन्धित आबादी में बोलने वालों का अनुपात- बोलने वाला कोई भी नहीं रहा।

उपरोक्त पैमाने पर भारतीय राजभाषाओं का दर्जा निश्चित रूप में तो एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण के बाद ही अंकित किया जा सकता है, पर प्रभावी रूप से इनकी स्थिति 4 और 3 दर्जे के बीच की लगती है।



कारक-4 : भाषीय प्रयोग के क्षेत्रों में प्रचलन

यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार यह स्थितियाँ इस तरह की हो सकती हैं (यूनेस्को 2003:10):

- 1) खतरे का स्तर-सर्वव्यापक प्रयोग, दर्जा-5, भाषीय क्षेत्र और भाषीय कार्य- भाषा का प्रयोग सभी क्षेत्रों और सभी कार्यों के लिए होता है।
- 2) खतरे का स्तर-बहुभाषी समानता, दर्जा-4, भाषीय क्षेत्र और भाषीय कार्य- ज्यादा सामाजिक क्षेत्रों और ज्यादा कार्यों के लिए एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग होता है।
- 3) खतरे का स्तर-लोप हो रहे क्षेत्र, दर्जा-3, भाषीय क्षेत्र और भाषीय कार्य- भाषा का प्रयोग पारिवारिक क्षेत्रों और बहुत कार्यों के लिए होता है, पर प्रभुत्वशाली भाषा पारिवारिक क्षेत्रों में भी दखल देने लगी है।
- 4) खतरे का स्तर-सीमित और गैर-औपचारिक क्षेत्र, दर्जा-2, भाषीय क्षेत्र और भाषीय कार्य- भाषा का प्रयोग बहुत ही सीमित सामाजिक क्षेत्रों और कई कार्यों के लिए होता है।
- 5) खतरे का स्तर-बहुत ही सीमित क्षेत्र, दर्जा-1, भाषीय क्षेत्र और भाषीय कार्य- भाषा का प्रयोग बहुत ही सीमित क्षेत्रों में और कुछ ही कार्यों के ही लिए होता है।
- 6) खतरे का स्तर-खत्म हो चुका, दर्जा-0, भाषीय क्षेत्र और भाषीय कार्य- भाषा का प्रयोग किसी भी क्षेत्र में और किसी भी कार्य के लिए नहीं होता।

ज्यादा विस्तार में जाने बिना ही कहा जा सकता है कि भाषीय प्रयोग के सारे क्षेत्रों में भारतीय भाषाओं के प्रचलन के आधार पर भारतीय भाषाएँ दर्जा 3 पर आकर खड़ी हो गई हैं, क्योंकि सम्बन्धित भाषीय प्रदेशों में भी पारिवारिक क्षेत्रों में हिन्दी और अंग्रेजी का दखल बढ़ रहा है। यदि भाषीय प्रदेशोंकी यह अवस्था है जहाँ भारतीय भाषाएँ बाकी भूगोलिक क्षेत्रों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है तो दूसरे भूगोलिक क्षेत्रों में तो स्थिति और भी चिंतातुर होगी।

कारक-5 : नये क्षेत्रों और संचार माध्यमों को स्वीकृति

नीचे दी गई सारणी यूनेस्को की रिपोर्ट को रूपमान करती है (यूनेस्को2003:11)। नये क्षेत्रों से भाव टेलीविजन, इंटरनेट इत्यादि से है।

- 1) खतरे का स्तर-विकासशील, दर्जा-5, नए क्षेत्रों और संचार माध्यमों में प्रयोग- भाषा का प्रयोग सभी नए क्षेत्रों में होता है।
- 2) खतरे का स्तर-बलवान/सक्रिय, दर्जा-4, नए क्षेत्रों और संचार माध्यमों में प्रयोग- भाषा का प्रयोग लगभग सभी नए क्षेत्रों में होता है।
- 3) खतरे का स्तर-ग्रहणशील, दर्जा-3, नए क्षेत्रों और संचार माध्यमों में प्रयोग- भाषा का प्रयोग काफी नए क्षेत्रों में होता है।

4) खतरे का स्तर-मुकाबला कर रही है, दर्जा-2, नए क्षेत्रों और संचार माध्यमों में प्रयोग- भाषा का प्रयोग कुछ नए क्षेत्रों में होता है।

5) खतरे का स्तर-बहुत ही कम, दर्जा-1, नए क्षेत्रों और संचार माध्यमों में प्रयोग- भाषा का प्रयोग केवल कुछ ही नए क्षेत्रों में होता है।

6) खतरे का स्तर-निष्क्रिय, दर्जा-0, नए क्षेत्रों और संचार माध्यमों में प्रयोग- भाषा का प्रयोग किसी भी नए क्षेत्र में नहीं होता।

यह सही है कि भारतीय राजभाषाओं का प्रयोग हर नये क्षेत्र में हो रहा है, पर यहाँ भी दूसरी भाषाएँ (हिन्दी भाषी क्षेत्रों में अंग्रेजी और गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों) मातृभाषाओं से अभी ज्यादा प्रयोग में है, इसलिए स्थिति यहाँ भी आदर्श नहीं है।

कारक-6 : भाषीय शिक्षा और साक्षरता के लिए सामग्री

सम्बन्धित रिपोर्ट के अनुसार भाषीय प्राणशक्ति के लिए उस भाषा के द्वारा शिक्षा का होना आवश्यक है (पृष्ठ12) भाषीय शिक्षा और साक्षरता के कारक के आधार पर यूनेस्को की रिपोर्ट किसी भाषा की ताकत को आंकने के लिए निम्न लिखित सारणी देता है:

- 1) दर्जा-5, लिखित सामग्री की मौजूदगी- भाषा की कोई स्थापित लिपि और साहित्यिक परंपरा है और व्याकरणों, शब्द कोषों, पुस्तकों, साहित्य और दैनिक संचार माध्यम का स्रोत हासिल है। भाषीय लिखावटों का प्रशासन और शिक्षा में प्रयोग हो रहा है।
- 2) दर्जा-4, लिखित सामग्री की मौजूदगी- लिखित सामग्री हासिल है और बच्चे विद्यालयों में भाषा में साक्षरता हासिल कर रहे हैं। प्रशासन में भाषा का प्रयोग नहीं होता।
- 3) दर्जा-3, लिखित सामग्री की मौजूदगी- लिखित सामग्री प्राप्त है और हो सकता है कि बच्चे विद्यालय में भाषा साक्षरता हासिल कर रहे हैं। प्रकाशन माध्यम के द्वारा साक्षरता का विकास नहीं किया जा रहा।
- 4) दर्जा-2, लिखित सामग्री की मौजूदगी- लिखित सामग्री की मौजूदगी है पर समूह के कुछ सदस्यों के लिए इसका प्रयोग सक्षम नहीं है। दूसरों के लिए इस का अस्तित्व प्रतीक मात्र है। सम्बन्धित भाषा में साक्षरता शिक्षा विद्यालय का हिस्सा नहीं है।

भारतीय भाषाओं की स्थिति दर्जा-5 और 4 के बीच की है क्यों किये न तो सारे विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम है और न ही प्रशासन में मुकम्मल तौर पर इन का प्रयोग हो रहा है।

कारक-7 : सरकारों और संस्थानों का भाषा के प्रति व्यवहार और नीतियाँ, सरकारी रुतबा और प्रयोग सहित

सरकारी और संस्थागत व्यवहार और नीतियों के आधार पर निम्न सारणी किसी भाषा की जीवनशक्ति का अक्स पेश करती है:

- 1) संरक्षण का स्तर-सभी भाषाओं को बराबर संरक्षण, दर्जा-5, भाषा की तरफ सरकारी व्यवहार-सब भाषाओं को संरक्षण हासिल है।



2) संरक्षण का स्तर-संरक्षण बराबर नहीं, दर्जा-4, भाषा की तरफ सरकारी व्यवहार- अल्पसंख्यक भाषाओं की गैर-औपचारिक क्षेत्रों में भी रक्षा हो रही है। सम्बन्धित भाषा के प्रयोग को सम्मान हासिल है।

3) संरक्षण का स्तर-चुपचाप आत्मसात, दर्जा-3, भाषा की तरफ सरकारी व्यवहार- अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए प्रत्यक्ष नीति का अभाव है। औपचारिक क्षेत्रों में प्रभुत्वशाली भाषा का कब्जा।

4) संरक्षण का स्तर-क्रियाशील आत्मसात, दर्जा-2, भाषा की तरफ सरकारी व्यवहार- सरकार की ओर से भाषा के प्रभुत्वशाली भाषा में आत्मसात होने को उत्साहित किया जाता है। अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए कोई संरक्षण नहीं है।

5) संरक्षण का स्तर-बलपूर्वक आत्मसात, दर्जा-1, भाषा की तरफ सरकारी व्यवहार- प्रभुत्वशाली भाषा अकेली ही सरकारी भाषा है, जबकि गैर-सरकारी भाषाओं को ना तो मानता है और ना ही संरक्षण।

6) संरक्षण का स्तर-वर्जित, दर्जा-0, भाषा की तरफ सरकारी व्यवहार- अल्पसंख्यक भाषाएँ वर्जित हैं।

भारतीय भाषाओं के प्रति सरकारी क्षेत्रों का व्यवहार कोई उत्साहजनक नहीं है। सरकारी कार्यालयों और संस्थाओं में राजभाषाओं के प्रयोग के लिए कानून बन जाने के बावजूद भी इन को ईमानदारी से लागू कराने के कोई प्रयत्न नहीं किये जा रहे। यदि कोई हिलजुल होती भी है तो बस जन दबाव के कारण। पंजाब में घटी एक घृणित घटना (जिसका समाचार पत्रों में विवरण दिया गया था) का जिक्र स्थिति को समझने में सहायता करेगा। पिछले दिनों पंजाब विधान सभा में प्रतिद्वंदी पक्ष(कांग्रेस पार्टी) के नेता माननीय सुनील जाखड़ जी ने अंग्रेजी में बोलना शुरू किया तो एक माननीय सदस्य ने उनको पंजाबी में बोलने की ताकीद की। श्री सुनील जाखड़ जी का जवाब था कि विधान सभा में बैठे सदस्य अंग्रेजी समझ सकते हैं। पंजाब विधान सभा के सारे सदस्यों की अंग्रेजी भाषा में क्षमता कितनी ही है, इस सवाल पर जाने की तो हमें आवश्यकता नहीं है, पर श्री सुनील जाखड़ जी को यह पूछना बनता है कि पंजाब विधान सभा की बैठक में बात पंजाबी में बेहतर समझाई जा सकती है अथवा अंग्रेजी में (लगता है कि सुनील जाखड़ जी समझ और राष्ट्रीय आत्मसम्मान का क्रिया-कर्म करके पंजाब विधान सभा के उस समागम में दाखिल हुए थे)। खैर ! यह घटना भारत में भारतीय भाषाओं की तरफ पूरे राजनैतिक और सरकारी व्यवहार का सबूत है।

जहाँ तक सरकारी नीतियों का सवाल है, कुछ भारतीय भाषाएँ राज्यों की राजभाषाएँ तो हैं, पर शिक्षा, प्रशासन और सरकारी क्षेत्रों में अंग्रेजी भाषा का दखल तबाहकून ढंग से जारी है। ताकतवर वर्ग के सब बच्चे अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में जा रहे हैं और सरकारी विद्यालयों में शिक्षण का लगभग अन्त हो चुका है। इस प्रकार, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि भारत के विद्यालयों में भारतीय भाषाओं के उल्लेखनीय प्रशिक्षण का लगभग अन्त हो चुका

है। इस चलन के परिणाम लगभग सामने हैं। भारत की वर्तमान युवा पीढ़ी में से भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय निपुणता लगभग खत्म हो चुकी है। इसके शिक्षा, ज्ञान, संस्कृति, साहित्य, संचार तथा और क्षेत्रों के लिए भीषण परिणाम उन को नजर आ रहे हैं जो देख सकते हैं, और वे विलाप भी कर रहे हैं। मातृभाषा के अच्छे प्रशिक्षण और निपुणता के बिना दूसरी अथवा विदेशी भाषा भी सफलता से नहीं सीखी जा सकती, इसलिए यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि वर्तमान में तैयार की जा रही भारतीय पीढ़ी भाषीय विकलांगों की पीढ़ी कहलाएगी, क्योंकि इसको किसी भाषा में भी उल्लेखनीय निपुणता हासिल नहीं होगी। जहाँ तक सरकारी व्यवहार और नीतियों को अंक देने का सवाल है, यह कहना बनता है कि सरकारी नीतियों में भारतीय भाषाओं को संरक्षण आदर्श रूप में चाहे हासिल नहीं पर हासिल तो है, परन्तु सरकारी व्यवहार के कारण यह नीतियाँ उचित तरह से चलन में नहीं आ रहीं। इस प्रकार, भारतीय भाषाओं की भारत में भी स्थिति 3 और 4 अंकों के बीच की ही है। यहाँ यह भी बात याद रखने वाली है कि उच्च शिक्षा में विज्ञान, तकनीकी विषयों और पेशेवर कोर्सों में भारतीय भाषाओं का माध्यम के तौर पर पूर्ण अभाव है।

कारक-8 : भाषा समूह का भाषा के प्रति व्यवहार

भाषा क्योंकि एक मानवीय व्यवहार है, इसलिए किसी भाषा समूह का अपनी भाषा के प्रति व्यवहार और प्रयत्न उस भाषा का जीवन, क्षमता, ताकत, प्रसार और विकास में निर्णायक रोल अदा करते हैं। यह कहना सच्चाई से दूर नहीं कि किसी भाषा की बाकी क्षेत्रों में स्थिति के लिए उस भाषा समूह का अपनी भाषा के प्रति व्यवहार फैसला अनुकूल रोल अदा करता है। किसी भाषा समूह के व्यवहार को यूनेस्को की रिपोर्ट नीचे दिए वर्गों में बँटती है (यूनेस्को 2003:15)

- 1) दर्जा-5, भाषा समूह का भाषा के प्रति व्यवहार- सारे व्यक्ति अपनी भाषा का आदर करते हैं और इस की उन्नति देखना चाहते हैं।
- 2) दर्जा-4, भाषा समूह का भाषा के प्रति व्यवहार- ज्यादा व्यक्ति अपनी भाषा बरकरार रखने की हिमायत करते हैं।
- 3) दर्जा-3, भाषा समूह का भाषा के प्रति व्यवहार- बहुत व्यक्ति अपनी भाषा बरकरार रखने की हिमायत करते हैं; बाकी या तो बेपरवाह हैं या अपनी भाषा की समाप्ति तक की हिमायत कर सकते हैं।
- 4) दर्जा-2, भाषा समूह का भाषा के प्रति व्यवहार- कुछ ही व्यक्ति अपनी भाषा बरकरार रखने की हिमायत करते हैं; बाकी या बेपरवाह है या अपनी भाषा की समाप्ति तक की हिमायत कर सकते हैं।
- 5) दर्जा-1, भाषा समूह का भाषा के प्रति व्यवहार- केवल इक्का-दुक्का व्यक्ति ही अपनी भाषा बरकरार रखने की हिमायत करते हैं; बाकी या बेपरवाह है या अपनी भाषा की समाप्ति तक ही हिमायत कर सकते हैं।



6) दर्जा-0, भाषा समूह का भाषा के प्रति व्यवहार- कोई भी अपनी भाषा के खत्म होने की परवाह नहीं करता; सभी प्रभुत्वशाली भाषा के प्रयोग को पहल देते हैं।

यह बहुत फिक्र वाली बात है कि उपरोक्त कारक, जो कारक भाषा के जीवन और विकास के लिए सब से महत्वपूर्ण है, उस पक्ष से भी भारतीय भाषाओं की अवस्था उत्साह पैदा करने वाली नहीं है। भारतीयों के अपनी भाषाओं के प्रति रवैये को देखें तो बड़ी चिंता के कारण हैं। सत्ता, समाज और आर्थिक ढांचे में प्रभुत्वशाली वर्ग की भाषा ही प्रभुत्वशाली भाषा होती है और जनसाधारण उसी भाषा को सम्मानित भाषा समझता है। भारत का ताकतवर वर्ग ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी और किसी हद तक हिन्दी की तरफ खिंचा जा रहा है। अंग्रेजी की ओर खिंचे जाने का बड़ा कारण ताकतवर वर्ग का स्वार्थ है जो अंग्रेजी भाषा के द्वारा शिक्षा, सत्ता और आर्थिकता के सभी क्षेत्रों में अपनी धौंस कायम रखना चाहता है। चेतना की कमी के कारण जनसाधारण प्रभुत्वशाली वर्ग की सत्ता और समृद्धि का एक कारण अंग्रेजी भाषा को समझे बैठा है। प्रभुत्वशाली वर्ग के स्वार्थ के साथ-साथ राजकीय और प्रशासनिक क्षेत्रों में भाषा नीति के प्रति अज्ञानता भी पौष महीने की अमावस की आधी रात के घोर अँधेरे की तरह छाई हुई है। नतीजे के तौर पर भारतीयों का अपनी भाषाओं के प्रति रवैया, कुछ चेतन्न क्षेत्रों को छोड़ कर, निराशा पैदा करने वाला ही है। सो, भारतीय भाषाओं की तरक्की की इच्छा रखते हुए भी, भारतीय आबादी अपनी भाषाओं के जीवन और विकास के लिए हिमायती सरगर्मियों में ज्यादा हिस्सा नहीं लेती। इससे भी ज्यादा चिंता वाली बात यह है कि भारत का जनसाधारण भी अंग्रेजी और हिन्दी को मातृभाषाओं से ज्यादा सम्मानित भाषाएँ होने की अभिकल्पना किये बैठा है और भारत में परिवारों में भी अंग्रेजी और हिन्दी बोलने का रिवाज वृद्धि की दिशा में है (हिन्दी का जिक्र गैर-हिन्दी भाषा क्षेत्रों के लिए किया जा रहा है)। अंग्रेजी भाषी विद्यालयों में बच्चों को भारतीय भाषाएँ बोलने की इजाजत न होने का तथ्य तो हर कोई जानता ही है। अतः भारतीयों का अपनी भाषाओं के प्रति रवैया 3-4 अंकों की मध्य स्थिति में ही है।

कारक-9 : प्रलेखीकरण की किस्म और गुणवत्ता

भाषा के जीवन और विकास के लिए लिखित सामग्री की मात्रा, किस्म और गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। इस आधार पर यूनेस्को की रिपोर्ट भाषाओं की अवस्था को निचले पाँच वर्गों में बाँटती है (यूनेस्को 2003:16)

1) प्रलेखीकरण का स्तर (उत्तम), दर्जा-, भाषा प्रलेखीकरण- बड़े कोश और व्याकरणों और विस्तृत पठन-सामग्री हासिल है और भाषा सामग्री लगातार पैदा हो रही है। उच्च दर्जे के और बड़े स्तर पर श्रवणीय और दर्शनीय स्रोत विवरण सहित हासिल हैं।

2) प्रलेखीकरण का स्तर (अच्छा), दर्जा-4, भाषा प्रलेखीकरण-

एक अच्छा व्याकरण हासिल है; अपेक्षित व्याकरण, कोश, पठन-सामग्री और साहित्य हासिल हैं; दैनिक संचार माध्यम के स्रोत मौजूद हैं, और उच्च दर्जे के और बड़े स्तर पर श्रवणीय और दर्शनीय स्रोत विवरण सहित हासिल है।

3) प्रलेखीकरण का स्तर (संतोषजनक), दर्जा-3, भाषा प्रलेखीकरण- एक अपेक्षित अथवा कई आम व्याकरण, कोश और पठन-सामग्री हासिल हैं, पर दैनिक संचार माध्यम हासिल नहीं हैं; कमोबेश गुणवत्ता वाला और कमोबेश विवरण सहित श्रवणीय और दर्शनीय स्रोत हासिल हो सकते हैं।

4) प्रलेखीकरण का स्तर (मामूली), दर्जा-2, भाषा प्रलेखीकरण- कुछ व्याकरणिक रूप-रेखाएँ, शब्द-सूचियाँ और पठन-सामग्री हासिल हैं जो सीमित से भाषा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए काम आ सकती हैं, पर इन का क्षेत्र सीमित है। कमोबेश गुणवत्ता वाले (विवरण सहित अथवा विवरण से बिना) श्रवणीय और दर्शनीय स्रोत हासिल हैं।

5) प्रलेखीकरण का स्तर (नाकाफी), दर्जा-1, भाषा प्रलेखीकरण- केवल कुछ ही व्याकरणिक रूप-रेखाएँ, संक्षिप्त शब्द-सूचियाँ और टूटी-फूटी पठन-सामग्री हासिल है। श्रवणीय और दर्शनीय स्रोत या तो हासिल नहीं या अनुपयोगी हैं अथवा कोई विवरण नहीं दिये गये।

6) प्रलेखीकरण का स्तर (कोई प्रलेखीकरण नहीं), दर्जा-0, भाषा प्रलेखीकरण- किसी सामग्री का अस्तित्व नहीं है।

और कारकों के मुकाबले प्रलेखीकरण के नजरिये से भारतीय राजभाषाओं की स्थिति उत्साह देने वाली है। पंजाबी भाषा में बड़ी मात्रा में हवाला सामग्री, पठन-सामग्री और कला सामग्री हासिल है। इनका स्तर चाहे दुनिया की ज्यादा प्रचलित भाषाओं अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन इत्यादि के स्तर का तो नहीं है, पर यह सामग्री भारतीयों की भाषा प्रयोग की आवश्यकताएँ पूरी कर सकती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी इत्यादि की वरिष्ठ शिक्षा के लिए सामग्री की कमी जरूर है पर यह सामग्री बहुत कम प्रयत्नों से पैदा की जा सकती है, और इस के लिए आधार मौजूद हैं। सामग्री की मौजूदगी के आधार पर भारतीय भाषाओं की अवस्था 4 और 5 अंकों के दरम्यान रखी जा सकती है।

निचोड़: भाषा सामाजिक व्यवहार है, इसलिए भाषीय मसलों को गणितक रूप में पेश करना कठिन है। पर नीचे दी गई सारणी भारतीय भाषाओं की स्थिति को समझने में जरूर मदद कर सकती है (सारे अंक कुल 5 अंकों में से हैं):

कारक :

1) पीढ़ी दर पीढ़ी संचार : प्रदेश के अन्दर संभावित अंक-4, प्रदेश के बाहर संभावित अंक-2

2) बोलने वालों की गिनती : प्रदेश के अन्दर संभावित अंक-5, प्रदेश के बाहर संभावित अंक-3



- 3) कुल आबादी में बोलने वालों का अनुपात : प्रदेश के अन्दर संभावित अंक-4, प्रदेश के बाहर संभावित अंक-2
- 4) भाषीय प्रयोग के क्षेत्रों में प्रचलन : प्रदेश के अन्दर संभावित अंक-3, प्रदेश के बाहर संभावित अंक-2
- 5) नए क्षेत्रों और संचार माध्यमों को स्वीकृति : प्रदेश के अन्दर संभावित अंक-3.5, प्रदेश के बाहर संभावित अंक-2
- 6) भाषीय शिक्षा और साक्षरता के लिए हासिल सामग्री : प्रदेश के अन्दर संभावित अंक-4.5, प्रदेश के बाहर संभावित अंक-2
- 7) सरकारों और संस्थानों का भाषा के प्रति व्यवहार और नीतियाँ : प्रदेश के अन्दर संभावित अंक-3.5, प्रदेश के बाहर संभावित अंक-2
- 8) प्रलेखीकरण की किस्म और गुणवत्ता : प्रदेश के अन्दर संभावित अंक-4.5, प्रदेश के बाहर संभावित अंक-3
- 9) भाषीय समूह का भाषीय व्यवहार : प्रदेश के अन्दर संभावित अंक-3.5, प्रदेश के बाहर संभावित अंक-3
- कुल जोड़ : $9 \times 5 = 45$ में से- प्रदेश के अन्दर संभावित अंक-35.5, प्रदेश के बाहर संभावित अंक-20

भारतीय भाषाओं का भविष्य : भारतीय भाषाओं को प्यार करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह आँकड़े बहुत डर पैदा करने वाले हैं क्योंकि पूरी तरह सुरक्षित वही भाषा ही कही जा सकती है जो 45 में से 45 अंक प्राप्त करती हो, या इस आँकड़े के करीब हो। यहाँ यह सवाल किया जा सकता है कि यदि भारतीय भाषाएँ सदियों से कायम है तो भविष्य में इन्हें इतना बड़ा खतरा क्यों है ? ऐसे सवाल का जवाब इन पंक्तियों का लेखक अपने एक लेख में पहले भी पंजाबी भाषा के सन्दर्भ में दे चुका है। यहाँ वह जवाब ही दुहराया जा रहा है। भारतीय उप-महाद्वीप की स्वतंत्रता के बाद की भाषिक स्थिति पहले समय से बदल गयी है। शिक्षा, प्रशासन और संचार माध्यमों के सीमित प्रसार के कारण स्वतंत्रता से पहले भारतीय उप-महाद्वीप की लगभग समूह आबादी अपनी मातृभाषाओं के भाषिक प्रसंग में ही विचरती थी। पर स्वतंत्रता के पश्चात स्कूली शिक्षा, प्रशासन और संचार माध्यमों का बड़ा प्रसार हुआ है, और इस प्रसार से भारतीय आबादी का गैर-भारतीय भाषाओं से बहुत बड़े स्तर पर पाला पड़ा है। और, बदकिस्मती से, इन दूसरी भाषाओं को सरकार की ओर से मातृभाषाओं से कहीं बड़ा संरक्षण हासिल है। भारत में 80 के दशक तक अवस्था कुछ अच्छी थी। पर 80के पश्चात प्रभुत्वशाली वर्ग की अक्ल (और नीयत) भ्रष्ट हो गयी है। मातृभाषा और शिक्षा के बारे में दुनिया के किसी भी विशेषज्ञ का एक भी शब्द अपने कानों में और आँखों में न पड़ने देने की इसने कसम खाई हुई लगती है। परिणामस्वरूप भारतीय भाषाओं को शैक्षिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक तथा दूसरे क्षेत्रों से बाहर निकाल फेंकने के लिए यह वर्ग कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा। यह बात बुरी लग सकती है, पर

सत्य यही है कि भारतीय उप-महाद्वीप की मातृभाषाओं की जो दुर्दशा स्वतंत्रता के बाद हुई है वह पहले कभी भी नहीं हुई थी। विदेशी भाषा अंग्रेजी को हर क्षेत्र में ऊँचा दर्जा दिये जाने के कारण जनसाधारण को अपनी भाषाओं की शक्ति पर भी संदिग्धता होने लगी है और भाषाई दिमागी गुलामी स्वतंत्रता से पहले से भी गहरी हो गयी है। जन साधारण प्रभुत्वशाली वर्ग का ही अनुगामी होता है और प्रभुत्वशाली वर्ग का यह हाल है कि यदि इसका वश चले तो यह शायद अपने पूर्वजों के नाम भी इस प्रकार बदल लें कि वह अंग्रेज लगने लगें। इन बदली हुई अवस्थाओं के कारण ही भारतीय उप-महाद्वीप की वर्तमान मातृभाषाएँ पहले तो सदियों से जीवित और पनपती रही हैं, पर अब उनको अंग्रेजी (और हिन्दी) के गैस चैम्बरों में डाल दिया गया है और इनका लोप हो जाने का खतरा हकीकत बन गया है। प्रिय भारतीयों! क्या स्वतंत्रता इसी के लिए थी? यह भी कई बार सुनने को मिलता है कि जिन भाषाओं में महान ग्रन्थ और रचनाएँ विद्यमान हो या जिनमें ऋषियों-मुनियों का संदेश दर्ज हो वह भाषा कभी नहीं मर सकती। यह आशा अच्छी है और सहारा बड़ा है, पर यह नहीं भूलना चाहिए कि वेद, उपनिषद् और पुराण संस्कृत में रचे गए थे। पर फिर भी संस्कृत केवल किताबों में ही पड़ी मिलती है, जिनको बहुत ही कम व्यक्ति पढ़ सकते हैं। बौद्ध ग्रन्थ पाली में लिखे गए थे पर पाली कहाँ है? बाईबल हिब्रू में रची गई थी पर हिब्रू को भारी सरकारी प्रयत्नों के बाद ही जिन्दा किया जा सका है। सारे यूरोप की ज्ञान की भाषा लातीनी थी, जिसका ज्यादा लोग तो अब नाम भी नहीं जानते। कोई विकास दरों का वकील यह सवाल भी कर सकता है कि आखिर मातृभाषाओं को बचाने का लाभ ही क्या है? वैसे तो यह सवाल ऐसा ही है जैसे किसी की माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ी हो और पूछा जाए कि आखिर उसे बचाने का क्या आर्थिक लाभ है; पर फिर भी सवाल तो सवाल ही है, चाहे कितना भी बेहूदा क्यों न हो। सो, जवाब देना बनता है। जवाब बहुत सरल भी है। ऐसे प्रश्नकर्ता से मेरा बस अनुरोध है कि अपनी आँखें खोलने की कृपा करे और सारे देशों पर नजर डालें कि मातृभाषाओं को माँ मानने वाले देश दूसरों के मुकाबले आगे हैं या पीछे। यदि वास्तव में हिसाब न लगाया जा सके तो भाषा नीति और शिक्षा के किसी विशेषज्ञ के चार अक्षर पढ़ने की कृपा करे। यदि फिर भी संतुष्टि न हो तो दुनिया में अंग्रेजी पढ़ाने के लिए इंग्लैंड के संस्थान ब्रिटिश काउन्सिल के किसी कार्यालय में जाए और उनके भाषा विशेषज्ञ से पूछे कि विदेशी भाषा (हमारे लिए अंग्रेजी) पहले कुछ वर्ष मातृभाषा माध्यम में पढ़ कर अच्छी आती है या सीधे ही विदेशी भाषा के कुएँ में कूद कर। इस लेख में यूनेस्को की ऐसी रिपोर्ट को आकलन का आधार बनाया गया है जो भाषाओं के लोप होने के खतरे के लक्षणों का लेखा-जोखा करती है। भारतीय भाषाओं जैसी बड़ी समृद्ध भाषाओं के वारिसों को तो इस सवाल पर चर्चा करने की आवश्यकता पड़ने पर भी उदासी होनी चाहिए। भारतीय भाषाएँ जैसी



महान भाषाओं के वारिसों के लिए तो आवश्यकता इस सवाल पर चर्चा करने की होनी चाहिए कि भारतीय भाषाओं को अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, चीनी, अरबी, स्पेनी जैसी ज्यादा चर्चित भाषाओं के बराबर का रुतबा वर्तमान में कैसे दिलवाया जाए ?

यह बहुत थोड़े सामूहिक प्रयत्नों से संभव है। आवश्यकता बस इसके लिए कायल होने की है। इंटरनेट और कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी ने हर भाषा के बोलने वालों के हाथ में ऐसा हथियार दे दिया है कि किसी भी भाषा को पहले से कहीं कम प्रयत्नों से ऊँचाई पर पहुँचाया जा सकता है। यहाँ हिब्रू भाषा की मिसाल उत्साह देने वाली है। बाईबल की भाषा हिब्रू बोल-चाल में से लोप हो चुकी भाषा थी। पर यहूदी समूह ने विद्यालयों में अपने साधारण से प्रयत्नों से इसको जीवंत भाषा बना दिया है। ऐसे ही यूनेस्को ने अपने प्रयत्नों से कई और भाषाओं को लोप होने से बचाकर विकास के मार्ग पर ला दिया है। मेघालय की एक भाषा खासी जो एक समय यूनेस्को की खतरे में भाषाओं की सूची में शामिल थी अब उस सूची में से निकाल दी गयी है। इसका बड़ा कारण मेघालय सरकार की ओर से खासी को सरकारी काम-काज की भाषाओं में शामिल करने के कारण हुआ है। इसके परिणामस्वरूप खासी का प्रयोग भिन्न-भिन्न क्षेत्रों (जैसे स्कूली शिक्षा, रेडियो, टेलीविजन इत्यादि) में होने लगा है और यह जीवंत भाषा बन गयी है।

यूनेस्को की रिपोर्ट के आधारों पर भारतीय राजभाषाओं की कोई चार दशक पहले की अवस्था को आंका जाए तो वे आज के मूल्यांकन से ज्यादा अंक प्राप्त करेंगी। यह सबूत ही यह जानने को लिए काफी है कि भारतीय भाषाओं की दिशा किस ओर है, विनाश की तरफ अथवा विकास की तरफ। भारतीय भाषाओं के लोप हो जाने के डर का जिक्र ही अपने आप में सबूत है कि डर पैदा करने वाले संकेत मौजूद हैं। ध्यान में रखने वाली सच्चाई यह है कि यूनेस्को की ओर से बताये 9 कारकों में केवल एक कारक (बोलने वालों की गिनती) ही ऐसा कारक है जिसके आधार पर भारतीय भाषाएँ खतरे से बाहर कही जा सकती है। पर पूरा मूल्यांकन केवल एक कारक के आधार पर नहीं किया जा सकता। इस लेख का मकसद कोई एकतरफा निर्णय देना भी नहीं है। भाषा एक सामाजिक व्यवहार है और इसके बारे में अंदाजों में अन्तर्मुखता के कुछ तत्व समाविष्ट होना स्वाभाविक है। इसलिए आवश्यकता है कि यूनेस्को की ओर से पेश कारणों के आधार पर भारतीय भाषाओं की स्थिति का गहन और विस्तृत मूल्यांकन किया जाए। यह सुझाव भी उचित होगा कि भाषा विशेषज्ञ और भारतीय भाषाओं के विशेषज्ञ मिलकर सम्बन्धित मुद्दों पर गहरी विचार-चर्चा कर राय बनाएं, जो भारतीयों को इन सवालों के बारे में स्पष्टता प्रदान कराए। यह स्पष्टता भारतीय भाषाओं के लिए आवश्यक प्रयत्नों की नींव रखने में सहायक होगी। यह एक सच्चाई है कि भारतीय भाषाओं को दिन-ब-दिन बड़ी नुकसान हो रहा है। भाषा का इतिहास यह बताता है कि यदि किसी

भाषा को नुकसान होना शुरू हो जाता है वह उस दिन से ही लोप होने के खतरे की सीमा में दाखिल हो जाती है, इस लोप होने की प्रक्रिया में समय चाहे कितना भी लग जाए। पर हमारा लक्ष्य भारतीय भाषाओं को केवल लोप होने से बचाने का नहीं होना चाहिए, हमारा लक्ष्य भारतीय भाषाओं को इतना विकसित करने का होना चाहिए जितना किसी भाषा का विकास किसी भाषा समूह के सामाजिक, आर्थिक, ज्ञानात्मक और सांस्कृतिक इत्यादि विकास के लिए जरूरी होता है। इन क्षेत्रों में मातृभाषाओं को आधार बनाये बगैर अच्छा विकास नहीं हो सकता। इसलिए आईए, हर भारतीय इस सोच को धारण करे और भारतीय भाषाओं को विकसित से विकसित भाषाओं के बराबर का बनाने में अपना योगदान दे। इस दस्तावेज का मकसद दूसरी भाषाओं के महत्व को कम करना नहीं है। आज के युग में एक भाषी होना बहुत बड़ी कमजोरी है पर विदेशी भाषाओं को मातृभाषा का स्थान देना भारी शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नुकसानों का कारण बनता है। यहाँ सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मातृभाषा माध्यम में शिक्षा के बिना तो विदेशी भाषा भी ठीक से नहीं सीखी जा सकती।

सन्दर्भ और टिप्पणियाँ:

1. Unesco- 2003-Language Vitality and Endangerment-Paris% Unesco-
2. Unesco- 2008- Improvement in the Quality of Mother Tongue&Based Literacy and Learning- Bangkok% Unesco-
3. सिंह, जोगा. 2001. मातृ भाषा का महत्व (पंजाबी में). समदर्शी. दिल्ली: पंजाबी अकादमी.
4. सिंह, जोगा. 2013 भाषा नीति के बारे में अंतर्राष्ट्रीय खोज: मातृ भाषा खोलती है शिक्षा, ज्ञान, और अंग्रेजी सीखने के दरवाजे. दिल्ली: लोकमित्र.
5. इस निबन्ध में यूनेस्को (2003) से बड़ी सहायता और उक्तियाँ ली गई हैं. सभी सारणी यूनेस्को की इसी रिपोर्ट से हैं. इस सब के लिए मैं यूनेस्को का हार्दिक आभारी हूँ।

-डॉ. जोगा सिंह विर्क

50, वालिया एन्क्लेव, पंजाबी विश्वविद्यालय के सामने
पटियाला-147002 (पंजाब)

भाषा मात्र परिधान नहीं,
राष्ट्र का समग्र
व्यक्तित्व हुआ करती है।
-महादेवी वर्मा



हिन्दी के नवोन्मेषी आयामों पर केंद्रित महत्त्वपूर्ण कृति

राजभाषा हिन्दी के कार्यकारी आयामों पर लंबे समय से कार्यरत श्री राहुल खटे की हाल ही में प्रकाशित कृति है- राजभाषा हिन्दी के नवोन्मेषी आयाम। राजभाषा हिन्दी के साथ ही हिन्दी के प्रयोजनमूलक पक्षों पर विचार-विमर्श का आज एक नया दौर दिखाई देता है। हिन्दी केवल साहित्य से संबद्ध नहीं है, वरन् अनेक क्षेत्रों में हिन्दी के प्रगामी और कार्यकारी उपयोग अस्तित्व में आए हैं। हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन में प्रयोजनमूलक हिन्दी का नया क्षेत्र विकसित हुआ है। सूचना और संचार क्रांति के साथ इस क्षेत्र में नए आयाम सृजित हुए हैं। इन नवीन आयामों ने जिन अपेक्षाओं को कार्यकारी हिन्दी व उसके नवोन्मेष के संदर्भों में अनुभूत किया है, ऐसी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए यह कृति विशिष्ट है।

राहुल खटे जी राजभाषा हिन्दी के कार्यालयी क्षेत्र से संबंधित हैं। वरिष्ठ अधिकारी होने के साथ ही राजभाषा हिन्दी से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं और प्रबंधन आदि में उनकी सक्रियता रहती है। इस कारण उनके पास अनुभवों का विस्तार भी है, और जिज्ञासाओं का संसार भी है। उनकी सद्यः प्रकाशित कृति उनके दैनंदिन अनुभवों के साथ ही जिज्ञासाओं की जिज्ञासाओं के समाधान के समेकित स्वरूप के तौर पर पाठकों के बीच आई है। चूँकि कृति व्यावहारिक हिन्दी और हिन्दी के नवोन्मेषी पक्ष पर केंद्रित है, इस कारण बड़े महत्त्व की है। हिन्दी के प्रयोजनमूलक पक्षों को लेकर विश्वविद्यालय स्तर की अनेक पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हैं। इनमें पाठ्यक्रम के अनुसार विषय मिल जाते हैं। लेकिन इस परिधि से बाहर निकलकर यदि कोई कृति हिन्दी के नवोन्मेषी आयाम पर खोजनी हो, तो प्रायः निराशा ही हाथ लगती रही है। राहुल जी इस पक्ष पर साधुवाद के साथ ही हिन्दी की सेवा की दृष्टि से अभिनंदन के पात्र हैं, कि उन्होंने अत्यंत सार्थक, सबल, सशक्त और महत्त्वपूर्ण कृति हिन्दी जगत् को दी है।

संस्कार साहित्यमाला, मुंबई से प्रकाशित इस कृति में इक्कीस निबंध हैं। सभी निबंध वैचारिक गहनता के साथ ही तथ्यपरक जानकारी से पूर्ण हैं। संग्रह का पहला निबंध स्वयंप्रभा नामक 32 चौनलों के घर बैठे अध्ययन की व्यवस्था देने वाले कार्यक्रम पर केंद्रित है। वर्ष 2017 में यह ऑनलाइन अध्ययन के लिए प्रारंभ किया गया था। ऐसे अनेक विद्यार्थियों के लिए यह उपयोगी बना, जो किसी भी कारण से नियमित रूप से पढ़ने के लिए नहीं जा सकते। हम देखते हैं, कि वर्ष 2020 तक ऐसे पाठ्यक्रम बहुत उपयोगी और प्रचलित नहीं हो सके, लेकिन कोविड-19 की विभीषिका के समय ये पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी हुए। स्वयंप्रभा योजना की

विशेषताओं के साथ ही ऑनलाइन अध्ययन से संबंधित अनेक जानकारियाँ, जैसे- नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपाजिटरी, मूक (एमओसीसी) आदि की जानकारी विस्तार के साथ मिलती है।


संग्रह के दूसरे आलेख- 'भारत की शिक्षा नीति और राजभाषा नीति' में हिन्दी के साथ ही अन्य भारतीय भाषाओं की शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगिता पर विशद चिंतन किया गया है। भारत की नई शिक्षा नीति में हिन्दी को उसका सम्मानजनक स्थान देने की अनिवार्यता का पक्ष आलेख में दिखाई देता है। तीसरा आलेख- 'भाषा संगम : एक भारत श्रेष्ठ भारत' है। यह आलेख भारत सरकार द्वारा

विभिन्न भारतीय भाषाओं को एकसाथ लाते हुए विभिन्न विद्यालयों, अलग-अलग कक्षा-स्तरो में न केवल भाषायी विविधता को राष्ट्रीय एकता का सूत्र बनाने के प्रयास का विश्लेषण करता है, वरन् भारतीय भाषाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विविधता को जन-जन तक पहुँचाने के भारत सरकार के प्रयासों के प्रति अपनी सम्मति प्रकट करता है।

'माइक्रोसाफ्ट के उपयोगी एप्लीकेशन' संग्रह का बहुत रोचक आलेख है, जिसमें बिंग, स्वे, एम एस वर्ड, इंडिक ई-मेल एड्रेस जैसे उपयोगी साफ्टवेयर्स की जानकारी और प्रयोग के तरीकों को बताया गया है। हिन्दी के साथ ही अन्य भारतीय भाषाओं में 'माइक्रोसाफ्ट' के 'एप्लीकेशन' का कैसे उपयोग कर सकते हैं, यह भी इस आलेख को पढ़कर जाना जा

सकता है। संग्रह का अगला आलेख- 'हिन्दी विज्ञान-तकनीकी साहित्य की उपलब्धता और पाठ्यक्रम' है। हिन्दी को देश की भाषा बनाने, राष्ट्रभाषा का स्थान दिलाने और साथ ही कार्य-व्यवहार में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को लाने की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन क्या विभिन्न क्षेत्रों में हिन्दी की पुस्तकों की, हिन्दी में अध्ययन सामग्री की उपलब्धता पर विचार किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर खँगालता यह आलेख लेखक द्वारा प्रस्तुत किए गए ऑकड़ों व तथ्यों की कसौटी पर कसते हुए अनेक विचारों का उद्देलन पैदा कर देता है। आज भी विज्ञान, तकनीकी, चिकित्सा के साथ ही अनेक विषयों में हिन्दी में लिखी हुई स्तरीय पुस्तकों का अभाव चिंतित करता है।

ईडियट बॉक्स (टेलिविजन) और किसानों की आत्महत्याएँ' एकदम अलग तारीख का आलेख है। किसानों की आत्महत्याओं के कारण एक अलग दृष्टि के साथ इस आलेख में चिन्हित किए गए हैं। सूचना-संचार के माध्यमों ने लोगों के अंदर महत्त्वाकांक्षाओं को जगाया है, और जीवन को जटिल बना दिया है। टेलीविजन से इसकी





शुरुआत को लेखक मानता है। आज का युवा वर्ग खेती-किसानी जैसे काम को तुच्छ मानता है। जो किसानों में लगे हैं, उनकी दशा देखकर भी ऐसा होना स्वाभाविक लगता है। खेती-किसानी में नवाचार हो रहा है, लेकिन इसका प्रभाव आज भी अनेक किसानों तक नहीं पहुँच पाया है। ऐसी विभिन्न स्थितियाँ किसानों के जीवन के लिए, उनके अस्तित्व के लिए संकट पैदा करती हैं। ऐसी विषमताओं की तरफ आलेख ध्यान खींचता है।

‘दशावतारों की वैज्ञानिकता’ और ‘सही क्या? 84 लाख योनियाँ या डार्विन का विकासवाद’ दोनों आलेख उन प्रचलित धार्मिक मान्यताओं के वैज्ञानिक संदर्भों को विश्लेषित करते हैं, जिनके बारे में विज्ञानसम्मत और तर्कपरक जानकारी आज भी बहुत-से लोगों को नहीं है। प्रायः विज्ञान से दूर होने पर अंधविश्वास पनपता है। अंधविश्वास में तार्किकता नहीं होती, और विज्ञानसम्मत-तर्कसम्मत तथ्यों की अनुपस्थिति में अंधविश्वास कुतर्क के रूप में या विकृति के रूप में पनपने लगता है। हमारी धार्मिक मान्यताओं को विज्ञान की कसौटी पर कसना आधुनिकता का एक अंग है। यह आवश्यक भी है। दोनों ही आलेख इस दृष्टि से अनेक समाधान दे जाते हैं।

‘बैंकिंग क्षेत्र के शब्दों की व्युत्पत्ति और प्रयोग’ बहुत रोचक आलेख है। बैंकिंग क्षेत्र में अनेक ऐसे शब्द प्रयोग में आते हैं, जिनके बारे में जानकारी कम होती है, और जिज्ञासा अधिक...। यह आलेख ऐसे अनेक शब्दों की गहरी पड़ताल करता है, अनेक रुचिकर तथ्य भी सामने लाता है। ‘हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं की प्रगति में तकनीक का योगदान’ अन्य महत्त्वपूर्ण आलेख है। सूचना और संचार तकनीक ने भारतीय भाषाओं को स्थायित्व दिया है। एक समय हिन्दी का काम भी अंग्रेजी पर निर्भर हुआ करता था। आज हिन्दी का तकनीकी क्षेत्र में खूब उपयोग होने लगा है, साथ ही दूसरी भारतीय भाषाएँ भी समृद्ध हुई हैं।

‘भारतीय विज्ञान की परंपरा : राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के परिप्रेक्ष्य में’ और ‘भारतीय भाषा में विज्ञान-लेखन’ दो ऐसे आलेख हैं, जो विज्ञान के क्षेत्र में हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के विस्तार को रेखांकित करते हैं। भारतीय ज्ञान-परंपरा में विज्ञान का अन्यतम स्थान रहा है। लेकिन पाश्चात्य प्रभाव और अंग्रेजी को ही विशिष्ट मान लेने की नीयत ने स्वाधीनता के बाद भी हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं को विज्ञान के व्यापक संदर्भों से संलग्न नहीं किया था। पहला आलेख सरकार के स्तर पर किए जाने वाले प्रयासों को, और दूसरा आलेख रचनाकारों, लेखकों के प्रयासों को विश्लेषित करता है।

‘देवनागरी लिपि में भी बन सकती है, ई-मेल आय डी’ और ‘हिन्दी कहानियाँ सुनें अपने मोबाइल पर’ ऐसे आलेख हैं, जो हिन्दी प्रेमियों को प्रसन्न होने का अवसर देते प्रतीत होते हैं। प्रायः ई-मेल पते अंग्रेजी में होते हैं, और जब हिन्दी के यूनिकोड फांट खूब प्रयोग में आ रहे हों, तो मेल पते हिन्दी में क्यों नहीं हो सकते? और अगर हो सकते हैं, तो कैसे? ये प्रश्न आलेख में अपने उत्तर पा जाते हैं। और हिन्दी में कहानियाँ सुनने का सुख कैसे प्राप्त करें, इसका उत्तर दूसरे आलेख में

मिल जाता है।

‘रामचरित मानस में साहित्य और विज्ञान का अंतर्संबंध...’ और ‘क्या हम अपने आपको सर्वश्रेष्ठ भारतीय समझते हैं...’, ये दोनों आलेख भारत और भारतीयता के संदर्भ में विशिष्ट हैं। श्रीरामचरितमानस देश ही नहीं, दुनिया में अनेक लोगों के लिए पूज्य और मार्गदर्शक ग्रंथ है। मानस में निहित विज्ञानसम्मत तथ्य जन-आस्थाओं को प्रगाढ़ करने में महत्त्वपूर्ण हैं। इस दृष्टि से अनेक तथ्यों को उकेरता यह आलेख बड़े महत्त्व का है। इसी प्रकार विदेश से आयातित विचारों और कार्य-व्यवहार पर कड़ी चोट करता दूसरा आलेख भारतीयता के प्रति आस्थावान होने की सीख दे जाता है।

‘मूषक का कू आ गया’, ‘आन स्क्रीन की-बोर्ड’ और ‘भाषिनि : भारतीय भाषाओं में अनुवाद का प्लेटफार्म’, में हिन्दी के लिए उपयोगी आधुनिक ‘साफ्टवेयर’ और ‘एप’ के बारे में विस्तार से बताया गया है। ऑन स्क्रीन की-बोर्ड जहाँ टाइपिंग की जटिलता को कम करने वाला है, वहीं भाषाओं के मध्य सेतु, अर्थात् अनुवाद के लिए ‘भाषिनि’ प्लेटफार्म की उपयोगिता और कार्यशैली के बारे में पता चलता है। संग्रह का अंतिम आलेख ‘प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस’ की नई योजना का विश्लेषण करता है। हमारे आसपास अनेक ऐसे कुशल लोग होते हैं, जो अपनी योग्यता और कार्यक्षमता को नए अध्येताओं के साथ साझा करके समाज का हित कर सकते हैं। केवल उपाधि न होने पर ऐसे लोगों का कौशल समाज को विधिसम्मत ढंग से उपलब्ध नहीं हो पाता था। केंद्र सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस योजना को लागू करना अनेक अर्थों में लाभकारी हो सकता है। आलेख में व्यापक विश्लेषण इस योजना की सार्थकता को सिद्ध करता है।

समग्रतः, समीक्षित कृति के सभी आलेख विविधता के साथ एकरसता का भान कराते हुए हिन्दी के नवोन्मेषी आयामों पर गहन विश्लेषण करते हैं। अनेक नई जानकारियों, तकनीकी अनुप्रयोगों, सूचना-संचार की बारीकियों, हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के साफ्टवेयर और एप्लीकेशन्स की जानकारियों के साथ ही रुचिकर तथ्यों को जानने के लिए यह कृति महत्त्वपूर्ण है। समीक्षित कृति के कृतिकार श्री राहुल खटे ने अपने अनुभवों को बड़े रोचक ढंग से लिपिबद्ध किया है, जानकारियों की साझेदारी की है। इन्हीं विशिष्टताओं के कारण यह कृति पठनीय भी है, और संग्रहणीय भी है।

समीक्षित कृति- राजभाषा हिन्दी के नवोन्मेषी आयाम
लेखक- श्री राहुल खटे
प्रकाशक- संस्कार साहित्यमाला मुंबई मूल्य- 199/-


-डॉ. राहुल मिश्र
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग
केंद्रीय बौद्ध विद्या संस्थान (सम विश्वविद्यालय)
लेह-194101 (लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश)

द्वितीय 'हिन्दुस्तानी भाषा काव्य प्रतिभा-सम्मान' एवं 'गुलदस्ता-ए-गज़ल' (गज़ल संग्रह) पुस्तक प्रकाशन योजना

साहित्य की अनेक विधाएँ हैं, लेकिन 'गज़ल' एक ऐसी सशक्त विधा है, जिसने हर साहित्यकार को अपनी ओर आकर्षित किया है। उर्दू व फारसी साहित्य से निकली इस विधा ने हिन्दी व अन्य भाषाओं में भी अपनी खास पहचान बना ली है। आज हिन्दी के कवि भी खूब गज़ल कह और लिख रहे हैं। हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी का हमेशा यह प्रयास रहा है कि भारतीय भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ-साथ, उसमें लिखे जा रहे अच्छे साहित्य का न केवल प्रचार-प्रसार किया जाए, अपितु उनके साहित्यकारों को भी सम्मानित किया जाए। अपने इसी उद्देश्य को लेकर, अकादमी ने 'प्रथम हिन्दुस्तानी भाषा काव्य प्रतिभा सम्मान' 'गीत' विधा पर घोषित किया था, जिसमें देश-विदेश के 165 से अधिक सुविख्यात एवं नवांकुर गीतकारों ने हिस्सेदारी की थी, जिनमें से कुल 70 गीतकारों का चयन हुआ था। निर्णायकों द्वारा लखनऊ की कवयित्री सुश्री संध्या सिंह को 'प्रथम हिन्दुस्तानी काव्य प्रतिभा सम्मान' के लिए चुना था। साझा गीत संग्रह 'शब्द साधना' के नाम से प्रकाशित हुआ था। दिल्ली में गाँधी शांति प्रतिष्ठान में हुए भव्य समारोह में सभी गीतकारों को सम्मानित किया गया था तथा उनके प्रतिनिधि गीतों का पाठ भी हुआ था। इस समारोह में वरिष्ठ गीतकार श्री महेश्वर तिवारी, डॉ. धनंजय सिंह, डॉ. सीता सागर सहित साहित्य जगत के कई वरिष्ठ साहित्यकार/गीतकारों ने मंच की शोभा बढ़ाई थी।

अब वर्ष 2023 के लिए अकादमी की केंद्रीय कार्यसमिति ने निर्णय लिया है कि यह सम्मान साहित्य की गज़ल विधा पर दिया जाए और चयनित गज़लों का एक साझा संग्रह 'गुलदस्ता-ए-गज़ल' के नाम से प्रकाशित किया जाए। इस योजना के समुचित कार्यान्वयन हेतु अकादमी के संयोजन मंडल में श्री विनोद पाराशर (समन्वयक), सुश्री सीमा सिकंदर एवं श्री राजकुमार श्रेष्ठ को संयोजन का कार्य सौंपा गया है। अपनी इस महत्वपूर्ण योजना को लेकर अकादमी की ओर से सोशल मीडिया के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर गज़लकारों से प्रविष्टियाँ आमंत्रित की गईं। इस सम्बन्ध में एक विज्ञप्ति भी फेसबुक पर 29 अप्रैल, 2023 को जारी की गई थी, जिसमें योजना से संबंधित सभी नियम व शर्तों का उल्लेख किया गया था। प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि 15 मई, 2023 निर्धारित की गई थी। हमें खुशी है कि अकादमी की इस महत्वपूर्ण योजना में, देश के कोने-कोने से अनेक वरिष्ठ एवं नवांकुर गज़लकारों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है। निर्धारित तिथि तक हमें कुल 171 गज़लकारों की गज़लें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 166 गज़लकारों को नियम व शर्तों के अनुसार,

सही पाया गया है। सही पाई गई सभी प्रविष्टियों को प्रतियोगिता में शामिल कर लिया गया है और उन्हें निर्णायक मंडल को भेज दिया गया है। निर्णायक मंडल में देश के प्रतिष्ठित व उस्ताद शायरों को शामिल किया गया है।



विनोद पाराशर

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी एक स्ववित्त पोषित संस्था है। अकादमी का हमेशा प्रयास रहा है कि उसकी सभी योजनाएँ हमेशा पारदर्शी रहें। इस योजना में भी पारदर्शिता का पूरा ध्यान रखा गया है और निर्णायक मंडल के पास गज़लकारों के नाम नहीं, केवल उनकी गज़लें भेजी गई हैं। हर गज़लकार को एक प्रतियोगी संख्या आवंटित की गई है। उनकी भेजी गई गज़लों पर केवल वह प्रतियोगी संख्या ही अंकित है। जैसा कि योजना की विज्ञप्ति जारी करते समय, पहले ही बताया जा चुका है कि इस योजना में केवल 50 श्रेष्ठ गज़लकारों और एक सर्वश्रेष्ठ गज़लकार को चुना जाना है। इन चुने गए गज़लकारों की गज़लों (प्रत्येक की दो गज़लें) का एक सामूहिक गज़ल संग्रह 'गुलदस्ता-ए-गज़ल' के नाम से प्रकाशित किया जाएगा। 166 गज़लकारों की 3-3 गज़लों को पढ़ना और उनमें से 50 श्रेष्ठ एवं एक सर्वश्रेष्ठ गज़लकार का चयन करना, निर्णायकों के लिए भी एक दुष्कर कार्य है। चयन प्रक्रिया अभी अपने अंतिम दौर में है।

निर्णायक मंडल से अंतिम निर्णय मिलने के उपरांत 'गुलदस्ता-ए-गज़ल' गज़ल संग्रह के प्रकाशन के कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। संग्रह में शामिल किए गज़लकारों को भी व्यक्तिगत रूप से उनके दिए गए ई-मेल पते पर अथवा उनके व्हाट्सएप पर सूचित किया जाएगा। गज़ल संग्रह प्रकाशित होने के उपरांत, दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी चयनित गज़लकारों को सम्मानित किया जाएगा। योजना के निर्णायक मंडल, वरिष्ठ साहित्यकारों व गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में, सभी को सम्मानित किया जाएगा तथा उनकी एक-एक गज़ल भी सुनी जाएगी। सर्वश्रेष्ठ गज़लकार को इस सम्मान के साथ-साथ नगद सम्मान राशि भी भेंट की जाएगी। सभी को 'गुलदस्ता-ए-गज़ल' की एक-एक प्रति भी दी जायेगी।

अकादमी का यह भी प्रयास रहेगा की प्रस्तावित समारोह में शामिल होने वाले दिल्ली से बाहर के गज़लकारों के ठहरने व भोजन की यथा सामर्थ्य व्यवस्था की जा सके। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अकादमी की ओर से दी जाने वाली उक्त सभी सेवाएँ निःशुल्क होंगी।



दिल्ली प्रदेश एवं गुरुग्राम (हरियाणा) के विद्यालयों के लिए 'मेधावी छात्र एवं भाषा गौरव शिक्षक सम्मान' योजना

भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार और उन्नयन हेतु हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी विगत कई वर्षों से अपने महत्वपूर्ण वार्षिक आयोजन 'मेधावी छात्र एवं शिक्षक सम्मान समारोह' का भव्य आयोजन करती आ रही है। कोरोना काल के दौरान भी अकादमी द्वारा दिल्ली एवं गुरुग्राम के विद्यालयों के 10वीं कक्षा के भारतीय भाषाओं के मेधावी छात्रों एवं उन्हें पढ़ाने वाले भाषा शिक्षकों को डिजिटल माध्यम से सम्मान-पत्र प्रेषित करके सम्मानित किया गया था। कोरोना काल के लम्बे अन्तराल के बाद से अकादमी को कई विद्यालयों के शिक्षकों एवं अभिभावकों द्वारा इस आयोजन के सम्बन्ध में बार-बार सम्पर्क किया जाता रहा है। कोरोना से पूर्व के कार्यक्रमों का अनुभव और विद्यालयों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं छात्रों द्वारा मिली सकारात्मक प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए अकादमी की केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि इस वर्ष पूरे उत्साह के साथ इस आयोजन को किया जाए, जिससे भारतीय भाषाओं के छात्रों और उनके भाषा शिक्षकों को प्रोत्साहन मिले। हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी द्वारा अपनी विज्ञप्ति के माध्यम से वर्ष 2022-23 में दिल्ली प्रदेश और गुरुग्राम क्षेत्र के विद्यालयों से 10वीं कक्षा के मेधावी छात्रों और उनके भाषा शिक्षकों से प्रविष्टियाँ आमन्त्रित की गई हैं। दिल्ली प्रदेश के विद्यालयों के लिए प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि 15 जून, 2023 थी तो वहीं गुरुग्राम के विद्यालयों के लिए अंतिम तिथि 25 जून, 2023 थी।

इस योजना के अनुसार 10वीं कक्षा की परीक्षा में भारतीय भाषाओं (हिन्दी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, सिन्धी आदि) में 90 या 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को 'भाषा दूत सम्मान', शत प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को 'भाषा रत्न सम्मान' तथा उन्हें पढ़ाने वाले भाषा शिक्षकों को 'भाषा गौरव शिक्षक सम्मान' से सम्मानित किया जाता है। पिछले कई वर्षों से प्रत्येक आयोजन में भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों की संख्या में गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिला है। इस तरह का आयोजन गाजियाबाद में भी आयोजित किया जा चुका है। इस योजना को अब नोएडा क्षेत्र के विद्यालयों के लिए भी आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। वर्ष 2019 में अकादमी को दिल्ली प्रदेश के कुल 115 विद्यालयों से लगभग 3500 छात्रों और 300 शिक्षकों की प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई थी तो वहीं गुरुग्राम के 28 विद्यालयों से


1200 छात्रों और 60 शिक्षकों की प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई थी। इनमें से शत प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले कुल 50 छात्र दिल्ली से तो कुल 25 छात्र गुरुग्राम से थे। अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार इस वर्ष के मेधावी छात्र एवं भाषा शिक्षक सम्मान समारोह हेतु दिल्ली प्रदेश से लगभग 215 विद्यालयों से प्रविष्टि प्राप्त हो चुकी है। यह आंकड़ा हमारे मनोबल को बढ़ाने वाला है। इससे पता चलता है कि हमारी इन योजनाओं के प्रति विद्यालयों का विश्वास बढ़ रहा है।



सरोज शर्मा

इस वर्ष के आयोजन में जहाँ एक ओर सरकारी एवं सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों की ओर से उत्साहजनक रूप में प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना के तीनों अंगों के लगभग प्रत्येक विद्यालय व केंद्रीय विद्यालयों से प्राप्त प्रविष्टियों ने इस आयोजन को खास बना दिया है। दिल्ली के विद्यालयों से कुल 9 भाषाओं के मेधावी छात्रों और भाषा शिक्षकों की प्रविष्टियाँ अकादमी को प्राप्त हुई हैं, जिनमें बहुत से विद्यालय अल्पसंख्यक श्रेणी के हैं। गुरुग्राम से भी अब तक 45 विद्यालयों की प्रविष्टियाँ प्राप्त हो चुकी है। प्राप्त प्रविष्टियों के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि इस वर्ष कार्यक्रम का स्तर और भी भव्य और विशाल होने वाला है। योजनानुसार शीघ्र ही दिल्ली और गुरुग्राम में मेधावी छात्रों और भाषा शिक्षकों को एक भव्य समारोह में सम्मानित किया जाएगा। अकादमी की कोशिश रहेगी कि इन आयोजनों में सरकारी संस्थानों को भी जोड़ा जाए, जिससे भारतीय भाषाओं को लेकर आम-जन-मानस में उनके प्रति सम्मान बढ़े।

**उस भाषा को
राष्ट्रभाषा के रूप में
स्वीकार किया जाना चाहिए
जो देश के सबसे बड़े
हिस्से में बोली जाती हो,
अर्थात् हिन्दी**



-स्वीन्द्रनाथ ठाकुर



हिन्दी साहित्य में दैनिक समाचार-पत्रों की उपादेयता एवं प्रासंगिकता : एक विवरण

समाचार-पत्र अथवा अखबार, समाज और देश में हो रही घटनाओं पर आधारित एक प्रकाशन है। जिसके द्वारा हमें घर बैठे ही देश-विदेश में होने वाली घटनाओं का पता रोजाना चल जाता है। समाचार पत्रों की सहायता से अब दुनिया छोटी हो गई है। इन समाचार पत्रों में मुख्यतः ताजी घटनाएँ, खेल-कूद, व्यक्तित्व, राजनीति, विज्ञापन, पर्व-त्यौहार, धर्म-अध्यात्म, साहित्य एवं सम-सामयिक जानकारियाँ सस्ते कागज पर छपी होती हैं। इन समाचार-पत्रों का मूल्य भी प्रायः कम ही होता है। समाचार-पत्र प्रायः दैनिक होते हैं लेकिन कुछ समाचार-पत्र साप्ताहिक, पाक्षिक भी होते हैं। अधिकतर समाचार-पत्र स्थानीय भाषाओं में और स्थानीय विषयों पर केन्द्रित होते हैं। आज शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में समाचार-पत्र संचार के साधनों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन समाचार पत्रों का हमारी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण योगदान है, यह इस बात से समझा जा सकता है कि हममें से कई ऐसे पाठक होंगे जिनको अगर प्रातःकाल समाचार पत्र पढ़ने को न मिले तो वे बैचेन हो उठते हैं। कई पाठक तो सुबह की चाय ही समाचार-पत्र पढ़ने के साथ-साथ पीते हैं। सम्पूर्ण अखबार देख लेने के बाद ही वे अन्य कोई कार्य हाथ में लेते हैं। अगर किसी दिन समाचार-पत्र देर आये या न आये उस दिन उनकी मनोदशा का स्वतः ही अंदाजा लगाया जा सकता है। किसी भी कार्य में उनका मन नहीं लगता। कहने का तात्पर्य है कि आज हमारे जीवन में समाचार-पत्र जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। जिसे एक बार देखे बिना हम किसी अन्य दूसरे कार्य में दिलचस्पी नहीं लेते हैं।

इन समाचार-पत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलता है कि विश्व का सबसे पहला समाचार-पत्र लगभग 1300 वर्ष पूर्व चीन में शुरू हुआ था। इसका नाम 'चिंग पाओ' था जिसका अर्थ होता है- 'राजधानी का समाचार'। इस समाचार-पत्र द्वारा सरकार मुख्य-मुख्य घटनाओं की खबर जनता तक पहुँचाती थी। विश्व का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र 'मॉर्निंग पोस्ट' था, जो वर्ष 1762 में लंदन से छपना शुरू हुआ था। इसके बाद वर्ष 1785 में लंदन से ही 'दि टाइम्स, लंदन' नामक अखबार छपना शुरू हुआ, जो आज भी छपता है। भारत में सबसे पहला समाचार पत्र 'बंगाल गजट' के नाम से 29 जनवरी 1780 को छपना शुरू हुआ था। बाद में इसका नाम 'इंग्लिश मैन' कर दिया गया था। विश्व में आज रोज लगभग सौ करोड़ से अधिक लोग अखबार खरीदते हैं। केवल रूस में दस हजार से अधिक तरह के समाचार-पत्र छपते हैं, जिन्हें 20 करोड़ से भी अधिक लोग पढ़ते हैं।

एक आंकड़े के मुताबिक भारत में 15 हजार से अधिक आई.एस.एस.एन. वाले जर्नल और शोध पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं। भारत दुनिया में सर्वाधिक पंजीकृत पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित करने वाला देश है। चीन के बाद दुनिया भर में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक प्रतियाँ भारत से ही प्रकाशित हो रही हैं। 31 मार्च, 2014 तक देश में लगभग 94067 पत्र-पत्रिकाएँ पंजीकृत थीं। इनमें से 8155 आवधिक और शेष 12511 दैनिक प्रकाशन हैं। इनमें हिन्दी भाषा की पत्र-पत्रिकाएँ सर्वाधिक हैं। आज भारत में अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य सभी प्रादेशिक भाषाओं में भी समाचार-पत्र प्रकाशित होते हैं। 30 मई 1826 को पं. युगुल किशोर शुक्ल ने देवनागरी में प्रथम हिन्दी समाचार-पत्र 'उदंत मार्तण्ड' का प्रकाशन

आरंभ किया था। इस समाचार-पत्र का शाब्दिक अर्थ है 'समाचार सूर्य'। अपने नाम के अनुरूप ही उदंत मार्तण्ड हिन्दी की समाचार दुनिया के सूर्य के समान ही था लेकिन कानूनी कारणों एवं ग्राहकों के पर्याप्त सहयोग न देने के कारण 19 दिसंबर, 1827 को युगुल किशोर शुक्ल को उदंत मार्तण्ड का प्रकाशन बंद करना पड़ा। इसके ठीक बाद 10 मई, 1829 को 'बंगदूत' का प्रकाशन हुआ। इसके बाद वर्ष 1868 तक अनेक हिन्दी पत्र-प्रकाशित होने लगे। 19 वीं शताब्दी के अंत और 20 वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिन्दी के अनेक दैनिक समाचार-पत्र निकले जिनमें 'हिन्दुस्तान', 'भारतमित्र', 'अभ्युदय', 'आज', 'विजय', 'अर्जुन' आदि प्रमुख हैं।

20वीं शताब्दी के चौथे-पाँचवें दशकों में 'आर्यावर्त', 'नवभारत टाइम्स', 'पंजाब केसरी', 'नई दुनिया', 'जागरण', 'अमर उजाला', 'पंजाब केसरी' आदि प्रमुख हिन्दी समाचार-पत्र सामने आये। आजादी के बाद हिन्दी में दैनिकों, साप्ताहिकों और मासिकों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई। एक दो अपवादों को छोड़कर हर हिन्दी प्रांत से हिन्दी के सशक्त दैनिक प्रकाशित होने लगे। वर्तमान समय में हिन्दी के पाठकों की संख्या में इतनी अभिवृद्धि हुई है कि देश के लगभग प्रत्येक राज्य के प्रत्येक शहरों से कई-कई दैनिक एक साथ निकल रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक क्षेत्र में हिन्दी पत्रकारिता प्रभावशाली ढंग से प्रवेश कर चुकी है।

वर्तमान समय में प्रकाशित दैनिक समाचार-पत्र विभिन्न घटनाओं की जानकारी के साथ-साथ हिन्दी साहित्य को भी प्रमुखता के साथ प्रकाशित करते हैं। हिन्दी साहित्य में इन दैनिक समाचार-पत्रों की क्या भूमिका है, इस पर कहने का एक छोटा सा प्रयास किया गया है। पाठक देखें कि इन समाचार पत्रों में हिन्दी साहित्य को कितना व कैसा स्थान दिया गया है। कुछ समाचार-पत्र दैनिक पत्र के साथ-साथ हिन्दी साहित्य पर केन्द्रित कुछ मासिक पत्रिकाओं को भी प्रमुखता के साथ प्रकाशन करता है। आलेख का उद्देश्य केवल समाचार पत्रों में प्रकाशित साहित्य को ही रखा गया है। पाठकों को इन मासिक साहित्यिक पत्रिकाओं के प्रकाशन की जानकारी अपवाद के रूप में दी गई है।

सर्वप्रथम हिन्दी समाचार पत्र 'दैनिक भास्कर' में प्रकाशित हिन्दी साहित्य के संदर्भ में पाठकों को जानकारी देना चाहता है। इसमें हिन्दी, मंजूषा, पुस्तक समीक्षा आदि के साथ-साथ स्वास्थ्य एवं खानपान पर भी लोकप्रिय सामग्री प्रदान की जाती है। 'मधुरिमा' में प्रकाशित लघुकथाएँ एवं कहानियाँ देश के लोकप्रिय लेखकों द्वारा लिखी हुई होती हैं जो हिन्दी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। प्रत्येक शनिवार को यह समाचार-पत्र 'नवरंग' के रूप में एक अन्य परिशिष्ट का भी प्रमुखता के साथ प्रकाशन करता है, जिसमें फिल्मी दुनिया में होने वाली समस्त गतिविधियों की जानकारी पाठकों के मध्य अपना एक अलग स्थान रखती है। यह परिशिष्ट पाठकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। हिन्दी पत्रकारिता को नया आयाम देने वालों में दिल्ली से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र 'जनसत्ता' का नाम अग्रणी है, यह समाचार-पत्र दिल्ली के साथ-साथ कोलकाता, चंडीगढ़, लखनऊ से भी निकलता है। इस समाचार-पत्र का रविवारीय संस्करण 'रविवारीय जनसत्ता' विविध सामयिक सामग्री से परिपूर्ण रहता है जिसमें सामयिक लेख, कविता,



चर्चा, कहानी, नन्ही दुनियाँ, महिला जगत, किताबें मिली, देखी-सुनी, विमर्श, शब्द-भेद, दाना-पानी, सेहत आदि इसके नियमित स्तंभ हैं। इस समाचार-पत्र का संपादकीय पृष्ठ भी पाठकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है।

छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा व दिल्ली से एक साथ प्रकाशित होने वाला समाचार-पत्र है 'हरिभूमि'। यह समाचार-पत्र विभिन्न प्रकार की साहित्यिक, मनोरंजन संबंधी विभिन्न प्रकार की परिशिष्ट भी उपलब्ध कराता है, इनमें महिलाओं के लिये 'सहेली' बच्चों के लिए 'बालभूमि', युवाओं के लिए 'मंजिल', रविवार स्पेशल 'रविवार भारती', मनोरंजन के लिये 'रंगारंग' तथा सांस्कृतिक परिशिष्ट 'चौपाल' प्रमुख हैं। इन परिशिष्टों में प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 'रविवार भारती' में आवरण कथा, कहानी, पुस्तक दीर्घा, कविता, व्यंग्य, बातचीत, खास मुलाकात एवं अपनी बातें। मंगलवार को प्रकाशित 'सहेली' में कहानी, हेल्थ एवं बालकों की दुनिया। गुरुवार को प्रकाशित 'बालभूमि' में कार्टून कैरेक्टर, चाइल्ड आर्टिस्ट एवं कहानी। गुरुवार को ही प्रकाशित सांस्कृतिक परिशिष्ट 'चौपाल' में आस्था, रीति-रिवाज, कविता, गज़ल, कहानी, व्यंग्य, लोकसाहित्य, पुस्तक समीक्षा, संस्कृति एवं तीज-त्यौहार आदि। शनिवार को प्रकाशित 'रंगारंग' में फिल्मों की हलचल व खबरें प्रमुख रूप से प्रकाशित की जाती हैं।

हिन्दुस्तान प्रा0 लि0 नई दिल्ली समूह का महत्वपूर्ण प्रकाशन है 'हिन्दुस्तान' दैनिक समाचार-पत्र यह पत्र पांच प्रदेशों के साथ 21 संस्करणों दिल्ली, उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड से एक साथ प्रकाशित होने वाला महत्वपूर्ण समाचार पत्र है। इसके रविवारीय अंक में 'शब्द', 'फुर्सत' स्तंभ के तहत कहानी, संस्मरण, आजकल, तिरछी नजर, जीना इसी का नाम है, नए प्रकाशन आदि स्तंभ के तहत प्रकाशित सामग्री स्तरीय होती है। यह समाचार-पत्र शनिवार को 'अनोखी' नाम से एक अन्य पत्रिका का प्रकाशन करता है जिसमें नए दौर की महिलाओं के लिए जानकारी और मनोरंजन का गुलदस्ता प्रकाशित किया जाता है। शुक्रवार को प्रकाशित 'तन-मन' नामक परिशिष्ट में स्वास्थ्य से संबंधित दी गयी सामग्री पाठकों को लिये बहुमूल्य साबित होती है। इसके साथ ही दो मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी यह पत्र करता है जिसमें पहली पत्रिका का नाम है-'नंदन'। यह बच्चों पर केन्द्रित मासिक पत्रिका है जिसमें कहानियाँ, सीरियल स्टोरी, कथा पुरानी, स्तंभ, कविताएँ, चित्र कथाएँ, प्रतियोगिताएँ, थीम स्टोरी आदि के तहत सारगर्भित सामग्री इस पत्रिका की खूबसूरती को कहीं ज्यादा बढ़ा देती है। दूसरी महत्वपूर्ण पत्रिका है-'कादम्बिनी' जिसमें कहानियाँ, कविताएँ, स्वास्थ्य, हँसी-दिल्लगी, व्यंग्य, पुस्तक समीक्षा आदि इस पत्रिका के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं।

छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ-साथ कई अन्य जगहों से प्रकाशित होने वाला महत्वपूर्ण समाचार-पत्र है-'देशबंधु'। इस समाचार-पत्र का ध्येय वाक्य है 'पत्र नहीं मित्र'। यह समाचार पत्र रविवार को 'अवकाश अंक' में 'साहित्य' एवं 'विमर्श' परिशिष्ट के अन्तर्गत दो महत्वपूर्ण पृष्ठों में सम-सामयिक आलेख, कहानी, कविताएँ, व्यंग्य, लघुकथा एवं पुस्तक समीक्षा आदि के तहत महत्वपूर्ण साहित्यिक सामग्री को प्रमुखता से प्रकाशित करता है।

दिल्ली, लखनऊ, पटना, देहरादून, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी से 'राष्ट्रीय सहारा' नामक महत्वपूर्ण समाचार-पत्र कई विशेषांकों का प्रकाशन करता है जिनमें प्रमुख हैं- हस्तक्षेप, आधी दुनिया, पैसा वसूल, उमंग, मूवी मसाला, कैरियर आदि। 'उमंग' परिशिष्ट में फिल्मों की दुनिया की

हलचल को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया जाता है। 'पैसा वसूल' बैंक आदि से संबंधित जानकारी प्रकाशित करता है। 'आधी दुनिया' महिलाओं पर केन्द्रित एक महत्वपूर्ण परिशिष्ट है।

'दैनिक जागरण' उत्तर भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय समाचार-पत्र है। यह समाचार-पत्र दिल्ली, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल से प्रकाशित होता है। यह पत्र रविवारीय अंक में 'झंकार' नामक परिशिष्ट में लेखन कक्ष से, खाना-खजाना, दिल से, खास मुलाकात, हंसते-हंसते जीना आदि का प्रकाशन करता है। 'दैनिक जागरण' प्रत्येक सोमवार को 'साहित्यिक पुनर्नवा' के तहत कहानी, पुस्तक में चर्चा एवं कविता पर केन्द्रित एक पृष्ठ की सामग्री प्रकाशित की जाती है। यह समाचार-पत्र 'जागरण सखी' मासिक पत्रिका का भी प्रकाशन करता है जिसमें महिलाओं पर विभिन्न सम-सामयिक जानकारी के साथ-साथ साहित्य को भी प्रमुख रूप से प्रकाशित करता है।

'अमर उजाला' 07 राज्य, 01 केन्द्र शासित प्रदेश के साथ 20 संस्करण में प्रकाशित होने वाला महत्वपूर्ण पत्र है। यह पत्र 'मनोरंजन' परिशिष्ट में सप्ताह की किताबें, कहानी, कविता, यात्रा, पर्यटन, स्वादगली, कथा पहली आदि के तहत महत्वपूर्ण सामग्री प्रकाशित करता है। दिल्ली, मुम्बई, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गाँव, फरीदाबाद से प्रकाशित होने वाला महत्वपूर्ण दैनिक समाचार-पत्र है-'नवभारत टाइम्स' जो रविवारीय अंक में नई किताबें, अंतरंग एवं स्पेशल स्टोरी शीर्षक से महत्वपूर्ण सामग्री प्रकाशित करता है। 'पंजाब केसरी' पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर से एक साथ प्रकाशित होता है। इस पत्र के रविवारीय अंक में साहित्य सुगंधा, ग्लैमर जगत, पुस्तक परिचय, कविता, बालकथा, हँसी का खजाना, विविधा आदि के तहत लोकप्रिय सामग्री इस पत्र की लोकप्रियता में चार चाँद लगा देती है।

राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और दिल्ली से प्रकाशित होने वाला प्रमुख दैनिक समाचार पत्र है 'पत्रिका'। यह समाचार-पत्र कई राज्यों में 'राजस्थान पत्रिका' के नाम से भी प्रकाशित होता है। यह समाचार-पत्र चार अन्य सहायक परिशिष्टों का भी प्रकाशन करता है जिनमें प्रमुख है 'परिवार', 'फुर्सत में', 'हेल्थ', 'मी नेस्ट' आदि। परिवार पत्रिका में व्यंग्य, काव्यांजलि, कथा पहली तथा खानपान इसके नियमित स्तंभ हैं। हेल्थ में स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है। मी नेस्ट युवाओं का मार्गदर्शन एवं फुर्सत में खास किताब, संस्मरण, लघुकथा, बच्चों का साहित्य आदि सामग्री प्रकाशित की जाती है।

अमोला, नागपुर, औरंगाबाद से एक साथ प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार-पत्र है 'लोकमत समाचार', जिसमें प्रत्येक रविवार को 'लोकरंग' नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है जिसमें सृजन के तहत, व्यंग्य, गज़ल, कहानी, जीवन-दर्शन, घुमक्कड़ी आदि के तहत सामग्री प्रकाशित की जाती है। प्रत्येक मंगलवार को प्रकाशित 'सखी' महिलाओं पर केन्द्रित प्रमुख परिशिष्ट है, जिसमें कविता, स्वाद, खानपान, सेहत, फैशन, रख-रखाव का प्रकाशन किया जाता है। इसके साथ ही यह समाचार-पत्र 'लोकमत' एवं 'लोकमत टाइम्स' नाम से दो अन्य समाचार



पत्रों का भी प्रकाशन करता है। इतनी बेहतरीन सामग्री के प्रकाशन के अलावा यह समाचार-पत्र प्रत्येक दिन संपादकीय पृष्ठ पर एक लघुकथा भी प्रकाशित करता है। देवभूमि का अग्रणी समाचार-पत्र है 'दिव्य हिमाचल' जो धर्मशाला के साथ-साथ शिमला, चंडीगढ़, पंजाब से एक साथ प्रकाशित होता है। इस समाचार-पत्र के रविवार अंक में 'प्रतिबिंब' स्तंभ में देश के कालजयी रचनाकारों के आलेख, गजल, पुस्तक समीक्षाएँ आदि को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया जाता है। यह समाचार-पत्र प्रत्येक रविवार को 'शिखर' पत्रिका का प्रकाशन भी करता है जिसमें बालजगत, कहानी, सिनेमा की जानकारी, समसामयिक जानकारी प्रकाशित की जाती है। प्रत्येक शनिवार को 'आस्था' पत्रिका में धार्मिक आलेख व जानकारियाँ प्रकाशित की जाती हैं।

भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, सतना, छिंदवाड़ा से एक साथ प्रकाशित होने वाला समाचार-पत्र है- 'नवभारत'। इसके रविवार अंक में 'सृजन' परिशिष्ट के अन्तर्गत साहित्यिक आलेख, कविता, व्यंग्य आदि सामग्री पाठकों को आकर्षित करती है। झारखंड का सर्वाधिक प्रसारित दैनिक समाचार-पत्र है- 'प्रभात खबर' जो रांची, पटना, जमशेदपुर, धनबाद, कोलकाता, सिलीगुड़ी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया से एक साथ प्रकाशित होता है। इसके रविवारीय अंक में कविताएँ, आलेख आदि प्रकाशित किये जाते हैं। इसके अलावा कुछ परिशिष्ट भी प्रकाशित किये जाते हैं जिनमें प्रमुख हैं- 'रमजान', 'सुरभि', 'हेल्दी लाइफ', 'बाल-प्रभात', 'अवसर' एवं 'रोजगार' आदि। 'सुरभि' परिशिष्ट प्रत्येक रविवार को प्रकाशित होती है जिसमें 'साहित्य मंजरी' स्तंभ में कहानी, कविता, लघुकथा आदि प्रकाशित होती है। 'अवसर' गुरुवार को प्रकाशित होता है जो युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है एवं रोजगार के नये-नये अवसर प्रदान करता है। सोमवार को प्रकाशित 'रोजगार' भी युवाओं को संबोधित करती एक महत्वपूर्ण परिशिष्ट है। 'हेल्दी लाइफ' प्रत्येक बुधवार को प्रकाशित हेल्थ से संबंधित भरपूर सामग्री प्रदान करती है। 'हमारा बाल जगत' साप्ताहिक है जो प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित होता है इसमें बालकों के लिये प्रचुर मात्रा में सामग्री प्रकाशित की जाती है जैसे- 'सैर सपाटा', 'भूलभुलैया', 'माइंड गेम्स', 'टाइम जोन', 'अजब-गजब' आदि। 'रमजान' पत्रिका हिन्दी-उर्दू साहित्य की सामूहिक पत्रिका है।

भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, रायपुर एवं बिलासपुर से एक साथ प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्र का नाम है- 'नई दुनिया'। इस समाचार-पत्र के रविवार अंक में 'तरंग' के तहत कहानी, कविता का आँगन, लघुकथा, किताबों की दुनिया, अतीतगंधा, देवलोक, स्वादयात्रा आदि स्तंभ के तहत प्रकाशित सामग्री पाठकों का भरपूर ज्ञानार्जन करती है। 'नायिका' पत्रिका प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित होती है जिसमें कहानी, लघुकथा, अनदेखी, जोश, सेहत आदि के तहत महत्वपूर्ण सामग्री प्रकाशित की जाती है इसके साथ ही दो अन्य पत्रिकाओं का प्रकाशन भी यह समाचार-पत्र करता है।

हिमाचल प्रदेश से प्रकाशित 'हिमाचल दस्तक' एक प्रमुख समाचार-पत्र है जिसके रविवारीय संस्करण में 'अभिव्यक्ति' स्तंभ के तहत कविताएँ, लघुकथा, कहानी आदि प्रमुखता से प्रकाशित की जाती है।

यह समाचार-पत्र दो अन्य परिशिष्ट 'झलक' एवं 'देवधारा' का भी प्रकाशन करता है। 'झलक' परिशिष्ट प्रत्येक रविवार को प्रकाशित होता है जिसमें बाल गोपाल के तहत बाल सामग्री प्रकाशित की जाती है। प्रत्येक गुरुवार को प्रकाशित 'देवधारा' में अध्यात्म, स्वास्थ्य, कहानी आदि का प्रकाशन किया जाता है।

पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल, जम्मू, हरियाणा से एक साथ प्रकाशित 'दैनिक सवेरा टाइम्स' का ध्येय वाक्य 'अंधेरे से उजाले की ओर' है। यह समाचार-पत्र दो परिशिष्ट भी प्रकाशित करता है। यह दोनों परिशिष्ट प्रत्येक रविवार को ही प्रकाशित किये जाते हैं। 'ग्लैमर' में फिल्मी दुनिया से संबंधित घटनाओं को प्रमुखता से प्रकाशन किया जाता है। दूसरे परिशिष्ट 'संडे सवेरा' में फिल्मी हलचल के साथ-साथ अध्यात्म, प्रसिद्ध लेखक धर्मवीर भारती का कालजयी उपन्यास 'गुनाहों का देवता' का धारावाहिक रूप से प्रकाशन किया जा रहा है। इसी परिशिष्ट में बाल सवेरा के तहत बालकों पर केन्द्रित लोकप्रिय सामग्री को कहावतें, बाल कविता, हंसी का पिटारा, चित्र बनायें आदि स्तंभ के तहत प्रकाशित किया जाता है।

हैदराबाद से प्रकाशित दैनिक समाचार-पत्र 'डेली हिन्दी मिलाप' के रविवारीय अंक में 'फुर्सत का पन्ना' स्तंभ में आध्यात्म, चिंतन, बोधकथा, किताब कोना, संस्मरण, व्यंग्य, ज्योतिष, योग आदि को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया जाता है। इस समाचार-पत्र में नियमित रूप से प्रकाशित स्तंभ 'आराम से' में कविताएँ, 'एक ही रास्ता' स्तंभ में कहानी, पुराण कथा, पर्व विशेष, दर्शन आदि के तहत ज्ञानवर्धक सामग्री पाठकों को प्रस्तुत की जाती है।

भोपाल, जबलपुर, सागर, रायपुर, बिलासपुर से प्रकाशित होने वाला दैनिक पत्र है 'स्वदेश', जिसका ध्येय वाक्य है, समाचार भी, विचार भी। यह पत्र प्रत्येक रविवार को एक पृष्ठ का साप्ताहिक साहित्यिक परिशिष्ट 'स्वदेश साहित्यिकी' का प्रकाशन करता है। इस परिशिष्ट में कहानी, कविताएँ, गीत, गजल, व्यंग्य, लेख, लोकभाषा एवं बाल साहित्य के अन्तर्गत रचनाओं का प्रकाशन किया जाता है। गुवाहटी, जोरहाट तथा लखीमपुर से एक साथ प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार-पत्र का नाम है 'पूर्वाचल प्रहरी'। यह पूर्वोत्तर का सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला दैनिक समाचार-पत्र है। यह पत्र पिछले 30 वर्षों से निरंतर प्रकाशित हो रहा है। इस समाचार-पत्र में प्रत्येक रविवार को हिन्दी साहित्य की कहानियाँ, लेख आदि के साथ-साथ कविताएँ, लघुकथा, व्यंग्य, जन-साहित्य एवं समसामयिक आलेखों को प्रकाशित किया जाता है।

मुंबई से पिछले 30 वर्षों से निरंतर दैनिक समाचार-पत्र 'सामना' का प्रकाशन किया जा रहा है। यह दैनिक समाचार-पत्र मराठी एवं हिन्दी में एक साथ प्रकाशित किया जाता है। इस पत्र के संस्थापक संपादक बाल ठाकरे हैं। हिन्दी में यह पत्र 'दोपहर का सामना' शीर्षक से प्रकाशित किया जाता है। यह समाचार-पत्र कविताएँ, पुस्तक समीक्षा, पर्यटन, सेहत, धर्म-अध्यात्म, आस्था, महिला समस्या, फिल्मी दुनिया की हलचल आदि के तहत प्रकाशित सामग्री किसी भी पाठक के लिए लाभदायक हो सकती है। दोपहर का सामना के रविवारीय संस्करण में पिछले महीने से 'अमिताभ का अनछुआ अतीत!' शीर्षक से एक श्रृंखला का प्रकाशन



श्री नरेंद्र उपाध्याय द्वारा किया जा रहा है। यह लेख अमिताभ बच्चन के अनछुए प्रसंगों को लेकर तैयार किया गया है जो किसी भी पाठक के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

नई दिल्ली से पिछले 06 वर्षों से पाठकों की सेवा करने वाला प्रमुख समाचार-पत्र 'नवोदय टाइम्स' का प्रकाशन किया जा रहा है। यह दैनिक पत्र नई दिल्ली के साथ-साथ गुड़गाँव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा आदि से भी प्रकाशित किया जाता है। यह दैनिक पत्र चार प्रमुख परिशिष्ट का भी प्रकाशन करता है। प्रत्येक गुरुवार को प्रकाशित 'मनोरंजन' परिशिष्ट में फिल्मी दुनिया से संबंधित प्रमुख घटनाओं को प्रकाशित किया जाता है। प्रत्येक शुक्रवार को प्रकाशित 'सिटी टाइम्स' में फिल्मी हलचल के साथ-साथ प्रापटी से संबंधित जानकारी एवं क्रिकेट की दुनिया की जानकारी प्रमुखता के साथ प्रकाशित की जाती है। प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 'रविवारीय' में ग्लैमर जगत, साहित्य सुगंधा एवं विविधा के तहत प्रकाशित जानकारी का प्रत्येक पाठकों को इंतजार रहता है। साहित्य सुगंधा में बुशरा रहमान का धारावाहिक पाकिस्तानी उपन्यास 'दिल-ए-वर्बाद संभल' का प्रकाशन किया जा रहा है। इस उपन्यास का हिन्दी अनुवाद श्री कुलदीप अविनाश भंडारी ने किया है। इसी परिशिष्ट में पर्यटन की जानकारी एवं पुस्तक परिचय से भी पाठकों को रूबरू करवाया जाता है। प्रत्येक सोमवार को प्रकाशित 'धर्म-संस्कृति' में धर्म, अध्यात्म, कहानी, संस्कृति, पर्यावरण, पर्यटन, योग के तहत प्रकाशित जानकारी किसी के लिये भी लाभदायक हो सकती है।

जयपुर, अजमेर, जोधपुर सिटी, कोटा एवं उदयपुर से एक साथ प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार-पत्र का शीर्षक है 'दैनिक नवज्योति'। इस समाचार-पत्र का ध्येय वाक्य है 'सच्च हमसफर'। यह समाचार-पत्र सम-सामयिक जानकारी के साथ-साथ तीन परिशिष्टों का भी प्रकाशन करता है। जिसमें से प्रत्येक बुधवार को प्रकाशित परिशिष्ट 'परिवेश' में टीनएजर्स, तीज-त्यौहार, रूप-लुभावन, टेक-केयर, जायका एवं सोसायटी स्तंभ में प्रकाशित सामग्री पाठकों के बहुत काम आती है। प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित परिशिष्ट 'वी शो' में फिल्मी दुनिया की गतिविधियों की भरपूर जानकारी इस परिशिष्ट में प्रदान की जाती है। इस समाचार-पत्र के प्रत्येक रविवार को प्रकाशित परिशिष्ट 'रविवारीय' में कथा साहित्य के अन्तर्गत कविता, कहानी, पुस्तक समीक्षा, गजल, तंज आदि के तहत प्रकाशित सामग्री पाठकों को लुभाती है।

सतना, रीवा और भोपाल से एक साथ प्रकाशित होने वाला समाचार-पत्र 'स्टार समाचार' का ध्येय वाक्य 'सच्चाई भी, अच्छाई भी' है। यह समाचार-पत्र प्रत्येक रविवार को 'स्टार संडे' नामक परिशिष्ट में विभिन्न जानकारी के साथ-साथ कहानी, व्यंग्य को प्रमुखता के साथ प्रकाशित करता है। इसी परिशिष्ट में यह समाचार-पत्र 'लिटिल स्टार' शीर्षक से बच्चों के लिए भी प्रमुख सामग्री को प्रकाशित करता है, जिसमें बूझो तो जाने, सामान्य ज्ञान, प्रेरक कथा, गुदगुदी आदि सामग्री बाल पाठकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित परिशिष्ट 'स्टार फिल्म' में फिल्मी दुनिया की गतिविधियों की भरपूर जानकारी इस परिशिष्ट में प्रदान की जाती है। प्रत्येक बुधवार को प्रकाशित परिशिष्ट 'स्टार वूमैन' में महिलाओं की समस्याओं से संबंधित जानकारी

के साथ-साथ कहानी, कुक-बुक, फैशन, वूमैन वर्ल्ड आदि के तहत प्रकाशित सामग्री महिलाओं में अत्यंत लोकप्रिय है।

सूरत से प्रकाशित 'लोकतेज' नामक दैनिक समाचार-पत्र सम-सामयिक जानकारी के साथ-साथ एक पृष्ठीय साहित्य सामग्री को भी प्रस्तुत करता है जिसमें कहानी, कविता आदि जानकारी समाहित रहती है। इस पृष्ठ पर बाल पाठकों के लिये भी सामग्री संकलित की जाती है।

हिमाचल प्रदेश की प्रगति एवं संस्कृति का दर्पण है 'गिरिराज', जो प्रत्येक बुधवार को हिमाचल प्रदेश से प्रकाशित होता है। यह एक साप्ताहिक पत्र है, इस पत्र में हिमाचल प्रदेश की समसामयिक जानकारी के साथ-साथ साहित्य को भी प्रचुरता के साथ प्रकाशित किया जाता है जिसमें पुस्तक समीक्षा, कविता, लघुकथा, स्वास्थ्य, बाल कविता, युवामंच, कहानी आदि के तहत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है। हिमाचली संस्कृति एवं जनभावनाओं के सहज प्रवक्ता के रूप में 'हिम हिमवन्ती' का प्रकाशन प्रत्येक बुधवार को नाहन (सिरमौर) से किया जाता है। इस साप्ताहिक पत्र में स्वास्थ्य चर्चाएँ, लघुकथाएँ, कविताएँ एवं खानपान के तहत सारगर्भित सामग्री प्रकाशित की जाती है।

'पंचजन्य' नामक साप्ताहिक समाचार-पत्र का प्रकाशन प्रत्येक रविवार को होता है। भारत प्रकाशन, दिल्ली से प्रकाशित इस पत्र में सम-सामयिक जानकारी के साथ-साथ हिन्दी साहित्य को भी प्रमुखता के साथ भरपूर स्थान दिया जाता है।

हिमाचल राज्य पत्रकार द्वारा संचालित पाक्षिक समाचार-पत्र के रूप में 'शब्द मंच' का प्रकाशन बिलासपुर नगर, हिमाचल प्रदेश से किया जा रहा है। इस पत्र का ध्येय वाक्य 'सत्यम् शिवम् सुन्दरम्' है। इस पाक्षिक पत्र में कहानी, कविता, गजलें, लघुकथा आदि को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया जाता है।

उपरोक्त विवरण के अनुसार हम कह सकते हैं कि हिन्दी साहित्य में कहीं-न-कहीं इन दैनिक, साप्ताहिक एवं पाक्षिक समाचार-पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चूँकि आज देश से हजारों की संख्या में समाचार-पत्रों का प्रकाशन किया जा रहा है, इस कारण समस्त पत्रों की जानकारी यहाँ दे पाना संभव नहीं है। उपरोक्त आलेख में केवल उन्हीं समाचार पत्रों का विवरण दिया गया है जो आज प्रत्येक पाठकों के समक्ष साहित्यिक योगदान के रूप में कहीं न कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं तथा इन समाचार पत्रों का प्रकाशन भी आज लगभग देश के प्रत्येक राज्य में किया जा रहा है। आजकल प्रकाशित होने वाले लगभग समस्त समाचार-पत्रों में संपादकीय पृष्ठ अवश्य होता है इस पृष्ठ पर भी देश के जाने माने लेखक अपने विचार व्यक्त करते हैं, जो सम-सामयिक होने के साथ-साथ साहित्यिक जानकारी भी प्रदान करते हैं। वर्तमान समय में विभिन्न विधाओं एवं भाषाओं में हिन्दी साहित्य की पत्रिकाएँ मासिक, त्रैमासिक, छमाही एवं वार्षिक रूप से प्रकाशित हो रही हैं जिनके लिए पाठक वर्ग को एक लंबा इंतजार करना पड़ता है। समग्रतः हिन्दी साहित्य में इन समाचार-पत्रों की भूमिका का महत्व पत्रिकाओं की अपेक्षा कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है।

-कृष्णवीर सिंह सिकरवार

एच-3, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
एयरपोर्ट रोड, भोपाल-462033 (म.प्र.)



हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तकें



RNI No. : DELHIN/2017/73904



हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी

(भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार और संवर्धन को समर्पित संस्था)

पंजीकृत कार्यालय : 3675, राजा पार्क, रानी बाग, दिल्ली-110034

दूरभाष : 09873556781, 09968097816

E-mail : info@hindustanibhashaakadami.com
hindustanibhashabharati@gmail.com

Website : www.hindustanibhashaakadami.com